

महामंत्री मा. दत्तोपंत ठेंगडी जी का

## उद्घाटन - भाषण

**आ**ज हमारे लिए यह आनन्द की बात है कि अभ्यासवर्ग की योजना हुयी। पूरा पूरा आयोजन भी हम लोग कर चुके हैं। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षावर्ग आयोजन का यह प्रथम अवसर है। स्थान निर्णय में ऐसा स्थान हो, जहां ध्यान केंद्रित रहे। सब के लिए पूर्णतया सुविधाजनक रहे, इन सब बातों को देखते हुए इसका निर्णय भुसावल के लिए लिया गया। इस निर्णय में भुसावल के लोगों का परिचय, लगन एवं उदारता तथा सद्भावना भी बहुत बड़ी सहयोगी है। नगर पालिका के सहयोग के अभाव में यह शिक्षावर्ग लगाना भी कठिन था, जिस में यहां की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गुलाबबाई शर्मा का भी पूरा सहयोग मिला। स्वागत समिती का काम भी सराहनीय है। हम किन् शर्तों में आभार प्रदर्शित करें, यह कठिन है। यहां पारिवारिक भावना से सभी संस्थाएं काम कर रही हैं। 'हिन्दी सेवा मण्डल' इसका ज्वलन्त उदाहरण है। यहां का पारिवारिक वायुमंडल हमारे सामने एक आदर्श रूप में है, जो हम सब का मार्गदर्शन करेगा।

उद्घाटन के निमित्त मुझे यहां खडा किया गया है। हमने भारतीय मजदूर संघ का कार्य शून्य से प्रारंभ किया था। क्षेत्र खाली नहीं था। हम जहां कहीं गए वहां पहले से यूनियने और नामप्राप्त नेता थे और गुडविल भी थी। हमारे पास न नेता, न प्रसिद्धि और न पैसा। ऐसी विषम परिस्थितियों में बुद्धि व्यवहार कुशलता के कारण काम बढ़ा।

यह काम आवश्यक था इसलिए प्रारम्भ किया। बाजार का यह सिद्धान्त है कि यदि मांग नहीं है तो माल नहीं बिकेगा। यदि माल बिकता है तो मांग थी यह बात स्पष्ट हो जाती है। वह भी एक ऐतिहासिक मांग थी। इसकी पूर्ति के लिए हम इमानदारी से आगे आए। दिल्ली में एक बड़े प्रतिष्ठान के उद्योगपति हमेशा कम्युनिस्टों को बढ़ावा देते थे और भारतीय मजदूर संघ के खिलाफ रहते थे। उनसे जब हसका कारण पूछा गया तो

उन्होंने कहा कि हमें किसी के सिद्धान्त से प्रयोजन नहीं। हां एक बात जरूर है कम्युनिस्ट व्यवहारकुशल हैं और भारतीय मजदूर संघ बुद्धू। बात सही थी। उद्योगपति को कम्युनिस्टों से व्यवहार करना आसान था। हमारे से खरीददारी करना कठिन।

हम आदर्शवाद को लेकर बटे। काम की आवश्यकता थी। हमारे पास आदर्शवादी लोग थे। पुराने अनुभवशील कार्यकर्ता के अभाव में भी हमने अपने आदर्श के माध्यम से आज तीन लाख से ऊपर की सदस्य संख्या कर लिया है।

हम नेतागिरी बनाने के कारण या 'निगेटिव्ह अप्रोच' लेकर नहीं आये हैं। हम दूसरों को खतम करने के लिए भी यहां नहीं आए हैं। हम 'पॉजिटिव्ह अप्रोच' अपनाकर मजदूरहित, उद्योगहित, राष्ट्रहित तीनों एक ही दिशा में जाते हैं—यह अच्छी तरह समझकर आगे आये है, देश रहेगा तो मजदूर का हित होगा, देश डूबेगा तो मजदूर भी डूबेगा यह भावना लेकर तथा मजदूर क्षेत्र में आवश्यकताओं और परंपरा का विचार कर के हम आये। आज की परिस्थिति में भारतियत्व का प्रवेश मजदूरों में कैसे लाया जाय इसका भी प्रयास हमने किया है। सही न्यायपूर्ति करा देने के लिए हम आगे आये। जहां परम्परा और कानून के चौकट में काम करना है वह भी भारतीय मजदूर संघ ने किया। इतने दिनों से चलनेवाले ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लोग 'आंतराष्ट्रीय श्रम दिवस' मई दिवस मनाते रहे। हमारा 'राष्ट्रीय श्रम दिवस' कोई होना चाहिये किसी ने विचार ही नहीं किया। जब हमने देखा कि हजारों वर्षों से हमारा मजदूर 'विश्वकर्मा जयन्ती' मनाता चला आ रहा है तो हमने इसे ही 'राष्ट्रीय श्रम दिवस' के रूप में अपनाया और मनाया।

कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स था। अन्य लोगों ने उसे ठीक कहा। किन्तु सर्वप्रथम हमने कहा यह गलत है। विस्तृत विवरण पेश किया। आज उसी का फल है कि रिकम्पाइलेशन ऑफ इन्डेक्स नम्बर हो रहा है।

वेजेज क्या हो इसका शास्त्रीय आधार या विचार किसी ने नहीं रखा। भारतीय मजदूर संघ ने कहा सर्वप्रथम न्यूनतम वेतन निश्चित हो फिर विभिन्न कामों का जॉब इन्हेल्युएशन होना चाहिए और सम्पूर्ण वेतन को महंगाई भत्ते से जोड़कर इसका सम्बन्ध वैज्ञानिक आधार पर निकाले गये जीवन निर्देशांक से कर देना चाहिए।

मास्कों की आखों से देखने के कारण कम्युनिस्ट मजदूर विरोधी नीति लेकर चल रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ का कोई 'इझम' नहीं है। अब तो समी इझम आऊट ऑफ डेट हो चुके हैं। राष्ट्रहित के चौकट पर कोई इझम नहीं है। व्यक्तिगत नेतागिरी, वाद

विशेषसे परे, राजनीति एवं राजनीतिक दलों से स्वतंत्र मजदूरों द्वारा मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में काम करनेवाला संगठन भारतीय मजदूर संघ है। कम्युनिस्ट ट्रेड युनियनियज्ज चाहते भी नहीं और न ही वे समाधान चाहते हैं। रक्तिम क्रान्ति की बात मार्क्स ने कहा, जिसे लेनिन ने दुहराया। बाकी ने भी कोई शास्त्रीय आधार नहीं दिया था। वैचारिक नेतृत्व की क्षमता भारतीय मजदूर संघ में है, जो हमारे विचार स्वातंत्र्य के कारण है।

हमें संकीर्ण कहा गया। इन्टर नेशनल बनना बड़ा आसान है। उत्तरदायित्वहीनता ही इन्टरनेशनलिज्म है। हम दुनियाके मजदूरों के एक होने की बात कहते हैं। किन्तु पड़ोस के बिमार वालक का बुखार देखने को थरमामीटर नहीं देते हैं—तो इन्टर नेशनल बात कहाँ हुयी। जहाँ कहीं भी नेशनलस्टी है वहाँ इन्टरनेशनल की बात कहकर आज कम्युनिस्ट दरार डाल रहे हैं। कम्युनिष्टमें दक्षिणपंथी और वामपंथी कम्युनिष्ट दो ग्रुप हो गये हैं। एक रामलिला के अवसर पर तो यहां तक देखनेमें आया है कि रामलिला समिती दोनों गुटों में बट गयी और उसी अनुसार भगवान राम का भी बटवारा हुआ। जब कि भगवान राम तो एक है एक दूसरेके राम को झूठ बतलानेवाले कम्युनिष्ट कैसे एकता की बात करते है ? इसीलिए भारतीय मजदूर संघ का स्वागत हुआ। यह महासमिति सारे दिन राष्ट्रीय समस्याओंपर विचार करेगी। राष्ट्रीय आयनीति, राष्ट्रीय उत्पादननीति, राष्ट्रीय वेतन नीति एवं राष्ट्रीय मूल्य नीति तय होनी चाहिए जिसके लिए सभी आर्थिक हित पक्षोंकी एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलाकर चौथीपंचवर्षीय योजना के समय सभी पक्षोंकी बात समझनेकी आवश्यकता है। इससे एक सर्वस्पर्शा उत्पादन नीति, आयनीति मूल्य नीति एवं वेतन नीति निर्धारित हो सकेगी।

आज देशकी सम्पूर्ण सम्पत्ति ७५ औद्योगिक परिवारों के पास है जिससे सारी अर्थ व्यवस्था असन्तुलित है। असन्तुलित अर्थव्यवस्था को संकुचित किया जाना है। यह मार्ग दर्शन आप दे सकते है, यह हमें विश्वास है। एक परिवार के सदस्य के रुप में हम ५ दिन यहां रह कर नये अन्न शस्त्र धारण कर यहांसे जाकर सब काम करेंगे यह हमें विश्वास है।

कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग के प्रथम दिन २७ अक्टुबर १९६८  
को भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष  
मा. दादासाहब काम्बले का अभिभाषण

भाइयों ! मैं जानता हूँ कि हिन्दी कहनेमें त्राटियां होंगी किन्तु अन्य किसी भाषा में समझने की कठिनाई का अनुभव करकेही मैं हिन्दी में बोल रहा हूँ, जिसे अधिक लोग समझेंगे। यहां आप विभिन्न प्रान्तसे आए हैं। बंगाल, बिहार, आसाम, आन्ध्र आदि प्रान्त के आप क्यों न हों हम सब एक हैं क्योंकि हमारे यहां प्रान्तीयता, जातिवाद स्वं भाषावाद नहीं हैं। हम सब जो वैशिष्ट्य प्राप्त करना चाहते हैं यह उसका दृष्य है। भारतीय संस्कृति के आधारपर हम एकत्र होना चाहते हैं। आसेतु हिमाचल एक ही विचारधारा भारतीय मजदूर संघ प्रस्थापित करना चाहता है। दूसरे महासंघ जैसे आई. टी. यू. सी, एच एम एस. आदि है और र्थी। पर अपना एक विशेष स्थान है। हमें जो है वह उनमें नही कम्युनिस्ट विचारधारासे मजदूर क्षेत्र खराब हो गया है। आज लाकआउट और हड़ताल आदि के नारे अलावा और कोई आवाज नहीं आती है। क्या मजदूर को यही मार्ग अपनाना है ? इसपर हमें विचार करना होगा। देश हित सर्वोपरि है। जबतक देशहितकी बात न सोची जाय तबतक देश वैभवशाली न होगा। देशहितका ख्याल करनेवाली संस्था मजदूर क्षेत्रमें नहीं—र्थी हम आए है। देशपर आक्रमण होनेपर देशकी समस्या अपनी समस्या समझी जाय। हम इसी भावसे प्रेरित होकर देश प्रथम, फिर मजदूरका विचार करते है।

भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा अन्य श्रमिक संघटनोसे बिल्कुलहि भिन्न है। ऋषियोंका बताया मार्ग जीवनका साफल्य पेट भरनेमें नहीं है। हमें इहलोक तथा परलोक श्रेयस तथा निःश्रेयस दोनोका ख्याल करना होगा तभी जीवन सफल होगा। पेट भरनेके साथ ही देशकाभी ख्याल हम करेंगे केवल मेटेरियलिज्मका नहीं।

विभिन्न राष्ट्र जो उत्पादन करते है विश्व के विनाशकी दृष्टिसे करते हैं अर्थात् अणुबम बनानेके लिए २० लाख रुपए लगाते है। इसमे अगडित शक्ति लग रही है। हर देशका वित्त अस्त्र निर्माण में व्यय हो रहा है। अध्यात्मिक दृष्टिकोण आज यदि विश्वके १२४ देश

21/10/68

तथा भौतिक दृष्टीकोण में यदि बदल कर लें तो विश्वका नक्शा अर्थ प्रधान भावनासे विश्व का नक्शा नहीं बदलेगा । हम इसी दृष्टीकोणसे कार्य करना चाहते हैं । भारतीय मजदूर संघका यह 'श्रम-जिज्ञासा-वैशिष्ट्य' है । संपूर्ण जगत को हम 'श्रम-जिज्ञासा' का पाठ पढावेंगे । हम मजदूर जगत को एक 'श्रमवेद' देना चाहते हैं । 3

विभिन्न स्मृतियोंमें जिसपर विचार किया गया है वही हम श्रम जगत को बताना चाहते हैं । पुनर्निर्माण का भी यही आधार है । विज्ञानका ख्याल करते समयमि इसी विचारधारा की जरूरत है । भारतीय मजदूर संघ ने यह बोझ अपने कंधेपर लिया है । इससे राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा तथा देशमें सामाजिक सुस्थिरता प्राप्त होगी ।

हमारे कार्यकर्ता लगन से काम करते हैं ऐसा हमारा विश्वास है । १२ वर्षों में हमारी सदस्य संख्या ३ लाखसे उपर हो गयी जो इस लगन से काम करने का ज्वलन्त उदाहरण है । अब तो हमारी ताकत को ए. आइ. टी. यू. सी. और एच. एम. एस. भी मानते हैं । कम्युनिस्ट अब हमसे घबराने लगे हैं । कम्युनिस्टहि मजदूरोंका ख्याल करते हैं यह विचारधारा जो अबतक सब मजदूरोंके मनमें घर कर गयी थी, अब समाप्त हो रही है । वह यह समझने लगा है कि उसका हितेशी भारतीय मजदूर संघ भी है ।

मजदूर क्षेत्र में समस्त उपांगोंका ध्यान करके जब हम काम करनेमें लग जायेंगे तब हमारा प्रभाव इतना होगा की, अन्य लोग यह मानने को मजबूर होंगे कि भारतीय मजदूर संघ या भारतीयत्व से ही देशका नक्शा बदलेगा ।

भारतीय के नाते हम सब एक हैं । एक सुत्र में बंधकर चलनेवाले हैं । अध्यक्षसे लेकर छोटा कार्यकर्ता तक सभी एक ही भावनासे चलते हैं । हमारे यहां सब बराबर है । बढप्पन का विचार नहीं । व्यवस्था की दृष्टीसे केवल पद है । मजदूर क्षेत्र ठीक चले यह हम सब की भावना है । देशत्रोही भावना समाप्त हो फैक्ट्री अच्छी प्रकारसे चले तथा मजदूरोंको उनका अंश अच्छी प्रकारसे मिले इसी का हम सब एक जुट होकर प्रयास करते हैं । हम ऐसा वातावरण निर्माण करें कि समूचा देश यह सोचे कि भारतीय मजदूर संघ समुच्चय में भारतीयताका पोषक है ।

भारतीय मजदूर संघने संघटन के सिद्धांत रूप में  $a^2 + b^2$  को न स्वीकार करके  $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$  के सिद्धांत को स्वीकार किया है जिससे उसे  $2ab$  संघ शक्ति के आधारपर चैतन्य शक्ति के रूप में प्राप्त है, जो व्यक्तिगत रूप में नहीं है । इसी चैतन्य शक्ति से समाजका कल्याण होना है । इसी हेतु भारतीय मजदूर संघ सामने आया है ।



स्वागताध्यक्ष श्री. फकीरचन्द जैन का

## स्वागतपर भाषण

यह बड़े हर्ष का विषय है कि सभी कार्यकर्ता बन्धु दीपावली का त्योहार मनाकर देशके कोने कोने से आज यहां पधारे हैं। हम अपनी ओरसे तथा भुसावलके नागरिकों की ओरसे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत ताप्ती का पवित्र स्व. निर्मल जल पिलाकर करेंगे। हमारा नगर भुसावल विविध भाषा भाषी नगर है। यहां केन्द्रीय सरकारकी डीफेन्स फैक्ट्री चलती है तथा भुसावल की आबादी ७५,००० है। यहां पर स्व. श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, संत तुकडोजी, परमपूज्य श्री गुरुजी आदि महापुरुषोंने पधारकर हमें कृतार्थ किया है। हमारे इ. डी. एल. हिन्दी हाइस्कूल का उदघाटन स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के कर कमलो द्वारा किया गया है। हमारे दिल में जो जागरिता तथा देश के लिए वफादारी चाहिए जब वह नहीं रहती है तो हम गलत नेतृत्व में उथल पुथल करते हैं। कारखानेमें आग लगाना, तालाबन्दी और तोड़फोड़ करना इसीके दुष्परिणाम है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। इतने दिनों की स्वतंत्रता के बावजूद आज भी हम देशभक्ति को नहीं अपना पाए हैं। इस कार्य में माननीय दत्तोपंत जी ठेंगडी आपका मार्गदर्शन करनेवाले हैं। सरकार की ओरसे जो उतेजना मजदुरों को मिल रही हैं श्रमिक नेता उसको तोड़ मरोड़कर श्रमिक आंदोलन की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। उत्पादन इससे बढ़ने वाला नहीं है। गत हड़ताल के कारण लोकशाही डगमगा रही है। प्रान्तवाद जातिवाद जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक रचनात्मक काम नहीं होगा। हमें इसे समाप्त करना होगा। मजदुरों को राजनीति के दल से दूर रहना चाहिए। कामगार तथा नियोजकों में सद्भावना के अभाव में उद्योग नष्ट होते जा रहे हैं। आज कर्मचारियोंका नहीं बल्कि नेताओं का स्वागत होता है। हमें कामगारोंका वफादार नेता चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना १९५५ में हुयी। उससे लोगोंको बड़ी बड़ी आशाएँ है। आज जनमानस हड़तालोंने जो परेशान है वह भारतीय मजदूर संघकी और आशाभरी दृष्टीसे देख रहा है। मालिकों तथा कामगारों के बीच भेद की दीवार खड़ी है। मेरा विश्वास है कि जनभावनाओंका आदर करके भारतीय मजदूर संघ भेद की दीवार को समाप्त करने सफल होगा।

निर्माण के अभाव में क्वालिटी गिरती जा रही है। मशीनें कामगार के हाथ में होती है नियोजकों के हाथमें नहीं। विघटनाकारी तत्वों के प्रभाव में बड़ा हुआ मजदूर सही रास्तेपर आए इसका हमें प्रयास करना होगा। आपको विस्तृत अनुभव है। मजदूर माइनों को इसका लाभ हो यही मेरी कामना है। अन्तमें मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। हमने एक नियोजक नाते यह स्पष्ट विचार रखा है। मेरी जुटियों की और आप एक पारिवारिक सदस्य के नाते ध्यान न दें यही मेरा आग्रह है। अन्त में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देता हूँ।

☆ ☆

# मा. दत्तोपंत ठेंगडी जी का भाषण

यह महासमितीकी बैठक है ।

ऐसा लगा शायद कुछ लोगोंको, यह महासमितीकी बैठक और शिक्षावर्ग दोनोंका अंतर शायद ख्यालमें न आया हो। जो वर्ग है जो आज अभी शुरू होनेवाला है। कल-दिनभर जो कार्य चला महासमितीका था। कल जैसे तो कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए जो आजकी परिस्थितीके लिये आवश्यक थे। और प्रदेशाशः महासंघाशः अपने कार्यका विवरण भी हुआ। यह बात सबके ख्यालमें आयी हुअी है कि हमारा कार्य निश्चित रूपसे बढ़ रहा है। अपने प्रयासके कारण, हो, परिस्थितीकी अनुकूलताके कारण हो। अन्य संस्था-ओकी कमजोरियोंके कारण हो। या भगवानके आशीर्वादके कारण हो, या सभी कारणोंका फल इस नातेसे हो। किन्तु कार्य बढ़ रहा है। इस परिस्थितीमें मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुवे हम लोगोंने कार्यकी रचनाके विषयमें कुछ गहराईमें जाकर सोचनेकी आवश्यकता है। जैसे, यह भी बात ठीक है कि सबसे नये संघटनके नाते हम सर्व क्षेत्रमें आये हैं और यह भी बात ठीक है कि सबसे नये संघटनके नाते आते हुए भी हमारा काम बढ़ा है। कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ विजय भी है-कुछ पराजय भी है। सब तरह की परिस्थितियोंमेंसे हम लोग जा रहे हैं। तो हम एक बात ठीक तरहसे समझले कि यूनियनके कामोंमें घटना और बदना यह चलता रहता है। और इस दृष्टीसे यदि किसी लड़ाईमें हमारी विजय हुई हो तो उसके बहुत आनंदित होनेकी आवश्यकता नहीं। और किसी लड़ाईमें हमारी पराजय हुई हो तो उसके कारण बहुत दुःखी होने की भी आवश्यकता नहीं। War and battle लड़ाई यह एक चीज है युद्ध यह दूसरी बात है। हमें जो जीतना है वह युद्ध जीतना है। और युद्ध जीतना है इसलिये एकेक लड़ाई भी हम जीतें यह भी आवश्यक हो जाता है। जरूर हो जाता है। लेकिन लड़ाइयोंमें हो सकता है कई बार विजय प्राप्त होगी कई बार पराजय प्राप्त होगी। इन सबका जो सर्व साधारण अपना सदस्य है उसके मनपर तो असर होता ही है। एकादबार अपनी विषय हो जायेगी तो वह बड़ा आनंदित हो जायेगा, आप कमी हार गये तो वह एकदम दुःखी हो जायेगा। कमी उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जायेगा, कमी एकदम वह सोचेगा कि हम सब खतम हो गये। खासकर कुछ ऐसी मनोवृत्ती भी हमने



देती है की इस कोई थोड़ीजी एत्र दी मंग पूरी हो गयी तो फिर इतना आत्मविश्वास बढ़ाना की अब तो कुलनही मास्को पर हंडा ल्यायेंगे अब बीचमें रुकनेकी कोई आवश्यकता नहीं। समझता है हमारी क्या ताकद है। और-मान लीजिये कि थोडासा 'सेटबैक' मिल गया, की वह एकदम अपने नेताओंको गाली देते हुये दिखाई देता है, कहता है, आपनेही हमको पिटाया- मरवाया खतम कर दिया, अच्छा होता हम आपके साथ न आते। तो ये दोनों एक्स्ट्रीम्स, जहाँतक सर्व साधारण सदस्य है, उनके अन्दर पाये जाते है। मजदूर क्षेत्रमें तो कमी फूलोंकी माला कमी जूतोंकी माला पडती है। और इस दृष्टीसे सर्वसाधारण सदस्यकी मनस्थिती क्या है, यह एक अलग बात है। किन्तु यहाँ आये हुए हमलोग प्रमुख कार्यकर्ता है। हम लोगोंने समझना चाहिये कि युद्ध जीतना यह एक बात है, लडाई जीतना और हारना यह दूसरी बात है। लडाई यदि हम जीतते या परिस्थिति अनुकूल आती, Appportunity आती, तो उसके कारण बहुत हर्ष न रखते हुए हम केवल कॅलकुलेशन करें, विचार करें, कि इस अवसरका अपना काम बढानेकी दृष्टीसे किस तरह अधिकसे अधिक उपयोग हो सकता है। उसमें हर्षविषादकी कोई बात नहीं। एक लडाई जीत ली या कोई अच्छा अवसर प्राप्त हुआ Appportunity आयी तो इसमें अधिक शान्त चित्तसे विचार करें कि, आजके परिस्थितीके कारण हमारे सर्वसाधारण सदस्य, बाहरकी यूनियनके सदस्य, सर्वसाधारण जनता इनकी जो मनस्थिती है इसमें ज्यादासे ज्यादा काम बढानेके लिये हम क्या कर सकते हैं ? मान लीजिये कि वह लडाई हम हार गये, फिर अपने लोगोंकी भी एक मनस्थिती है, बाहरके लोगों की भी एक दूसरी मनस्थिती है। दोनोंका विचार करते हुए इसमेंसेमी काम बढानेके दृष्टीसे कैसे रास्ता निकाला जा सकता है। याने Difficulty रहें Appportunity रहे। एकके कारण हर्ष नहीं, दूसरेके कारण दुःख नहीं। लेकिन दोनोंका उपयोग काम की दृष्टीसे कैसे कीया जा सकता है यही, विचार यहाँ बैठे हुअे हम लोगोंने करना है। याने Appportunity को ही केवल अेक्स्प्लॉइट करना है औसा नहीं difficulty को भी अेक्स्प्लॉइट कीया जा सकता है। दोनोंको अेक्स्प्लॉइट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दोनों मान लीजिये की हमारे कार्यके माध्यम है। Appportunity भी माध्यम है difficulty भी माध्यम है। और इसके कारण यह भी बात हम समझ लें कि यह जो आनंद और दुःखकी लहर अपने अनुयायियोंमें समय समयपर आती है उसका परिणाम हमारे मनपर न हो। मानो नेताओंके मनपरमी और कार्यकर्ताओंके मनपर भी उलीका असर हुआ, तो फिर वो नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। तो हमारा मन स्थिर रहें शान्त चित्तसे हम विचार करें। और हम परिस्थितीमें यह सोचें कि युद्ध जीतना है और लडाइयाँ जीतना इसलिये आवश्यक हैं कि युद्ध जीतनेमें सहाय्यता हो। लेकिन यह भी समझले कि We may loose battles but we have to win the

war. यह भी बात हम ख्यालमें रखें, और इसके कारण कहीं कुछ सेट बैंक आता है तो उससमय बहुत निराश होनेकी आवश्यकता नहीं। और इस दृष्टीसे हम कार्य करते रहें इसकी आवश्यकता है।

मुझे तो ऐसा लगता है कि पराजयकी परिस्थितीमें शायद इतनी सावधानीकी आवश्यकता नहीं है जितनी विजयकी स्थितीमें है। वर्यौ की पराजयकी स्थितीमें आपको जबरदस्तीसे परिस्थितीयों सावधान रखती हैं। हम जानतेही हैं कि पराजय हो रही है हम सावधान न रहेंगे मार खाएंगें। गफलत हो जाती है, गडबड हो जाती है वह विजयकी परिस्थितीमें होती है। और इस दृष्टीसे दोनों परिस्थितियोंमें हम लोग समान सावधानी रखें यह आवश्यक हो जाता है। अब हमारा काम बंदे, हमारी प्रगती हो यह तो हम सब चाहते ही है।

किन्तु सवाल यह आता है कि माई प्रगतीका मापदण्ड क्या है? कैसे उसको तोलना? कोई कह सकता है, कि हमने industrial डिस्प्यूटस कितने हल किये इसपर उसको नापा जाय! इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटसमें हम जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। दोनों हो सकता है। भगवानने किसीको यह नहीं लिख दिया कि बेटा हरेकका डिस्प्यूट का जीतही करोगे। ऐसा नहीं। जीत भी सकते हैं हारभी सकते हैं। फिर हम लोगोंने विवरण सुना है हमेशा, उसका विचार करना है। सरकार, जनता, प्रेम सबकी दृष्टीसे उसका महत्व है। यह है मेम्बरशिप! इस मेम्बरशिपकी दृष्टीसे हम प्रयत्नशील है ही।

किन्तु हम यह भी बात समझ लें कि जहाँ इन्डिस्ट्रियल डिस्प्युनियनका सम्बन्ध है वहाँ मेम्बरशिप बढ भी सकती है घट भी सकती है। आपने तो यह अनुभव लिया ही होगा, कि एखादवार आपके कारण बोनस मिलता है तो आपकी मेम्बरशिप घट जायेगी। एखादवार दूसरेके कारण बोनस मिलता है तो अपनी मेम्बरशिप घट जाएगी। तो क्या हम समझे कि हमारी प्रगती या हमारी परागती यह हमेशा इतनी एकदम बढनेवाली या एकदम घटनेवाली ऐसीही है। कुछ स्थाई मापदण्ड, कुछ क्रायटेरिया, जो स्थिर हों, स्थाई हों, ऐसा भी हमारे प्रगतीका है। या केवल हमेशा घटनेवाली या बढनेवाली मेम्बरशिप कोई हम केवल उसका मापदण्ड मानते है। तो माई यह जो मापदण्ड है वह सरकारके लिए है। जनता के लिये है। अपना मापदण्ड जो होना चाहिये वह अलग ही इससे होगा। और वह क्या होगा? तो यह मेम्बरशिप बहुत बढे या घट जाय, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस हम जीतें या हारें यह न होते हुवे, हमारी प्रगति हुई या नहीं इसका मापदण्ड एकही होगा कि हमारा जगह जगह का वार्षिक गुर बढता है या घटता है। क्वॉटिटीके हिसाबसे बढता है या घटता है। याने नंबर और क्वॉलिटीके नाते घटता है या

बढ़ता है। यही एक स्थायी क्रायटेरिया है। बाकी सब अस्थायी बातें हैं। हम प्रयत्नशील जरूर रहे कि मेम्बरशिप बढ़ती रहे। इंस्टिट्यूटल डिस्प्यूट्समें हमारी जीत हो यह सब हम हमेशा करते रहेगे लेकिन कोई स्थायी मापदण्ड होगा तो हमारा वर्किंग ग्रुप जो है वह संख्याकी दृष्टीसे कहाँ तक घटता है या बढ़ता है यदी हमारा मापदण्ड है। यह जो वर्किंग ग्रुप है वह गुणात्मक दृष्टीसे कैसा है यह कैसे समझा जा सकता है। आजकल तो और गुणात्मक दृष्टीसे कहाँ तक घटता है या बढ़ता है यह यह अंदाज लगाना भी बड़ा कठीण हो गया। बाहरके लोगोंके लिये. प्रायः लेबर फील्डमें जैसे राजनीतिमें और दूसरे क्षेत्रोंमें अच्छा कार्यकर्ता वह एकही माना जा सकता है जो बोरदार भाषण दे सकता है। भाषण के पहले या भाषण के बाद क्या है यह देखनेका कोई स्थायत्व नहीं। जो अच्छा भाषण देगा उसको अच्छा कार्यकर्ता माना जाएगा। जैसे कार्यकर्ताके गुण क्या रहे क्या नहीं इसके बारेमें तो बातचित बादमें होगी ही, लेकिन अच्छा कार्यकर्ता किसको समझे इसका सर्व प्रमुख क्रायटेरिया अगर कुछ होगा तो, अपने कार्यके साथ उसकी एकात्मता कितनी, मैं और भारतीय मजदूर संघ, और भारतीय मजदूर संघ और मैं, इस एकात्मताका विचार किसके मनमें है यही सर्वश्रेष्ठ क्रायटेरिया है। हल्लाकी बाकी गुणसमुच्चय यह उसका विचार बादमें हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे श्रेष्ठ बात या यदि कुछ होगी तो यह कि भारतीय मजदूर संघके साथ पूर्ण एकात्मता। यह वगैरे आदर्शके नहीं आ सकती। इस तरहसे हमारा हरेक कार्यकर्ता जो वर्किंग ग्रुपमें है, वह कितना आदर्शवादी है कितना आयडेंटिफाइड हैं अपने कार्य के साथ उसकी सबसे यह स्वयं हमारी प्रगति श्रेष्ठ कसौटी है। इस विषयमें प्रगति भ्रों। हमारे साथ आनेवाले जो लोग है उनकी प्रगति हो यह हम चाहते हैं। आदर्शवाद और एकात्मता जहाँ रहती है वहाँ बहुत फरक पड जाता है। मानों उसके अन्दर जितने जितने गुण होंगे उनके फलस्वरूप जितना कार्य कगना चाहिये, होना चाहिये उससेभी जादा कार्य वह करता है ऐसा आपको दिखेगा। जो एकात्म नहीं हुआ वह कार्यकर्ता और जो एकात्म हुआ है वह कार्यकर्ता दोनों में बहुत अन्तर दीखेगा। आदमी बड़ा श्रेष्ठ है बहुत बुद्धिमान है, चालाक है, खुषमनस्क है, सबकुछ है लेकिन कार्यके साथ एकात्म नहीं, उसको डिपेंडेंबल कहना बड़ा कठिन है सबकुछ है लेकिन कार्यके साथ एकात्म नहीं है, कार्य के अलावा ही अपना व्यक्तित्व कुछ अलग रखता है तो उसको रिलायबल डिपेंडेंबल, विश्वस्नीय समझना बड़ा कठीण है। जो कार्यके साथ पूर्ण एकात्म है, कार्यका सुख याने मेरा सुख, कार्यका दुख याने मेरा दुख, कार्यका सम्मान माने मेरा सम्मान, कार्यका अपमान था मेरा अपमान, इतना आयडेंटिफिकेशन जिसके मनमें है, फिर उसमें गुण कम रहे, उसमें कोई आपत्ती नहीं, वह कम बुद्धिमान रहे, वकसा

रहे न रहे, इसकी फिकर नहीं किन्तु संस्थाकी दृष्टिसे कार्यके दृष्टिसे उसकी डिपेंडिबिलिटी, विश्वसनीयता, यह मौलिक चीज है कोई बहुत अच्छा वक्ता बुद्धिमान है, बहुत चतुर है फिल्ट वर्क भी अच्छा करता है लेकिन कार्यके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं तो उसकी डिपेंडिबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिये हम स्वयं आयडेंटिफाइड हो, कार्यके साथ पूरी तरहस एकात्म हो, और अपने साथियोंको कार्यकर्ताओंको भी हम आयडेंटिफाइड करें। यह बात आवश्यक हो जाती है। जहाँ एकात्मता है वहाँ कार्य करनेका जो टेंग है वह बदल जाता है। हम देखें एक छोटासा उदाहरण, कि माई यह एक जो संस्था है। उसका मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वैरिटेबल वर्कके नाते कर रहा हूँ यह सोचनेवालेमें और मैं याने भारतीय मजदूर संघ हूँ यह सोचकर कार्य करनेवाला इन दोनोंमें बहुत अंतर है। जैसे हम बानते है बड़े श्रीमान जो लोग होते है उनके यहाँ बच्चोंको सम्हालनेके लिये आया रखी जातो है। मानोंकुछ महिलाको रखते है। वह अपने मालिक के बच्चोंको सम्हालती है। जादा पैसा मिले इस इसलिये रखनेकी शायद जादा कोशीस भी करेगी लेकिन जब वह बच्चोंको यहाँ कपडा पहनाती है उसका दिल दूसरी तरफ रहता है। सोचती है कि मेरा बच्चा मेरी झोपडीमें जो सोया हुआ है उसका इस समय क्या होता होगा। तो यहाँ जो काम करेगा तो आठ घंटे का काम है है जादा काम करूं तो मुझे ओवर टाइम चाहिये ये विचार उसके मनमें जरूर आयेंगे। लेकिन अपना बच्चा है तो ओवर टाइमका खवाल उसके सामने नहीं आएगा। बच्चा बीमार होगया रात जागना पडता है। इसलिये ओवर टाइम देना चाहिये, नाइट अलाउन्स देना चाहिये ये बात अपने बच्चेकी हिजाजत करतेसमय नहीं आयेगी। तो यह जो एकात्मता है, इस एकात्मताके साथ कार्य करनेवाला जो कार्यकर्ता और केवल उस आया के समान काम करनेवाला कार्यकर्ता दोनोंमें बडाही अन्तर है। गुणात्मक दृष्टिसे हम यह सोचें कि हम एकात्म होकर आयडेंटि रिफाइड होकर स्वयं भारतीय मजदूर संघका कार्य करे और लोगोंको इस टेंगसे आगे बढानेकी कोशीस करें। यह एक बात ख्यालमें रखें और दूसरी बात कि इस तरह जो एकात्म हुअे हैं, आदर्शवादी हैं, किसी यूनियनसे दो होंगे, चार होंगे, पाँच होंगे, दस होंगे, परिस्थितीके अनुसार नंबर बदता जाएगा। तो उनका लक्ष एक हो ध्येय एक हो आदर्श एक हो और उन सब लोगोंमें सुसंवादि निर्माण हो यह भी बात हमने ध्यान मे रखना चाहिये। मानों दोनों आदर्शवादी कार्यकर्ता हैं दोनों बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन सुसंवाद नहीं आपस्मे पारवारिक भावना नहीं अलग अलग रीतीसे जाना चाहते हैं, तो कार्य नहीं होगा। हम वहाँ जो एक पारवारिक वर्किंग ग्रुप निर्माण करना चाहते हैं वह निर्माण नहीं होगा। तो हमसे अेकात्मता पास्विरिक सुसंवाद, होमिजनटी, हार्मनी रहे। तरहतरहके आदर्शवादी कार्यकर्ताभी तरह तरहके हो सकते हैं।

गुणवत्ता, बुद्धिमानी की बात छोड़ दीजिये लेकिन स्वभाव की हरेककी अलग अलग हो सकती है किन्तु सब लोगोंके स्वभावकी आपसमें Adjustment हो आदर्श एक होनेके कारण, लक्ष एक होनेके कारण और इतना सुसंवाद कि मानों सब मिलकर एक मन तैयार हुआ है। जब थिंकिंग प्रोसेस चलेगी तो सब कार्यकर्ता मिलकर एक मन है, ऐसी परिस्थिती जब आ जाय, तब हम कहेंगे कि यह वर्किंग ग्रुप अच्छा है। संख्या बढ़ सकती है किन्तु गुणात्मक दृष्टीसे—कि हरेक कार्यकर्ता आयडेंटिफाइड, आदर्शवादी, एकात्म—और सब कार्यकर्ता पारिवारिक सुसंवाद लेकर और आगे बढ़ते हुए। इसीको कुछ लोगोंने एक नामकरण कीया है मास्टर माइंडग्रुप—ऐसा हो, तो हरेक यूनिजनमें इस तरहका मास्टरमाइंडग्रुप निर्माण हो, वह गुणकी और संख्याकी दृष्टीसे बढ़े। तो यह जो ग्रुप है यही हमारे बढ़नेका या बढ़नेका क्रायटेरिया है, कसौटी है। मेंबरशिप कसौटी नहीं। तात्कालिक विजय और पराजय कसौटी नहीं। यह मास्टरमाइंड ग्रुप हमारे बढ़नेका एकमेव क्रायटेरिया है। और इस दृष्टीसे जहाँ एक तरफ हम बाकी सब बातें करते, कन्सिलिएशन होता होगा निगोशिएशनस होते होंगे। अर्बिट्रेशन है अंडज्युडीकेशन है। भाषण है सब कुछ है। किन्तु हम ध्यानमें रखें कि ये सब ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, किन्तु एक बात स्थिररूपसे बढ़ाना है वह याने मास्टरमाइंड ग्रुप वह बढ़ेगा तो आसमान टूट, जाएगा तोभी उसको हम सहाल संकेने। और मास्टर माइंड ग्रुप नहीं बढ़ेगा तो आपको अखिल भारतीय मान्यता मिल जायें या अखिल विश्वकी मान्यता मिल जाय इन अंबसेन्स ऑफ मास्टर माइंड ग्रुप—आप जादा दिन चलनेवाले नहीं। यह कार्य चल नहीं सकता। मास्टर माइंड ग्रुपके आधारपर कार्य चलता है। और इस दृष्टीसे हम असोसिएट जगह जगह जहाँ है न जाने। आपके हरेक कार्यकर्ताके पीछे बड़ा काम है इसका मुझे ज्ञान है। और मैं यह जानता हूँ कि चौबीस घंटाभी आपके लिये पर्याप्त नहीं। कल जैसे हमारे सन्माननीय दादासाहेबने कहा, उन्होंने दूसरे हेतूने कहा कि हमारे यहाँ सब समान है, प्रेसिडेंट और सामान्य सदस्य जब एक जैसे हैं, कार्य व्याप्तताकी दृष्टीसेभी सब एक जैसे हैं। मैं जानता हूँ कि जितनी परेशानी मैं उठा रहा हूँ दादासाहेब उठाते हैं उतनीही परेशानी छोटे यूनिजनका सेक्रेटरीमी उठाते हैं और इस दृष्टीसे दोनोंमें कोई अन्तर नहीं। अमाउंट ऑफ वर्क दोनोंमें समान है। टाइप ऑफ वर्क डिफरन्ट है। अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टु ऑल। तो बहुत झंझटे है। हम जानते हैं, भाषणके लिये जाना पड़ता है, कई लोगोंके साथ बातचित करनी पड़ती है, जो रुठ गये उनको मनाना पड़ता है, जो जादा खुष हुए हैं उनको नीचे लानापड़ता है,।

कन्सिलिएशनके लिये जाना पड़ता है, अर्बिटरेटरके सामने जाना पड़ता, हजार झंझटे हमारे कार्यकर्ताको सामने है। लेकिन इन सब बातोंको सहालते हुए हम अपना ध्यान

इस बात पर केंद्रित करें कि हम कार्यकर्ताओंका ग्रुप किसतरह बना रहे हैं। मैं समझता हूँ यह यदि हुआ, तो फिर जो कुछ भी गड़बड़ होगी। सरकारके दृष्टीसे हमें मान्यता है या नहीं इसकी फिकर न करते हुवे हम इधर ध्यान केंद्रित करें। हर यूनियनका अपना अपना मास्टर माइंड ग्रुप हो, हर फेडरेशनका स्थानका हरप्रांतका अपना अपना मास्टर माइंड ग्रुप हो। जिसका मतलब यह होगा कि हरेक कार्यकर्ता आदर्शवादी हो, एकात्म हो, आयडेंटिफाइड हो, और इस तरह के सभी कार्यकर्ताओंका आपसमें इतना सुसंवाद, सामंजस्य पारिवारिक भाव हो कि मानो सब मिलकर एक मन हो गया है। इस तरह का ग्रुप निर्माण करने की हम कोशिश करें। और उसको संख्या बढ़ानेकी गुणवत्ता बढ़ानेकी कोशिश करें तो स्थायी रूपसे हमारा कार्य बढ़ानेका रास्ता हमने लिया है ऐसा सोचा जायेगा। बड़े आनंद की बात है कि इसी बातको ख्यालमें रखते हुये इसमें सहायता हो इस नाते इस अध्ययन वर्गका आयोजन किया है। इसी दृष्टीसे अपने बड़े माइंड न कहा कि एक तरहसे यह जो इस समयकी बातचित है, वह कलके अपने महासमितिके बैठकका समारोह और अध्ययन वर्गका एक तरहसे उद्घाटन इसी रूपमें हैं। इस दृष्टीसे अध्ययन वर्ग हम लोग चलायें। इसका बहुत कुछ लाभ हो सकता है। जानकारीकी दृष्टीसे बाकी सब दृष्टीसे लाभ हो सकता है। तो मैं इतनाही कहूंगा कि चार दिनोंमें हम अपना जो मकानका और वहाँ के अपने अपने स्थानका जो वायुमण्डल है वह भूल जायँ, मानों कि जैसे जेलमें आनेकेबाद आदमी सोचता है, कि माई मकानकी बात सोचकर भी क्या लाभ है ? रहना तो यही है। तो वैसेही मान लीजिये आपको चार दिन यहाँ रहना है और चार दिन आपको बाते भूलकर यहाँ जो बाते चलती है, चर्चामें चलती है उतनी हम ख्यालमें रखें और यहाँसे थोड़ी कुछ जादा जानकारी लेकर हम जाय और यही बात ख्यालमें रखें कि जहाँसे जहाँ हम जानकारी लेकर जायेंगे वहाँ तो आपने यहाँ यह भी बताया है ज्ञानकी परिणति मक्ति नहीं होती है तो यदि हम उस दृष्टीसे जरा अपने हृदय को भीट टोलते रहें, तो इन चार दिनोंमें गुणवत्ताकी दृष्टीसे, सुसंवाद की दृष्टीसे, पारिवारिक भावनाकी दृष्टीसे बहुतकुछ प्रगति हम कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

\* \*

भुसावल में आयोजित प्रथम कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग के अवसर पर  
 दिनांक २८ अक्टूबर ६८ को स्थायी आदेश पर  
 बाबू रमाशंकर सिंह, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश

## द्वारा संक्षिप्त भाषण

**Industrial Employment (Standingorders) Act 1946**  
 कुछ प्रदेशों को छोड़कर सारे भारत में लागू है। कठिनाईयां यदि ज्ञात हो जाय तो यह सुगम होता है। सन् १९४६ में यह ऐक्ट बना था। यह एक दुधारी तलवार है। **Industrial Disputes** की भरमार हो जायगी यदि, स्थायी आदेश गलत बने। स्थायी आदेश में कार्य की शर्तें होती हैं। अधिक श्रम शक्ति से अलग शर्तें तय नहीं होती है। १०० आदमी जहां काम करते है वहां स्टैंडिंग आर्डर बनाना होता था। ६ माह के अन्दर नियोजक ड्राफ्ट स्टैंडिंग आर्डर दे देते हैं पर मामला २, या ३ वर्ष तक चलता है सर्टिफिकेशन की सीमा नहीं होती है। सर्टिफाइंग एस्थॉर्टी स्टेट जुरिडिक्शन में रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। १९६१ की यह संशोधित अवस्था है। १९५६ में सिन्दी में स्टैंडिंग आर्डर का प्रमाणितकर्ता अधिकारी कौन हो केन्द्र का या राज्य का? इस सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ। मैनेजमेन्ट द्वारा मामला पटना हायकोर्ट में उठाया गया। यह रिपोर्टेड केस है। इसी समय लॉ मिनिस्ट्री की शिफारिश पर लेबर कमिश्नर के साथ 'रीजनल लेबर कमिश्नर' शब्द भी जोड़ा गया। १९६३ में पुनः संशोधन हुआ जिसके द्वारा टेम्परेरी अप्प्लीकेशन ऑफ मॉडेल स्टैंडिंग आर्डर का प्राविधान हुआ। अभी तक के संशोधनों में कुल तीन संशोधन प्रमुख हैं। पहला "as for as practical it should be in conformity with model standing orders" सन ५६ में सर्टिफाइंग एस्थॉर्टी को जस्ट्रीफाइवेल्टी देखने का अधिकार मिला। मॉडिफिकेशन १९५६ तक केवल मालिक ही कर सकते थे। सन १९५६ के संशोधन के द्वारा यह अधिकार हर मजदूर को दे दिया गया। तब मालिकों ने कहा कि मॉडिफिकेशन का अधिकार केवल वर्कमन को ही दिया जाय किन्तु श्रमिक नेताओं ने यूनियन को तथा यूनियन न हो तो

कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित प्रातिनिधि की बात कहा। मॉडेल में अधिक परिवर्तन का अधिकार मालिक को नहीं है। यदि हो तो उसे मॉडीफिकेशन माना जाय यही स्थिति है। सर्टिफाइड स्टैन्डिंग आर्डर सर्टिफाइड कापी मेजने की तिथि से सातवें दिन लागू हो जायगा ऐसा था जो अत्यन्त ही दोषपूर्ण था। यदि पोस्टल हड़ताल रही तो सात दिन के अन्दर अपील करने का समय भी नहीं मिलता। अपील का समय बाद में २१ दिन और अब ३० दिन हो गया है। वायोलेशन पर पेनल प्रोविजन्स दिए गये हैं। सेवशन १४ ए में अधिकार मिला है। भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें मॉडीफिकेशन कराती हैं। बाकी नहीं के बराबर।

‘स्टैन्डिंग आर्डर की अधिकृत प्रति होना चाहिए। प्रदीप लैम्प भी इन्जिनियरिंग एसोसिएशन का सदस्य है। वहां पुराने लागू स्टैन्डिंग आर्डर्स कमी सर्टिफाय नहीं हुये थे बल्कि वे इन्जिनियरिंग एसोसिएशन द्वारा बनाए गये थे। आपत्ति करने पर यह स्थिति स्पष्ट हुई। उन्होंने फिर १९४६ में स्टैन्डिंग आर्डर प्रमाणित करवाया। सदस्य प्रमाणित नहीं कराते है। ठेकेदार भी १०० से अधिक मजदूर रखते है। रिक्विजिट नम्बर होने पर ड्राफ्ट न देने पर प्राजीक्यूशन के लिए देना चाहिए।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और मध्यप्रदेश में ५० कर्मचारियों पर स्थायी आदेश होना चाहिए ऐसा प्रविधान है। स्थायी आदेश की भाषा क्षेत्रिय होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो इस में प्रासीक्यूशन किया जा सकता है। अधिक लोग जिस भाषा में बोलते हो उसी भाषा में पत्र लिखा जाय तथा उसी भाषा में स्थायी आदेश होना चाहिए।

अप्रेंटिसशिप ऐक्ट से कुछ संघर्ष आया है। अप्रेंटिसशिप के सम्बन्ध में जहां पुराने स्थायी आदेश है वहां हमें संशोधन मेजना चाहिए। वर्कमन की परिभाषा १९६१ में स्पष्ट हुयी है। सुपरवाइजर्स पर लागू है। एक बात और यह है कि डिपार्टमेंटल इनक्वाइरी में इनक्वाइरी की कापी देने का प्रोविजन होना चाहिये।





# HALF A CENTURY OF LABOUR MOVEMENT IN INDIA.

By

**B. K. MUKERJEE.**

President:- *Bhartiya Railway Mazdoor Sangh.*

**T**rade union movement in India, is about to enter the second half of the first century of its existence. It will not therefore, be out of place, at this juncture to judge its achievements during the period of half a century of its existence and to plug the holes if any. Whatever may be the causes, trade unions in India have not played their role effectively and efficiently in the economic and political life of the nation. Political slavery for many centuries crushed the economy of the country destroyed the moral and ethical concepts of our people. This gave birth to corruption and selfishness which is shaking the very foundation of our society. We have a plethora of political parties and only few of these political parties honestly want the entire people integrated into a strong nation. Some of the parties draw their inspiration from foreign powers. Though every political party in India declares its sympathy with workers and though some of these parties even go a step further to declare their party as a working class party, from their activities in the past, the only conclusion that can be drawn is that they are not true to their declaration. As these political parties are more interested in their political gain, they prevent the unity of workers and thereby resist their attempts for collective bargaining [and establishment of workers leadership.

Collective bargaining is the main function of a trade union and negation of the same amounts to liquidation of the organisation whether the trade union caters for workers employed in the public sector such as railways or in the private sector.

Workers in railways, though in the public sector, are in no way happier than workers under any cruel and most primitive type of employer in the private sector. Formation and administration of free trade union for the railway industry is fraught with grave danger and enormous difficulties unknown to any democratic country in the world.

The Railwaymen's section of the International Transport Workers' Federation in its meetings at Rome in June 1966 formulated the following statement on methods of collective bargaining and settlement of disputes in rail transport for their representatives attending the 8th session of the I. L. O. Inland Transport Committee at Geneva in November 1966.

#### FREEDOM OF ASSOCIATION :-

Employees of railway undertakings, whether publicly or privately owned should, irrespective of their status, be entitled to form and join without previous authorisation and without restriction of occupation, sex, colour race, creed or nationality, trade union organisations of their own choosing.

Such organisations should be granted full autonomy in drawing up their constitution and administrative rules, in organising their administration and activity, and in framing their policies.

Where full and effective protection is not already afforded, appropriate legislation should be enacted to protect the individual worker:-

- (a) From discriminatory or punitive measures directed against him at the time of engagement or during tenure of employment for the reason that he is a member, agent or official of a trade union;

- (b) against coercion with respect to his right to join a trade union.

Where full and effective protection is not already afforded, appropriate legislation should be enacted to prohibit on the part of the employer or of the employers' organisation or their agents, all acts designed to :-

- (a) promote the formation of trade unions controlled by the employer :
- (b) interfere in the formation or administration of a trade union or support it by financial means or otherwise interfere in its control;
- (c) refuse to give practical effect to the principles of trade union recognition and collective bargaining.

We may not like international contacts in trade unions but few can dispute and disapprove of the above quoted decision of the Railwaymen's Section of ITF. As collective bargaining is the chief function of a trade union, the principle introduced in the above statement will help them to negotiate collective agreements. Let us examine the role played by the trade unions in the pre-independence era. The contribution made by the trade union movement in the freedom struggle was very much significant. The further historians, while writing about the "Quit India Movement" will surely have to write in golden letters the part played by the workers, All-India Trade Union Congress in its Nagpur Session in 1944 rejected the resolution—"Peoples War," introduced by a group of trade unions which would help Britain, an ally of USSR, to win the war which in other words meant keeping India in perpetual bondage. As AITUC was the only trade union organisation in India at that time, passing of resolution, would have meant rendering the "Quit India" movement into a hollow slogan. Great Britain had a national Government with the Labour Party as a partner and as such it was fully aware of the impact of trade union stand in the struggle. In spite of their

natural desire to strengthen the imperialist hold in this country. British employers and their Government here were sympathetic towards trade unions. However, after independence we get a quite contrary picture. Hostile policy of the Government has compelled trade unions to accept a dependent status. Political parties in the country seem to favour a trade union movement of thought and action. Under foreign rule, trade unions were more powerful and effective and enjoyed due prestige as political domination was almost absent. After independence the growth of trade unions has been enormous but as regards their strength they are absolutely impotent. This strange thing happened because political leaders surrendered all initiative to the government. These trade unions have, therefore, been deprived of the right of collective bargaining. Instead of demanding direct negotiation with employers for settlement of disputes, trade unions accept and even demand the appointment of commission or committee or board consisting of persons, not friendly to workers, for the purpose. Members of these bodies often fail to assess the needs of workers and are generally guided by employers.

Dearness Allowance was first granted in the years 1942, during the Second World War. Workers got it by direct negotiations. After independence however we have a large number of commissions, boards and committees to resolve disputes over wages and allowances but none of their recommendations have yet satisfied either party to the dispute. Industrial relations in the country, therefore, continues to be most explosive.

Influence of political parties over our trade unions is so deep that even bitter experience of these bodies has failed to guide workers to pursue the right course of direct negotiation for collective bargaining. During the past decade and a half, trade unions were persuaded by political parties to depend not on their collective bargaining strength but on the mercy of the government and the employers. This made these organisations mere puppets in the hands of political leaders and these organisations became ineffective and corrupt. Trade unions in the past were strong and effective which was, to a large extent, due to the liberal policy of the government.

Trade unions having thus lost their potency to negotiate for collective agreements have found a temporary consolation in the demand for the appointment of a body to resolve disputes. Though acceptance of this process may satisfy the leaders of political parties, it seriously retards progress of the country which a free Trade Union cannot afford to allow.

Even by a cursory reading of the terms of reference for these commissions and boards it will be evident that the scope of these bodies is very limited. The members of these committees, directed by the Government, religiously refuse to base the remuneration on the needs of the worker. Again, the Government often warns these bodies in advance, that payment of adequate wages and allowance to workers stimulates inflationary pressure on the economy and therefore the same must be checked. These bodies are also prevented from making any recommendations to avoid wasteful and unproductive expenditures to reduce such pressure. However, if any recommendation is made to benefit employees even in the private sector the government rejects the same. Unless trade unions are united, as before, and stand on their own strength, exploitation by political parties and the government will continue unabated to the detriment of the nation. Trade unions, in India, must therefore launch the required struggle to replace the delaying apparatus commission, boards and committees, by re-establishing their right for collective bargaining which alone will ensure industrial peace and rapid economic growth.

As for industrial development in India, as any other country, it has to seek and secure co-operation and help of other industrially advanced countries. Trade unions in this country, too, must try to reap benefit from experiences of free trade unions in democratic countries. It will, therefore, be unwise and injurious to keep trade unions in India isolated from international trends in labour movement. If our trade unions really want to regain the lost prestige and status they must study the achievements of trade unions in other democratic countries and try to emulate their good traditions. In no other country trade unions are so poor both financially

and physically and so scornfully treated by the Government as in this country. Trade Unions in India must, therefore, adopt and follow the method by which workers in other countries gained their present strength and status. "Shram Dan" or free service to trade unions introduced in this country by political leaders to serve their interest is the major factor for this deplorable condition of trade unions to-day. It is not too late yet, for our trade unions to emulate the traditions and conventions created by workers in other countries to establish workers leadership in the society. National interest demands quick economic development and unless free trade unions are fully equipped with the necessary strength, status and resources, our progress cannot be as rapid as desired. Trade Unions must, therefore, take immediate steps to remove the pernicious influence of political parties or of the government and stand on their own legs for negotiating collective agreements with employers as otherwise prosperity of the nation will be delayed.



## **CONTOURS OF WAGE POLICY**

### **A. FOR PRICE FACTOR**

- 1) Correct compilation and Maintenance of cost of living Index for different states and Regions.
- 2) Cause wise break up of Index.
- 3) Real wages on above basis - Principle real national scarcity to be shared by all.

### **B. NATIONAL POLICY ON MINIMUM WAGES.**

- 1) Survey of living and working Conditions of labour including quantum and causes of Indebtedness.
- 2) Survey of economic capacity of Industries to arrive at rural and urban minimum.
- 3) Industries can be suitably grouped and firms or units divided into small, medium and large on basis of working capital, Number of workmen etc.
- 4) Workers may be divided in to skilled, semi-skilled, unskilled etc.
- 5) On the above basis statutory minimum wage be prescribed categoriwise, unit wise, industry wise, rural, urban sectoral, rural minimum, Urban minimum etc.
- 6) Implementation of statutory minimum must be strict.

- 7) The first principles of statutory minimum :-
- i) Number indebtedness in existing circumstances.
  - ii) Phased policy to reach need-based minimum planning for agriculture, small scale sector etc. to serve this policy and resultant periodic up-gradation of statutory minimum real wage.
- 8) Minimum should not be bent to be maximum. Therefore, appointment of wage board no bar for collective bargaining or reason to withheld reference to adjudication etc.
- 9) initiative expected from Inspectorate like shop and establishment.
- 10) Minimum wage Indices to guide monetary quantum of given wages.
- 11) only dedicated social workers to be exempted. They alone are non-workman with high status.

C. GROWTH IN REAL WAGES.

To be based on productivity. For this purpose productivity indices. Care to be taken that labour - productivity is not all-in-all. Capital productivity more important. Therefore capital deployment to be treated as industrial matter, This is one gate to bring about labourisation ( B. M. S. Research unit's finding on sugar, an example of neglect of capital productivity).

D. FRINGE BENEFITS - COMMUNITY SERVICE PROVIDED BY INDUSTRY.

Social Security - Security provided by the Nation Preferably through National Tripartite.

Allowances are costs incurred for minutes spent on job or remuneration for added skills, responsibility, working conditions etc. for different postings or works in same job cluster. These definitions give shape to break up of total emoluments.

E. TOWARDS NATIONAL WAGE-POLICY :

1. Standardisation of occupational dictionary defining duties and nomenclatures..



2. Centralised Statistical Service to inform on existing wages working conditions all over the country to avoid delay help uniformity,
3. National Policy on wage Differentials and status differentials based on qualities of body. Life mind and soul. The ratio of 1:10 should find its office in first two aspects of labour measurement. Qualities of mind deserve respect. Last is immeasurable.

#### F. SOCIO - ECONOMIC FACTORS IN WAGE - POLICY :

1. The Income distribution of the industry between Wage Bill Taxation, Development and Consumers.
2. Decision making process in above Income Distribution a Key Factor in formulation of wage-Policy. HAVE labour should have a place.
3. Division between Savings or investment and consumption is not a mere economic phenomena. It is social too wise consumption is investment in Human beings as Israel experience has now proved. i. e. Development without social costs. Secondly nature of investment gives sour to savings. e. g. Public or community investment for full employment can alone command saving. The motivation to give bread to hungry has million fold effects for capital formation than dividends on share-capital. But labour wants to ensure that savings are diverted for full employment. Therefore, special poignancy for demand to give labour place in plan formulation and implementation. Rate of savings a direct factor of investment policy. Not for un-employment by automation but to give work to one who needs.
4. After full employment from one technological equilibrium to higher technological equilibrium. The frictional unemployment to be born by Industrial Family-Not by forced indolence on job but by phased planning. So the capital of Industry to be treated as one pool and capitalist and capital-formation to be treated as distinct things.

5. Capital and Industry to be increasingly owned by labour. Shri Dandekar's formula on distribution of gains by marking workers' shareholders endorsed.
6. Lift to full employment by turning natural resources into economic resources by providing co-operant factors through human agency. Existing Human skills to be the base. Plan models on basis of latest techniques of Econometries which make our idea feasible explained in a broad way. Theory of equi-marginal returns in terms of employments based on size and composition of industrial complex propounded to take account of Incomes policy Price-behaviour and consumer Interest. Interest Rate of savings and growth of employment can be determined at terminal conditions of Economatc model



# ROLE OF TRADE UNIONS IN DIFFERENT PARTS OF THE WORLD

## A few High-lights

### GENERAL

Modern Trade Union Movement started as a protest organisation to get demands and solve grievances. But as it began to realise that it cannot depend only on Employer or Government as a reservoir against which mere fight can be all-sufficient to get the dues it started entering the second phase of growth like participative or administrative or controlling organ of industry or public life. This created many questions about ownership, principles of income-distribution, decision-making process, socioeconomic set-up, relationship between Employees and Government etc. Different countries have tried and are still trying to solve these questions in different fashion. Here are the high-lights. Each contains a lesson or warning for us.

### AFRICA.

They have begun disbelieving I. C. F. T. U. and W. F. T. U. for giving of correct guide-lines. It is widely asked - Are not aims of Trade Union and those of Welfare State identical - to up-lift the down-trodden? Therefore, State and Workers should decide economic plan and employers work it out as an administrative organ. This has created anomalies for want of appreciation of technical knowledge. Real wages of African workers have increased but it is doubted whether it is at the cost of farmers.

## THE MIDDLE EAST.

African theory endorsed – but Problems are different. Religious influence against industrialisation. Unions do not know how to get along for want of commitment of people to industrial life. Hence Trade Union Movement is weak. The law is forcing Unionism e. g. fine for not voting for union leadership is provided in laws of Egypt. Unions are being forced to participate in Management.

## SOUTH—EAST ASIA.

Culture is treated as important. Role of Trade Union vis-a-vis social transformation. Good people should hold public office i. e. whose life has grown around Temple and Familism. Whole thinking is on the basis of people's characteristics. Many ethnic groups, with traditional skills. So Trade Union shows great interest in weaving life of workers in family-groups or gives incidental importance to economic matters as one of the instruments of human welfare. Therefore economic progress is slow and little care is shown for slowness – as against Africa where nations are in a hurry for economic progress.

## COMMUNIST BLOC.

China stands for dictatorship of proletariat by Military means. Therefore, trade Union abolished as fostering Economism. Workers to live on most minimum needs and prepare to conquer world for Communism. Russia wants prosperity for their own people – as an example of supremacy of Communist system. But are finding State controlled economy cannot bring goods. So increasing resort to Incentives and other capitalist techniques. So unit is being shifted to Industry or Firm. But this is giving rise to managerial arrogance. So protest type of trade unionism using strikes is slowly coming up. The dictatorial State has yet to learn to live with these protests as well as system of Incentives. No one knows what is meant by real socialistic order. So all types of interpretations, confusion – at best a search. The whole international Communist block is having all colours from Radical Right like Czechoslovakia to Radical Left like Mao. Homogenous thinking in any country – so place of freedom of thought and expression is also a matter for search.

## LATIN AMERICA.

A debate between ignorant workers and employers has brought economic stagnation. Expert committees are feeling necessity of middle class organisation to carry on dialogue between economic interest, growth of understanding and bring changes in working life productive to economy. State is trying to promote – but lack of organising ability and experience in self – government is thwarting growth of institutional frame-work for national life. So much dis-organisation and little push to economic and social life.

## WESTERN DEMOCRACIES.

U. S. A. accepts capitalism. Prerogatives of Capital or Management and Labour defined. Everything by collective bargaining. No demand for participation. Co-operation for productivity. Government intervention minimum – in public interest when life is in danger by strike in Public utilities. Strong non-political unions. Strikes considered legitimate as wrestling. Through continuous prosperity workers becoming shareholders.

In France Participation is respected by Government and Employers. Communists are trying to discredit. So tussel between silent public opinion and vociferous and militants trade unionism is being forced to the forefront. Government is going ahead with schemes like profit-sharing etc. A sea-saw of French mind is going on of which recent upsurge was one index.

England is still experimenting with consultation and participation. On Labour Government coming to power accommodation with realities of economic situation is becoming a painful process. Therefore a joint statement of intent on productivity, prices and incomes came in to regulate wage increase. But then bargaining shifted to unit level and hold of Central Labour Organisation weakened. So the Donovan Commission has this year recommended a pattern of local agreements in place of national agreements. This is considered to be a step that may shake-up present Union frame-work. Realities faced at higher level may be forced downwards. Britain is in turmoil and search for socio-economic frame-work – Nationalisation of Industry – being no more considered as respectable.

Scandinavian Countries are ahead of the continent. Because Trade Union has a well-equipped technical wing. In Sweden workers education classes concentrate on teaching economic and technical problems of concerned industry. They insist on full information. Evaluate decisions and put forward workable propositions based on knowledge. Result is wide-spread enlightenment and prosperity. Sweden has achieved almost highest wages through this process of consultative Unionism—not accepting participation but extremely sophisticated approach. It is perhaps the only strike-free society in the world.

In west Germany hard work earned for trade unions a high high respectability. So people gave to workers right of co-determination and co-decision. Workers are taken as subjects of industrial enterprise and not objects. Everybody is workman—one can opt for Civil code and become non-workman. Therefore, competent labour side.

#### PECULIAR COUNTRIES—

MEXICO—The first country where workers brought revolution (1910). Organic social structure—one party based on Sectoral unit level composite constitution. Therefore, no necessity felt of second party. Decision making by informal multi-way communication. Constitutional right to strike—considered as normal friction. In emergency Government declares that State of strike does not exist. Emergency administration replaces normal management. Dispute solved in Government presence. Irresponsible attempt for national strike for unjustified demands curbed with full force. Country has prospered. Development of formal law by slow process. The nation feels that the system is ideal and only danger corruption.

JAPAN—People against Trade Unionism. Management paternalistic. Planning based on traditional skill and smallscale Sector. Workers loyal, disciplined and hard-worked. Nation realised that unless good wages are given market cannot be built for produce. All nation prospers together is an economic reality. No national organisation. But Industry-wise cooperative trade unionism emerging as a family type association. Managements also foot marriage bills—mix up for

day-to-day entertainment. Worker once entering always ticks to Industry and is never dismissed. A typical Asian Family.

YUGOSLAVIA : Workers manage all industries—including Railways Accounting by economic units. Income distribution of Industry decided with regional Trade Union and regional peoples bodies for broad items like taxation, development, wage bill and consumer benefit. Much technical effort to achieve equal wage for equal work. But stress of this factor as well as development of finance is felt acutely. Even strikes on these issues. Upper House of bicameral legislation elected on functional basis—representation contribution of industry to National Income. Job Evaluation and productivity given great importance.

ISRAEL : Patriotism a key note. Trade-unionist is Prime Minister. Trade Unions fully involved in formulation and implementation of national plan through innumerable committees at all levels. Employers bureaucrats, technocrats regarded as executors. Wages and consumption considered as investment in human beings encouraging them to unfold their infinite potentialities. The growth pattern has forced economists to rethink their economic concepts. All interest groups taking each other as patriots. Do wide consultation for National prosperity on pragmatic lines and so a unique economy which had to pay no Social costs for developing Industry and Defence. Labour Productivity increasing by bounds due to character and organisation.

—

# LABOUR LEGISLATION

## Analysis of Legislation.

An analytical study of the legislation over the past hundred years reveals a positive shift in Legal & Social thinking on the law of employment.

We find that the earliest attempt to 'regulate' employment consisted of enactments, such as, the Workmen's Breach of Contract Act of 1859 and Employers and Workmen's (Disputes) Act of 1860 which rendered workmen liable to penal consequences under the Indian Penal Code 1860, for breach of contract. Trade Union was considered to be a criminal conspiracy. In a suit against Madras Textile Labour Union, the High Court of Madras held that to form Trade Unions, amounted to being parties to an illegal conspiracy.

Juristic Ideas of Workers' rights have undergone a revolutionary change and it is now universally accepted that labour is longer a commodity and that the legislation is essential to protect and promote the health, moral and welfare of the employees, suffering from unequal bargaining power and exploitation by unscrupulous and avaricious employers. The Tribunals have been empowered to redraw and modify the contracts of employment. The Industrial Law has increasingly tampered individual right by social duty.

## Growth of Labour Legislation.

The recommendations of the Royal Commission on Labour popularly known as the Whitley Commission and the conventions of the International Labour Organisation have largely contributed towards growth of industrial law in India.



As the result of the recommendations of the Royal Commissions, which was set up in 1929 and which made its report in 1931, as many as 19 labour enactments were passed during the year 1932-37 by the Central and Provincial Legislatures to implement the Commission's suggestions.

### - LABOUR ENACTMENTS. -

There are on the Statute Book about 108 enactments, both Central and State. These enactments can be divided into the following heads :-

1) Conditions of Service and Employment.	44
2) Industrial Relations .. .. .	14
3) Social Security Legislation .. .. .	21
4) Wages .. .. .	9
5) Safety and Labour Welfare .. .. .	12
6) Holidays .. .. .	7
7) Statistics. .. .. .	1

In spite of so many enactments, the Welfare of the Workers has not been adequately promoted or protected for the following main reasons :-

- 1) Inadequate, untrained and powerless enforcement machinery.
- 2) Lack of cheap, speedy and simple remedy.
- 3) Cumbersome procedure for prosecution.
- 4) Negligible fines and compensation.

### PROPOSED AMEENDMENTS.

Some of the important amendments amongst various others are as follows :

#### (1) Industrial Disputes Act :

- (a) Discretionary powers of Govt. to refer the dispute should be done away with.

- (b) Section 2 (p) of the Act should exclude the settlement directly arrived at with the workers,
- (c) Re-employment under Sec. 25-H should be in original post on original wages with same service conditions.
- (d) Lay-off compensation must be paid by every employer, irrespective of number of employees he employs.
- (e) In case of discharge or dismissal, the worker should have the remedy of direct approach to adjudication machinery, vested with full powers to admit fresh evidence, to decide reasonableness of quantum of punishment and to grant compensation in addition to reinstatement with full back wages.
- (f) The retrenchment should be defined as termination of employment except by way of punishment or retirement.
- (g) If the conditions in Section 25-F for retrenchment are not fulfilled, the workmen should be deemed to be in employment.
- (h) The Govt. should be empowered to reduce the operation of settlement, as it is in the case of awards.
- (i) Section 9-A should be deleted. The service conditions can be changed only by settlement or an award.

## **(2) Standing Orders Act :-**

- (a) It should be made applicable to all industries and establishments wherein 20 or more workmen are employed or were employed on any day in the preceding 12 months.
- (b) The provision for discharge simpliciter should be deleted.

## **(3) Employees' State Insurance :-**

- a) Rate of various benefits should be raised to full wages
- b) State must contribute towards the E. S. I. Scheme.
- c) Corporation must invest reasonable Percentage of its reserve fund in housing schemes.

#### **(4) Minimum Wages Act :-**

Minimum Wages Act must provide for linking of wages to consumers price index number so as to provide 100 % neutralisation.

#### **(5) Payment of Bonus Act :-**

- a) It should be made applicable to all workers, irrespective of character of employer.
- b) Development rebate and Super profits Tax should not be allowed as a prior charge.
- c) In the cases of partnership firm, only firm tax should be allowed
- d) Establishment not covered by Bonus Act must pay bonus according to L. A. T. formula.
- e) Time limit should be prescribed for declaration of bonus, along with detailed calculation .
- f) The burden of proving correctness of profit and loss account and balance sheet must lie on the employer.
- g) Every worker should be entitled to Bonus, even if he is dismissed for any reason.
- h) Every worker should be entitled to the Benefit of Provident Fund, Gratuity, Sick leave, Casual leave, Sunday-Holiday work-ing allowance and Night duty Allowance.

**(6) The gratuity** should be made payable to the nominee of the deceased employee.

#### **(7) Income Tax-**

- a) Entire amount of gratuity and Provident Fund paid to the worker should be exempt from Tax.
- b) Contribution to Provident Fund, E.S. I. Scheme or any other Statutory Scheme must be exempted.

**(8) Criminal Laws:** Section 506 of Indian Penal Code dealing with punishment for Intimidation and Sec. 107 of Criminal Procedure Code dealing with Security for keeping the peace should not be applied to Industrial field and Trade Union activities.

(9) COMPANIES ACT AND INSOLVENCY ACT: Sec. 530 of the Companies Act and Sec. 49 of Presidency Town Insolvency Act should be amended so as to grant priority to entire amount of wages over the debts, other than Govt. dues.

### CODIFICATION OF LABOUR LAWS

Codification of all Labour Laws with one executive machinery for its administration and one judicial machinery for adjudication is essential for speedy dispensation of justice and proper enforcement of Laws :-

The codification of labour laws should be brought about by providing for different chapters on the following subjects :

1. Definitions.
2. Trade Unions and Recognition.
3. Law on payment of wages.
4. Various claims and benefits such as retrenchment compensation, lay off, gratuity, overtime etc.
5. Conditions of work.
6. Conditions of service.
7. Law on apprentices.
8. Law on Statistics.
9. Law on Industrial Disputes (including strikes).
10. Authorities under the code and procedure, powers and duties of Authorities.
11. Intergrated Social Security Scheme.
12. Penalty and offences.
13. Miscellaneous.

### Certain Important Suggestions :

1. The important expressions like 'Industry', 'Employers', 'Employee', 'Wages' and 'Industrial Dispute' should be made comprehensive and uniformly defined.

2. Labour Prosecutors must be appointed to represent organised labour, if approached by individual employee and organised labour, if recommended by labour officers. They should have powers to institute the proceedings for trial of any offence punishable under the code.

3. Labour Court shall deal with all individual cases and trial of the offenders on prosecution. Technical Tribunal shall deal with the technical matter and industrial Tribunals with all other matters.

4. Any employee can directly approach the Labour Officers, the Recovery Offices, Labour Prosecutors and the Labour court as the case may be. Reference to Industrial Tribunal or Technical Tribunal may be made jointly by the workmen and Employer directly or through Labour Officers, who shall be bound to transfer every dispute for adjudication to the said Tribunals in case of failure to settle the dispute, without any intervention of the Govt. Any employee, Trade Union or Labour prosecutor can institute the proceedings in the Labour Court for Trial of any offence punishable under the Code.

The reasonable time limit should be statutorily prescribed for disposal of any matter by various authorities, taking into consideration the nature of industrial matters.

The Tribunal or Arbitrator shall grant retrospective effect to their awards, at least from the date of joint reference or from the date of transfer of the dispute for adjudication by the Labour Officers.

5. For recovery of wages, the following provisions should be made :-

( i ) Recovery Officers should be appointed to recover the wages on the application made by a workman.

( ii ) Compulsory payment of interest at the minimum rate of  $1\frac{1}{4}\%$  per month on the unpaid amount from the due date.

( iii ) Penalty of amount equivalent to 2% of the unpaid wages for every month.

( iv ) If wages are not paid within 15 days of notice, Recovery Officers should be empowered to release the unpaid wages along with interest, penalty, compensation and costs by one or more of the following modes :-

a) by attachment and sale of movable or immovable property;

b) by arrest of the defaulting employer and his detention in prison;

c) by appointing a receiver for the management of defaulting employer's property.

d) by recovery from the debtor of the defaulting employer.

(v) The habitual breach of the Law should be listed as Cognisable offence and punishment of imprisonment should be provided.

(vi) No appeal or writ petition against the order of the Recovery Officer or Payment of Wages court or Industrial Tribunal or Technical should be admitted unless and until the employer has deposited the entire amount, payable to the workmen by virtue of the impugned order or award, in the court and the original receipt of the same is attached with the petition or memorandum of appeal.

(vii) On admission of the appeal or writ petition against the award, which directs the employer to enhance the wages, the employer shall be required to deposit in the court every month the entire amount of enhanced wages payable to the workmen under the award, till the final disposal of the appeal or petition.

(viii) Any strike for the purpose of recovery of wages shall be legal and justified and the defaulting employer shall pay the full wages for the entire period of such strike.

7. A separate Board comprising of known personalities in the field of religion be constituted in every State to deal with the cases of employees—priestly and otherwise—of all religious institutions within the State. Even separate Boards may be set up for institutions of different religions.

8. So far as protection of trade union law is concerned, Associations or pensioners ex-servicemen should be brought at par with the unions or associations of which they were entitled to become members while in active service.

9. It is our considered view that in a country like India, the Labour Policy must take cognisance of the plight of the self-employed artisans and craftsmen as well as the industrial workers. The Ministry of Labour & Employment should have a separate department under it to safeguard the interests and look after the welfare of these self-employed craftsmen and artisans who, according to BMS, constitute the Vishwakarma Sector. The department should conduct artwise and craftwise census of this sector. It should possess complete information regarding their credit facilities; sources and prices of their raw material; their present process of manufacture and the results of the research work to be conducted by the Ministry for their benefit.

# LABOUR PSYCHOLOGY

## 1) Need For Psychological Approach :—

- a) We are dealing with men who have feelings, emotions, attitudes, behaviour etc.
- b) to achieve emotional integration.
- c) to command loyalty.
- d) to overcome successfully the unfavourable circumstances psychological approach is a must.

## 2) Individual Versus Group Attitude :

- a) Attitude of an individual will not be the when acting in group.
- b) Factors determining group psychology — historical, social traditional, temperamental etc.

Attitudes form the opinion. Some facts with different attitudes will give rise to different opinions.

A) Attitudes are not always logical and are even contradictory yet we can not ignore them.

B) Well forming a trade union the study of group psychology is necessary. Workers should be made to feel (a) the necessity of building a group (b) security in the group (c) merge their individualities.

C) Charter of Demands may raise the following problems.

- (a) neglect of category (b) Favoritism of a category.

D) Settlements do not satisfy all. Tactfully prepare the workers psychologically to accept the terms of the settlement.

(3) ADJUDICATION: The problem of waiving interest. The problems arising out of delay in proceedings are to be tackled in adjudication

(4) **STRIKE** – (a) keeping up morale and tempo during strikes, (b) safety against rumors and misunderstanding (c) Problem of withdrawing the strike.

5) TECHNICAL APPROACH.

- a) democratic consultation.
- b) clear and open working plans.
- c) avoiding frustration.
- d) Not to rely too much on artistical and unrealistic methods to rouse the emotions.
- f) To prepare the workers during strike and strengthen for
  - (i) a long drawn out struggle (ii) suffering (iii) chance of total failure.

The need to maintain faith, sincerities and open mindness and confidence to change the attitude is grate.

6) Honesty of purpose should be transparent – should not give room for suspension.

7) Creating group leader – personal contact and attention.

8) Making workers B.M.S. minded keeping a high and noble idea before workers will come to our help in dealing with psychological a vagaries of the workers.





# मा कर्स वा द

✽ मा. दत्तोपंत ठेंगडी

हमारा एक भावात्मक दृष्टिकोन है और यह दृष्टिकोन है कि भारतीयताके आधारपर पुनर्रचना हो। जब हम भारतीयताके आधारपर पुनर्रचनाका विचार करते हैं तो स्वभाविक रूपसे इसके प्रतिकूल जितनी भी बातें होंगी, सिद्धांत होंगे, जो विचार होंगे, उनका विरोध हमारे द्वारा होता है। इसके कारण कभी कभी गलतफहमी भी होती है। यह भारतीय मजदूर संघ क्यों पैदा हुआ ? तो केवल कम्युनिस्टोंका विरोध करनेके लिये पैदा हुआ ऐसा भी सोचनेवाले लोग हैं। अब यह बात तो सत्य नहीं। हम किसीका विरोध करनेके लिये निर्माण नहीं हुए। हम तो अपने समाजकी पुनर्रचना करनेकी दृष्टीसे, उसका एक महत्पूर्ण अंग इस नाते मजदूर क्षेत्रकी रचना करनेके लिये आगे बढ़े हैं। फिर भी विरोध होता है। जैसे कि किसी कमरेमें अंधेरा हो और वहाँ यदि हमने अपना दिया जलाया, तो हम तो कोई नारा नहीं देते की अंधेरेने कमरेमेंसे हटना चाये किन्तु साधारण परिणामके रूपमें जैसेही हमारा दिया जल जाता है। अंधेरा हट जाता है। तो यह सोचा जा सकता है, की माई ये अंधेरेका विरोध करनेवाले लोग हैं। इस अर्थमें यदि देखें तो हम विरोधक हैं। अपना भावात्मक पॉझिटिव्ह काम करते हुआ भी, क्यों कि उसके प्रतिकूल, विरोधी विचार रचनाओं आज काम कर रही है। हम अपनी पुनर्रचना करते करते स्वभाविक रूपसे उनको पीछे हटानेका काम करना पड़ेगा। ऐसे जो विचार है उनमें प्रमुख विचार याने माकर्सने दिया हुआ विचार है उनके विचारोंके विषयमें हमारी भावनाओं इस तरहकी प्रतिकूल क्यों ? यह समझ लेना भी बड़ा आवश्यक है। क्या हम माकर्सवादके प्रतिकूल केवल इसलिये हैं कि वह राष्ट्रद्रोहका प्रचार करता है ? कम्युनिज्मके कारण राष्ट्रद्रोह फैलाता है यह बात साफही है। उदाहरणके लिये ही केवल बताया जाय

तो दूसरे महायुद्ध के समय जैसेही हिटलरकी फौज फ्रान्समें घुस गयी तो चूँकी हिटलर और स्टैलिनका उस समय समझौता था फ्रान्सके डिफेन्स इंडस्ट्रीओंमें काम करनेवाली कम्युनिस्टोंकी युनियनोंने अपने मातृभूमिके विरोधमें जाते हुअे आक्रमक हिटलरकी फौजोंका स्वागत किया । कुछ समय के बाद जैसेही अमरिका और रूस का समझौता हो गया, रूसके विषयमें अमरिकाके मनमें कोई संदेह न रहे इस दृष्टिसे स्वयं अपने नेता कहनेवाले कम्युनिस्ट पार्टीके अमरिकाके प्रमुख वावडर साहबने ऐसी घोषणा की कि 'कॅपिटल हॅब एण्डरी राइट टु मोनोपोलाइज इटसेल्फ' अब कोई मजदूर नेता यह कहे ऐसी कोई कल्पना की जा सकती है क्या ? किन्तु यह कहा । क्यों कि अपनेही देशके मजदूरोंका विरोध करनेमें यदि उसके कारण कम्युनिज्मका सेंटर प्रसन्न होता है तो कोई आपत्ती नहीं यह भावना थी । हमारे देशमें भी १९४२ के समय सारी जनता स्वातंत्र्य संग्राममें जुटी हुई थी और चूँकी रूस और ग्रेट ब्रिटनका समझौता हो गया था यहाँके कम्युनिस्टोंने ग्रेट ब्रिटनके युद्धको पीपल्स वॉर घोषित करते हुअे स्वातंत्र्य संग्रामके पीठमें छुरा धुसानेका काम किया । यह हम जानते हैं चीनी आक्रमणके समय यह आक्रमण है या नहीं और अगर होगा तो उनका हमारे ऊपर है या हमारा उनके ऊपर है यह भी चर्चा जिन लोगोंने चलाई उनके राष्ट्रद्रोहितके विषयमें और कुछ कॉमैट्यूड करनेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु क्या वह राष्ट्रद्रोही है इसीलिये हम उनका विरोध करें ?

दूसरा विचार आता है । हम सब लोग जानते हैं, कि कम्युनिज्म ट्रेड युनियनके भी विरोधी है । वह मजदूरोंके भी विरोधमें है । यहाँ हमारे कुछ भोलेभाले लोग भलेही समझते हो कि भाई मजदूरोंका कॉज याने कम्युनिज्म ! वास्तवमें यह बात नहीं यह सब लोग बानते हैं । परसों मैंने जैसे निर्देश किया था-कार्लमार्क्सने स्पष्ट रूपसे यह लीखा है कि 'जेन्युइन' ट्रेड युनियनको नहीं चलने देना चाहिये । क्योंकि हमारा उद्देश है अन्तिम कम्युनिस्ट क्रांति । यह तभी हो सकता है जब मजदूर भूका रहेगा, प्यासा रहेगा, असन्तुष्ट रहेगा तभी तो वह क्रांतीके लिये मरनेकी तैयारी करेगा । जेन्युइन ट्रेड युनियनके द्वारा उसकी जो तात्कालिन भौतिक आवश्यकताओं हैं उनकी पूर्ती होती है, और जिनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है वे फिर हमारी क्रांतीके लिये मरनेको क्यों तैयार होंगे ? इस दृष्टिसे जैसे हर संस्था में कम्युनिटोंने घुसना चाहिये चाहे ट्रेड युनियन हो या मजबूत मंडल हो और उसको अपने पार्टी के माध्यम के नाते उपयोग में लाना चाहिये-वैसे ट्रेड युनियन में जरूर घुस जाइये, इनफिल्ट्रेड कीजिये इसको डॉमिनेट करने का प्रयास कीजिये ! किन्तु वह सही ट्रेड युनियननिज्मके आधारपर नहीं चलती यहभी देखिये । और उसके द्वारा असन्तुष्ट मजदूरोंको झडकानेका काम किया जायेगा यह देखिये यह स्पष्ट बात

काल मार्क्सने कहा है। इसीको आगे बढ़ाते हुए लेनिन्ने स्पष्ट रूपसे कहा कि माई पार्टीके लिये स्कूल ऑफ कम्युनिज्मके नाते हमें युनियन में घुसना है। फिर जो कम्युनिस्ट नहीं है उनके खिलाफ झूठा प्रचार करो, गलत बातें कहो, लोगोंको मिसलीड करो इत्यादी सारी बातें लेफ्ट इन कम्युनिज्म नामके किताबमें आपको पढ़नेको मिलेगी। उनकी अच्छाई इतनीही है कि जो उनके मनमें था उन्होंने ब्लैक अॅन्ड व्हाइटमें लिख दिया। तो इस तरहसे ट्रेड युनियनके विषयमें कम्युनिस्टोंकी धारणा है ! अब जो लोक समझते हैं कि ट्रेड युनियन उनका सही हथियार है वह गलत है ! उल्टा कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ ट्रेड युनिऑनिज्म पहुँचे अथवा वहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सका। जैसे मार्क्सने कहा था कि जहाँ इंडस्ट्रीलायझेशन जादा हो इसके कारण इंडस्ट्रीअल वर्कर्स की संख्या जादा हो, वहाँ कम्युनिस्ट क्रांती पहले होगी ! तीन देश इस तरहके थे जर्मनी, ग्रेट ब्रीटन, अमेरिका ! किन्तु तीनों देशोंमें अभिमत क्रांती नहीं आयी ! और क्रांती पिछडे हुए देशोंमें आयी ! कहा चायना कहीं रूस ! मानों यह मार्क्सके भविष्यवाणीके प्रतिकूल बात हुआ। और इसका कारण अगर कुछ होगा तो ट्रेड युनियन और को-ऑपरेटिव्ह ये दो आन्दोलन जर्मनी ग्रेट ब्रीटन और अमेरिकामें बन्दमूल हुए थे। तो ट्रेड युनिऑनिज्म और कोऑपरेटिव्ह आन्दोलन पहुँचे जहाँ अच्छा चलता है वहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता है, यह बात स्पष्ट है। जहाँ कम्युनिज्म आया मानों रूस और चायना वहाँ ट्रेड युनिऑनिज्म नहीं था यह भी आपको देखनेके लिये मिलेगा। कोई बड़ी औद्योगिक मजदूरोंकी संख्या नहीं थी, रूस और चायनाका उन दीनोंमें बड़ा इंडस्ट्रीलायझेशन नहीं हुआ था, और युनियन्सके आधारपर क्रांती हुअी ऐसा कहनेकेलिये कोई गुंजाइश नहीं थी। क्रांतीके बाद भी कम्युनिस्ट देशोंमें ट्रेड युनिऑनिज्म पनप रहा ऐसा नहीं दीखता। उल्टे यही दृश्य दीखता है कि ट्रेड युनिऑनिज्मको खतम करनेका प्रयास चल रहा। रूसमें ट्रेड युनियनको अब कोभी भी स्वातंत्र्य नहीं-अपने पदाधिकारियोंका स्वयं चुनाव करनेका स्वातंत्र्य नहीं। पार्टीकी ओरसे जो सैक्रेट आयेगा उसीके अनुसार पदाधिकारियोंको चुनना पडता है। हमारे यहा बैंक कर्मचारी खिलाफ आंदोलन चला रहे है। हमने कम्युनिस्ट माईओंको कहा कि माई आपको आंदोलन चलानेका कोई अधिकार नहीं वह तो हमे ही है। आपको अधिकार नहीं इसलिये कि आपके देशोंमें, चाहे वह मातृदेश रहे या पितृदेश रहे रूस रहे या चायना रहे तो आपके देशोंमें फौटी... के समकक्ष ऐसा कोई अधिकार मजदूरोंको नहीं। रूसके भी और चायनाके भी बैंक कर्मचारी उस तरहका डेनोनस्टेशन नहीं कर सकते, जिसको ३६ ए.डी. के द्वारा प्रोहिबिड किया गया है। रूसमें हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट क्रांतीके पश्चात मजदूरोंने लगभग प्रतिपाल बिद्रोह किया, लाखोंकी संख्यामें उनको मारा गया। हम लोग यह जानते हैं मजदूरोंको स्ट्राइक करनेका कोई स्वातंत्र्य नहीं। अपनी माँगके लिये क्लेक्टिव्ह वागेनिंगके लिये कोई प्रेशर टेक्टिक्स का स्वातंत्र्य नहीं। सरकार

और मजदूरके बीचमें लियासन नातेही यूनियनको काम करना पड़ता है। माने सरकारकी जो प्लॅनिंग होगी उसको कार्यान्वित कारवानेकी दृष्टीसे यूनियनके पदाधिकारियोंका उपयोग होता है। मुझे स्मरण है कि अभीके हमारे दौरेमें हमलोग ताश्कंद गये थे। वहाँ लेनिन कलेक्टिव्ह फार्मपर हमको ले गये। तो वहाँ हमने चेअरमन साबको पूछा कि साइब आप यह बताइये कि आप चेअरमन बने कैसे ? यूवेअर इलेक्टेड, और सिलेक्टेड और अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड—ऑर व्हॉट ? तो उन्होंने कहा इलेक्टेड। हमने कहा, माई किसने आपको इलेक्ट कीया ? उन्होंने कहा हमारे फार्मपर यह १६०० फार्मर्स हैं उन्होंने हमको इलेक्ट किया। फिर आघा घंटा इधर उधरकी बातें की फिर धीरेसे पूछा कि यहाँ कुछ ट्रेड यूनियन्समी चलती हैं ? बोले हाँ हाँ। यहाँके फार्मर्स की यूनियन हैं। तो हमने कहा, यूनियनके पदाधिकारी जो है उनका चुनाव कौन करता है ? वे भूल गये थे कि आघे घंटेके पहले हमने क्या कहा था ! बोले हमारे फार्मर्स ! तो फिर हमने पूछा कि क्या इसका मतलब यह होता है कि मैनेजमेंटके पर्सनलका चुनाव करनेवाला जो इलेक्टोरेट हैं वह और ट्रेड यूनियनके पदाधिकारियोंका चुनाव करनेवाला इलेक्टोरेट दोनों आयेडेंटिकल हैं ? तो उसमेंसे वह कोई जादा रीगल और नहीं कर सका ? तो वास्तवमें कोई स्वातंत्र्य नहीं और यूरोपमें भी जहाँ आज मजदूरोंका शासन है वहाँ मजदूरोंने भी अपनी इच्छा से इन शासनोंका स्वागत नहीं कीया। उल्टा हम देखते हैं कि हंगेरी में ईस्ट जर्मनी में लडाइयाँ हुआ, वहाँके किसानोंने, मजदूरोंने कम्युनिस्टोंके खिलाफ लडाइयाँ, की हैं ! यह बात ठीक है कि रशियन टैंक्स अॅन्ड रशियन बुलेटस चेअर मोअर पॉवरफुल ! और आजभी वहाँ कोई बड़ी स्वस्थता है ऐसा दिखाई नहीं देता। चायना की तो बातही छोड दीजिये। चायना में जेन्युइन ट्रेड युनॅनिशम अब न चले इसलिये कम्युनिस्टोंने भरसक प्रयास कीये, वहाँ ट्रेड यूनियनके नेताओंने कम्युनिस्ट शासकोंका विरोध किया फलस्वरूप दंड साल पहले उन्होंने ऑल चायना ट्रेड यूनियन्सको डिशॉल्व कर दिया। और इज्जतसे मुक्त हो गये। माने इस तहरसे अन्टी लेबर पॉलिसीज को लेकर कम्युनिज्म चल रहा है यह बात स्पष्ट है। तो क्या हम इसीके लिये उसका विरोध कर रहे हैं ? यह बात ठीक है कि वह अन्टी नेशन है, यह बात ठीक है कि वह अॅन्टी लेबर है किन्तु केवल इसीलिये हम विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध जो हमारा है वह इसीलिये है कि कि उसके द्वारा समाजकी धारणा नहीं हो सकती। चाहे हमारा समाज रहे रूसका समाज रहे, चायनाका समाज रहे जहाँ वहाँ मनुष्योंका समाज है उसकी धारणा इसके द्वारा नहीं हो सकती। हम थोडा सोचे, बहुत जादा गहराईमें न जाते हुअे भी - की उनके सिद्धांतोंका आधार क्या है ? मटीरिअॅलिज्म है। मौक्ततावाद है। अब मटीरिअॅलिज्मका मतलब मैंने आपको बताया कि सारा अस्तित्व जो निकला है वह मेंटरसे निकला है, और मन वगैरे जो बात है, बुद्धी वगैरे जो बात है यह कोअी नेसिक फडॅमांटल चीज नहीं है।

माइंड इन ओन्ली ए सुपर स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर और जो कुछ भी है मॅटर है, इस आधारपर सारी फिलॉसॉफी निर्माण हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि मटीरिअलिज़्म हमारे लिये तो बिल्कुलही नया नहीं है। हमारे देशमें स्पिरिच्युअलिज़्मकी बात तो बहुत चलती है। इसलिये लोग मानते हैं कि हम मटीरिअलिज़्म का पता नहीं। गलत बात है। वास्तवमें मटीरिअलिज़्मका प्रारंभही हिन्दुस्थानमें हुआ। पाश्चिमात्य जगतमें तो २००० वर्ष पहले डेमोक्रीटस नामका जो एक ग्रीक तत्ववेत्ता हो गये उन्होंने मटीरिअलिज़्मका प्रारंभ किया। किन्तु हमारे यहाँ तो बिल्कुल प्राचीन कालमें ब्रह्मस्पतीने मटीरिअलिज़्मका पहला सूत्र कहा है जो सूत्र सुप्रसिद्ध है— 'असतो सत् अजायत'—अनस्तित्वसे अस्तित्व आया—और ऑफ नॉन अँक्विस्टेन्स इमजेंड अँक्विस्टेन्स—इस प्रकारका एक बड़ीही धृष्टताकी बात कही और उसके बाद धीरे धीरे मटीरिअलिस्टिक फिलॉसॉफीके बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग तैयार हुए, उन्होंने प्रचार किया। उनके अन्तीम आचार्य चार्वाक बड़ेही प्रसिद्ध हैं। और आजके जो प्रोग्रेसिव्ह हमारे कम्युनिस्ट लोग, हमारे धर्म और उसके खिलाफ बोलते हैं, उनसे कम बोलनेवाले तो चर्वाक नहीं थे। कितने अश्रद्धामय थे इसका भी उदाहरण देना हो तो १।२ उदाहरण दूंगा चार्वाकने कहा, कि भाई ये जो सारे धर्म और वगैरेह बात बोलते हैं झूठ है। उन्होंने कहा कि "न स्वर्ग नापवर्गोवा नवाप्मा पारमार्थिकाः नैव वर्णाश्रमादीनाम् क्रियाश्च फलदायिकाः" यहाँ स्वर्ग नहीं है, अपवर्ग नहीं है कोई यहाँसे ऊपर आत्मा है यह बात भी गलत है। और यह जो वर्ण बोलते हैं आश्रम बोलते हैं, धर्म बोलते हैं; इससे कोईभी फल प्राप्त होनेवाला नहीं है। श्राद्धके समय जो पिण्डदान करते हैं उनके बारेमें कहा, यदि यहाँ पिण्ड देनेसे पितर स्वर्गमें तृप्त हो जाते हैं, तो ब्राह्मण लोगोंने ऊपर सेकंड स्टरीपर बैठना चाहिये हम यहाँ उनको नैवद्य देते हैं, पिण्डदान करते हैं; उनको वहाँसेही तृप्त होना चाहिये यह कहा, चूँकि बली देनेके कारण यदि पशु स्वर्गमें जाता है, और यज्ञ करनेवाले लोगोंको पशुको स्वर्गमें भेजनेकी इतनी जल्दी है तो वही जल्दी अपने पिताजीके बारेमें क्यों नहीं दिवाते ? तो उन्होंने कहा कि 'स्वपिता-यजमानेन तत्रं कस्मान न द्विसते'—माने इस तरहसे, उन्होंने यहाँतक कहा कि आप वेद वगैरेह क्या बोलते हैं ? 'त्रय वेदस्य कर्तारः' तीन लोगोंने वेद बनाया ! भाई कौन ? धूर्त, मण्ड, निशाचरा ! ऐसा बोला ! माने यह सब कहनेवाले लोग अपने यहाँ थे। यह कोई आजके प्रोग्रेसिव्ह लोगोंकी ठेकेदारी नहीं है कि वोहो कहें। यह पहलेभी कहा गया। इसका एक बड़ा सिस्टिमेंटिक सायन्स निर्माण हुआ जिसको लोकायतशास्त्र कहा गया। जिसका सूत्र है 'लोकायतमेवशास्त्रम्' यही सायन्टिफिक है वाकी सब अन् सायन्टिफिक है। और इसकी विशेषता क्या ? 'प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्' जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, 'अनुमानम् अप्रमाणम्' अनुमानसे जो बोलते हैं कि भगवान् है; नहीं है वगैरे सारी चर्चा जो चलती है वह अप्रमाण है ! बड़ा एक

अच्छा सायन्स मटीरिअॅलिङ्गमका अपने यहाँ निर्माण हुआ। अब यदि वह चला नहीं इसका मतलब यही है कि 'इन फ्री अॅन्ड फेअर बॅटल, मटीरिअॅलिङ्गम वॉज डिफिटेड'। तो हमारे लिये यह कोई नयी चीज नहीं है। किन्तु कोई कहेगा कि भाई भारतीयताका जब नाम लेते हैं तो भाई आप अॅन्टि मटीरिअॅलिस्ट है। तो भाई हम अॅन्टीमटीरिअॅलिस्ट नहीं। अॅकॅडॅमिक ओपीनियनके नाते कोई मटीरिअॅलिङ्गमको लेकर चलेगा हमें कोई आपत्ती नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो विचार स्वातंत्र्य है। मानो जितने षडदर्शन हैं वो भी सभी कोई भास्तिकतावादी हैं ऐसी बात नहीं। बड़े प्रसिद्ध आचार्य जो 'कणाद' थे उनके विषयमें तो प्रसिद्ध है कि वे सायन्टिफिक अॅनॉलॉजी करते करते अॅटम तक पहुँचे। अॅटमका अॅनॉलॉजीस वे कर नहीं पाये। तो ही उनको मृत्यू आयी। मृत्यूके पहले पत्नीने कहा, कि भाई सारे जीवनमें तो भगवानका विरोध किया अब मृत्यूकी वेला आ गयी है, अब तो कमसेकम भगवान का नाम लेकर स्वर्गमें जाइये ! तो उन्होंने कहा, भगवान का मुझे तो पता नहीं, मैं उसका कैसे नाम लूँ ? तो 'किल्वः किल्वः' कहते हुअे उनकी मृत्यू हुअी ! किल्वः याने अॅटमस। अब इससे अधिक सायन्टिफिक थिंकिंग, मैं नहीं समझता दूसरे कहीं हो सकती है। तो इस तरहके लोग थे जिन्हें हमने आचार्य कहा ! अब भगवान बुद्ध थे, उन्होने कहा भाई भगवान है। नहीं, ईश्वर है, नहीं इस इंड्रटमें में जाताही नहीं ! प्रॉक्टिकल क्या क्या करना है इतनाही बताउंगा। उनकोभी हम भगवान मानते हैं। श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरहसे मटीरिअॅलिङ्गमको एक अपना अॅकॅडॅमिक ओपीनिअनके नाते व्यक्तीने रखने में कोई आपत्ती नहीं। किन्तु मटीरिअॅलिङ्गमको यदि कोई समाजरचनाका आधार बनाएँ तो हम उसका विरोध करते हैं। व्यक्तिगत ओपीनिअनके नाते विरोध नहीं करते। यहाँ मटीरिअॅलिस्ट बनने का पूरा स्वातंत्र्य है। आप हिंदुस्थानमें कुछभी बन सकते हैं। और सब कुछ बनने के बाद भी आप भारतीय ही हैं और कुछभी नहीं। तो सबको विचार स्वातंत्र्य है, लेकिन कोई यदि आग्रह करेगा कि समाजरचना चाहे हिन्दुस्थानकी हो, चाहे रुसकी हो मटीरिअॅलिङ्गमके आधारपरही हो सकती है—तो फिर उसका विरोध करना आवश्यक हो जाता है ! क्यों की यह समाजकी धारणाका सवाल है।

अब हम यह सोचें कि वास्तवमें मटीरिअॅलिङ्गमके आधारपर समाजरचना हो सकती है क्या ? और स्वयं माक्सनेमी अपने सामने जो लक्ष्य, जो टार्जेटस् जो उद्देश रखे थे वे पूरे हो सकते हैं क्या ? हम उदाहरण के तौरपर इसका विचार करें। जहाँ मटीरिअॅलिङ्गम आ जाता है वहाँ 'मटीरिअॅलिस्टिक व्हॅल्यूज ऑफ लाइफ' आ जाती हैं। भौतिक जीवनमूल्य आ जाते हैं। मानो यह सोचा जाता है, जैसा माक्सने सोचा, कि मनुष्य यह आर्थिक प्राणी है। मॅन ईज अॅन इकॉनॉमिक बीईंग ! और कुछ भी नहीं ! आर्थिक

प्राणी है। माइंड इज ए सुपरस्ट्रक्चर ऑफ मॅटर। इस दृष्टीसे जो विचार है, भावना है साहित्य है, कला है, रिलिजन है, एथिक्स है, यह सारा मॅटरका सुपरस्ट्रक्चर है। जैसे विशिष्ट कॉम्बिनेशनमें यदि कुछ पदार्थ आ जाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल थिंग। कुछ कॉम्बिनेशनके कारण, फंडामेंटलके कॉम्बिनेशनके कारण फर्मेंटेशन हो गया। वैसे मॅटरके जो अणू हैं उनके विशिष्ट कॉम्बिनेशनके कारण आपके मनमें कोई कविता आ जाएगी, कोई सायन्टिफिक इन्वेन्टिन्स आ जाएगा किन्तु जो कुछ भी है मॅटर है, एसा यदि सोचा जाय, तो मनुष्य केवल भौतिक प्राणी है, आर्थिक प्राणी है यह मानना पडेगा। बाकी कुछ नहीं। इमोशनल बीइंग नहीं, इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं, स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, नथिंग बट इकॉनॉमिक बीइंग। और फिर इस दृष्टीसे इतिहासका उन्होंने इन्ट्रिंटेशन किया। कहा कि इतिहास जो कुछ भी हुआ है वह सारा मटीरिअल कन्सीडरेशन्स के कारण हुआ। वो कुछ भी इतिहास हो भौतिक घटनाओंके कारणही हुआ है। और फिर जीवनमूल्यभी भौतिक ताके कारणही आ जाते हैं। तो माई मामूली बात का भी विचार करें तो यह सबकुछ ख्याल में आ सकता है। बहुत बड़े सिद्धांत की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यदि हमने कहा कि मटीरिअलिज्म सही है या गलत है इसका निर्णय करने का ठेका हमने नहीं लिया। वह बड़े विद्वान लोगोंका काम है — जैसेकी कल मैंने आपको बताया। कि यद्यपि मार्स्केन न्यूटनके फिजिकल सायन्स के आधारपर मॅटर—को फंडामेंटल माना तो भी जैसेही आइनस्टाइनने यह लोज की कि मॅटर अेनर्जीमें परिणत हो सकता है, अेनर्जी मॅटरमें परिणत हो सकती है, दोनों इन्टर कन्वर्टेबल हैं, तो इसके कारण फंडामेंटल ऑफ मॅटर इज लॉस्ट! और सायन्स आज मटीरिअलिज्मको स्वीकार नहीं करता। किन्तु हम आज इस इंड्रस्टमें जाते नहीं क्यों कि हम न न्यूटन हैं न आइनस्टाइन! हम इतना कहेंगे कि मांड जो विद्वान लोग हैं, वे अपनी लडाई लडने रहें हमें कुछ करना नहीं। आप मटीरिअलिस्ट हैं यों नहीं इसके बारेमें हमें संशय थोडा ही लेना है? इन्डीविजुअली आप मटीरिअलिस्ट चाहे तो हो सकते हैं। किन्तु यह आग्रह हम नहीं चलने देंगे कि मटीरिअलिज्मके आधारपर समाजरचना हो! क्यों? हम मामूली विचार करें, हम सारे मटीरिअलिस्ट हैं, तो हमारे जीवनमूल्य कौनसे होंगे—जैसे आज होते जा रहे हैं। वैसे केवल भौतिक जीवनमूल्य होंगे क्या? मानो रुपयेकी परिमाषामें ही हर चीजका विचार होगा क्या? और इसके कारण क्या होगा? कि यदि रुपयेकी परिमाषामें हर चीजका विचार होता है तो मार्क्सने जो कहा है कि माई इक्वैलिटी आनी चाहिये वह कमी आ भी नहीं सकती। और इक्वैलिटी आएगी तो ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं हो सकता। दोनों साथसाथ नहीं हो सकते। मानो इक्वैलिटी भी आ जाय, ह्यूमन प्रोग्रेस भी हो और जीवनमूल्य भौतिकही रहें—तीनोंका इकट्ठा रहना असम्भव है। आप कहेंगे—कैसे असम्भव है?

अब मामूली उदाहरण लीजिये। आपने केवल भौतिक जीवनमूल्य रखें, मनुष्य आर्थिक प्राणी है, यह मान लिया। अब उस दृष्टी से सोचने लगे। अब मैं स्कूलमें जा रहा हूँ तो पढाई करनेमें, अध्ययन करने में, कलाप्राप्त करने में, व्होकेशनल ट्रेनिंगमें मैं जादा मेहनत कब उठाऊंगा? यदि मुझे ऐसा लगेगा कि माई इंसैं मेरे आत्माकोभी संतोष है—स्वान्तःसुखाय है—और दूसरा कि इससे मेरा विकास होगा। मैं यदि भौतिक प्रगतिवाला हूँ तो मैं यह सोचूंगा कि यह विकास वगैरे क्या चीज है? इसमेंसे जादा पैसा मिलेगा तब तो मैं काम करूंगा। अब आपने कड़ा इक्वॉलिटी भी आ जाय। तो कैसी इक्वॉलिटी आ जायेगी? जैसे मारतीय मजदूर संघका सिद्धान्त है कि कमसे कम आमदनी और जादासे जादा आमदनीमें कितना फर्क रहे? हमने कहा एक और दसका रहे! हालाँकी कम्युनिस्ट रूसमें एक और अस्सीका अंतर है। हमने कहा एक और दस का अन्तर होना चाहिये। अब १ और १० का भी अन्तर रहा और मान लीजिये की बड़े आदमी डॉ. राधाकृष्णन है गजेन्द्रगडकर हैं, वह जो बड़े बन गये तो उसके लिये उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत अध्ययन करना पडा। और यदि मेरे जीवनमूल्य केवल आर्थिक भौतिक हैं और मुझे यह इक्वॉलिटी चाहीये तो क्या मुझे पागल कुत्तेने काटा है जो मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जिसके फलस्वरूप राधाकृष्णन और गजेन्द्रगडकर और विश्वेश्वरय्या जैसा आदमी बन सकूँ? मैं कायके लिये कोशिस करूंगा? मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया तो भी स्टेटकी ओरसे मिनिमम नीड्सकी तो पूर्ति होनेवाली है। और बहुतकुछ काम किया तोभी एक और दसके अनुपातसे जादा पैसा मिलनेवाला नहीं। तो फिर आइनस्टाइन बननेकी कोशिस क्यों की जाय? मानो इयूमन प्रोग्रेस के लिये जो इन्सैंटिव्ह चाहिए वह क्या हो? हम यदि कहें, स्वान्तःसुखाय तो स्वान्तःसुखाय नामकी कोई बात कम्युनिज्ममें नहीं है। क्यों कि माईड ही नहीं। माईड होगा तो स्वान्तःसुख होगा। माईड यदि केवल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ मॅटर है तो केवल स्वान्तःसुखवाली बात नहीं! तो फिर आदमी प्रयास क्यों करेगा? और इसलिये रूसमें यह देखा गया कि लोगोका काम करनेका इन्सैंटिव्ह खतम हो गया! अब आप कहेंगे कि इन्सैंटिव्ह दीया तो क्या होगा? आदमी यदि केवल आर्थिक प्राणी रहा और उसको प्रोग्रेसके लिये इन्सैंटिव्ह मिला तो वह प्रोग्रेस बहुत करेगा। इन्सैंटिव्ह आर्थिक रहेगा, इसके कारण डिस्पॉरिटी ऑफ इन्कम बढ़ जायेगी। फिर एकादा बडा बेपारी बन सकता है, इण्डस्ट्रिअलिस्ट बन सकता है, रॉकफेलर बन सकता है, थोर बन सकता है। लेकिन इक्वॉलिटी नहीं आ सकती, आप समझ लीजिये कि दोनोंमें सायकॉलॉजिकली बडा फर्क है। यदी हम इक्वॉलिटी का आग्रह रखते हैं तो फिर आइनस्टाइन और राधाकृष्णन बननेका कोई सम्भव नहीं। क्यों कि कोई इन्सैंटिव्ह नहीं क्यों कि जो बाकी इन्सैंटिव्ह, आर्थिक



और मौक्तिक छोड़कर-बीइंग ए मटिरिऑलिस्ट आप मानते हीं नहीं। और यदि आर्थिक मौक्तिक हैं तो जब तक मुझे जादा पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं जादा काम क्यों करूँ ? यह सवाल आता है। और यदि जादा पैसा देंगे, याने पर्याप्त जादा पैसा देंगे तो रशिया जो है वह बढ जायेगा। अब हमारे यहाँ एक शिकायत आती है। कि माई यहाँके टेक्नीशियन इंजिनियर्स सायन्टिस्ट, डॉक्टर्स, आदी इंग्लैंड, अमेरिका पढ़नेके लिये जाते हैं और वहीं प्रॉक्टिस शुरू कर देते हैं। नौकरी ले लेते हैं ! क्यों नौकरी लेते ? अब अपने नोबल प्राइज विनर जो खुराणा साहब, वे बाहर गये, क्यों गये ? यहाँ हम लोगों उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी यह तो बात सही है। किन्तु दूसरी भी बात है कि केवल मटिरिऑलिस्टिक इन्सेन्टिव होनेके कारण उनको लगा कि माई यह मेरी मातृभूमि होगी लेकिन इससे क्या जादा फरक पडता है ? हम कहींभी जायेंगे, स्वयं आरामसे रहेंगे अमरिकामें जाकर बसेंगे। शायद अपने प्रोग्रेसके लिये वे बसे हो, हम मानते हैं। चाहे मातृभूमिमें इतना पैसा नहीं मिलता जितना अमरिकामें मिलता है, इसलिये अमरिकामें चले गये। याने फिर डिस्पेंसरी बढ जायेगी। माने केवल आर्थिक और मौक्तिक जीवन—मूल्य यदि रहे और और आपने कहा हम डिस्पेंसरी नहीं बढने देंगे तो इन्सेन्टिव फॉर प्रोग्रेस ईज फिनिशड—और आप इन्सेन्टिव फॉर प्रोग्रेस रखेंगे, तो डिस्पेंसरी बुडल बी देअर ! दो मेंसे एक हो सकता है। और यदि कम्युनिस्ट कहें कि प्रोग्रेसभी होगा और इक्वालिटी भी होगी तो दोनों साथसाथ हो नहीं सकती। अब इसका अनुभव रूसमेंभी आ रहा है। आप को यह पता होगा कि पहला स्फुटनिक जब अंतरिक्ष में गया उस समय कुश्नेव साहबका स्टेटमेंट आया—कम्युनिस्ट होनेके कारण अरोगण्ट होना स्वाभाविकही था ' यह जो स्फुटनिक है यह कम्युनिज्मकी यशस्विताका परिचायक है।' तो ब्रून्ड रसेलने दूसरेही दिन उसको अच्छा रिटॉर्ट किया। उन्होंने कहा कि यह कम्युनिज्मके फेल्युअरका परिचायक है। और कारण उन्होंने बताया कि कम्युनिज्मके इक्वालिटीके सिद्धांतके अनुसार बाकी सब रशियन नागरिकोंके समानही आपने सब सायन्टिस्टोंको ट्रीटमेंट दी होती, और उनको प्रिन्सिपल के नाते कोई अेक्स्ट्रा फेंसिलिटीज न दी होती, कभी उनको स्फुटनिक तक पहुँचनेका इन्सेन्टिव प्राप्त न होता तो आपका स्फुटनिक नहीं निकल सकता ! आपने यह जो प्रिफरेन्शियल ट्रीटमेंट दी है इससे स्पष्ट होता है कि कम्युनिज्मके सिद्धांतोंको छोड़नेके कारण सायन्टिफिक प्रोग्रेस हुआ। इस तरह का बडाही अच्छा रिटॉर्ट रसेल साबने दिया। तो इसमें ह्यूमन प्रोग्रेसका इन्सेन्टिव और समानता कैसे आ सकती है ? इसकी किसीनेभी अभी तक कोई सुलझन नहीं दी।

आज वहाँ भी कोई इक्वालिटी की ओर सब लोक बढना चाहते हैं ऐसा दीखता नहीं ! जैसा मैंने कहा की एक और अस्वीका रेशियो है, वह तो है हि। इसके आलावा

मी इन्होंने यह कहा था कि हम क्लासेस खतम करेंगे। इक्वैलिटी हो जानेसे क्लासेस खतम हो जाते हैं। अब ऐसा दिखता है की पुराने क्लासेस तो खतम किये गये किंतु नये रिजिमके अन्तर्गत नये क्लासेस आये हैं। अॅडमिनिस्ट्रेटर्स और टेक्नीशियन्स इन लोगों के अलग क्लास, बाकी सामान्य जनताका अलग क्लास वहाँ दिखता है। यहाँ तक कि यूगोस्लोवाकियाके डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर जिलास ने न्यू क्लास नामकी एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि पुराने क्लासेसको हमने खतम किया और नये क्लासेस हमने निर्माण किये। अधिकारपर रहते हुये क्रुश्चेव्हने एक आर्टिकल लिखा था जो उस स्थानके ल्याबग समी अखबारोमें आया था, उसमें उन्होंने कहा कि 'मेरे सामने समस्या है नये आनेवाले जनरेशनकी। क्यों की बोले, स्कूल कॉलेजसमें हम देखते हैं कि अॅडमिनिस्ट्रेटर्स अॅन्ड टेक्नीशियन्स के जो बच्चे होते हैं वे अलग ग्रुप करके इंटरव्हल में बैठते हैं। और वे सामान्य कूली और बाकी लोगोंके, किसानोंके साथ मिक्सअप करना भी बिलो डिग्निटी मानते हैं। तो यह जो डिस्ट्रैरिटी आती है यह कैसे दूर कीया जाय यह मेरे सामने विचार है।' क्लासेस कहाँ नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे कुछ पता नहीं चलता। वास्तवमें बड़ा क्लासमिक्सका प्रचार कीया जाता है। किन्तु क्लासेस हैं। वास्तवमें, स्मशानभूमीमें—जहाँ वे लोग हम लोगोंको ले गये थे वहाँ पर पत्ता चला कि जिन्दो लोगोंके क्लासेस हैं या नहीं वंगरे विवादके विषय छोडे तोभी मृत्यूके पश्चात् भी क्लास सिस्टम है। मानो लेनिन मासोलियम पास—जो हायक्लास लोग हैं उनकोही गाडा जाता है। बाकी लोगों के सिमेट्री अलग है। भाई ये क्लासेस भी आपने लाये। केवल भौतिक रहने के कारण यह आपत्ती आ जाती है।

अब आप कहेंगे कि इस के लिये भाई इलाज क्या है? इलाज एक है कि आप जरा भौतिक वाद के आधार पर समाज रचना की बात मत करो। अब डिस्कशन करें, आर्टिकल लिखें, भाषण दें कि हाँ भौतिकता वादही सही है हमें कोई आपत्ती नहीं। अब कितनेही लोग कितनीही बातें बोलते हैं। अपने हिंदुस्थान में साधू लोगोंके आश्रम भी हैं और मेंटल असायलमस भी हैं तो किसीनेभी कुछ भी बात कही तो उसमें हमें कोई आपत्ती नहीं। विचार स्वातंत्र्य है, वाक्स्वातंत्र्य है सब कुछ है। लेकिन समाज रचना का आधार मटीरिअॅलिहामको मत बनाइये। हमारे यहाँ क्या था कि मनुष्यको केवल इकॉनॉमिक बीइंग नहीं माना गया। मानों वह इकॉनॉमिक बीइंग है, वैसे इमोशनल बीइंग है, इंटेलेक्चुअल बीइंग, स्पिरिच्युअल बीइंग है और उसकी जो इकॉनॉमिक बीइंग के नाते आवश्यकता है उनकी तो पूर्ती होनीही चाहिये ऐसा माना गया था। क्यों कि जब तक प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं होती तब तक वह आगेका विचार कैसे कर

सकेगा ? यह कहा गया कि आहार, निद्रा, भय मैथुनं च जो है वह तो होना ही चाहिये । इसके सिवा आदमी बढ नहीं सकेगा । लेकिन यह सोचा गया कि यह प्राथमिक आवश्यकतायें हैं । अन्तिम आवश्यकता नहीं है ! और इनकी पूर्ति होनेके पश्चात् धुनको सारे सुख साधन इस लिये उपलब्ध किये जाय, की, जिसके कारण उसको शांतता मिले, फुरसत मिले लिझर मिले । जिसेसकी वो विकास की ओर संस्कृतिकी ओर बढ सके । फिर साहित्य है कला है और सांस्कृतिक बातें जिधर वो बढ सके । मानो सांस्कृतिक बातोंकी और ख्याल करने की दृष्टीसे, पर्याप्त फुरसत और मनःशान्ती होनी चाहिये । इस दृष्टीसे, सारी भौतिक आवश्यकताओंकी उसकी पूर्ति होनी चाहिये । फिर यह सोचा गया की जैसे भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति होने के कारण भौतिक आवश्यकताओंके पिछेही दौड ने में सारा जीवन गुजरना पडे यह भी बात मनुष्यता के लिए प्रतिकूल है । जैसे भौतिक आवश्यकता और भौतिक उपभोगोंमेंही उलझ जाना यह भी बात प्रगतिके लिये बाधक है । तो इस तरह से आवश्यकताओंकी पूर्ति होने के पश्चात् मनुष्यने देवतत्वके ओर बढना चाहिये, संस्कृती की ओर बढना चाहिये यह एक विचार अपने यहाँ रखा गया । इसके कारण जीवनमूल्य दूसरे तरहके थे । अब उनको मैं एकदम 'स्पिरिचुअल' बोलना या न बोलना इसका फैसला नहीं दे सकता—लेकिन मटिरिअेली-स्टीक नहीं थे इतना कह सकता हूँ बाकी नाम कुछ भी दिजिये । 'नो फाइट फॉरवर्ड्स' इसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ यह सोचा गया की हरएक मनुष्यकी सर्वांगीण उन्नती होनी चाहिये । अब मनुष्यकी सर्वांगीण उन्नती कैसी हो सकती है ? तो लॉगोंने देखा की प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्ति यह तो मानूली बात है । वह पूर्ति होनीही चाहिये । पूर्ति हो जाएगी किन्तु इसका विकास का मतलब ये है की उसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, टेन्सीज है अॅप्टियूड है उनके अनुसार काम करने का उसको आनंद मिलना चाहिये । और इस दृष्टीसे समाजकी रचना इस तरहकी होनी चाहिये कि अॅप्टियूड वाइज अरेंजमेंट ऑफ जॉब, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी, इच्छा होगी उस तरहसे उसको जॉब मिले । गुणकर्मके अनुसार जॉब मिले । और इस तरहसे गुणकर्मके अनुसार यदि काम मिलेगा तो स्वान्तः सुखाय वह काम भी करेगा यह बात स्पष्ट है । आदमी बहुत काम करता है । जिस समय इच्छाके अनुकूल काम रहता है तो फिर Work and rest का जो लाइन ऑफ डिमाकेशन है वह भी खतम होती है । वर्क विक्रमस् रेस्ट यह भी अवस्था आती है तो इस तरहसे मनुष्यका एक विकास भी हो उसके गुणकर्म के अनुसारही हो, और इस तरहसे हरेक व्यक्ति अपना विकास करने हुअे, एक समाजके अंगके नाते रहे, यह बात हमारे यहाँ सोची गयी । और इसमें यह सोचा गया कि इन्सेटिव्हके बारेमें क्या व्यवस्था की जाय ? हमारे यहाँ बडी पिक्यूलिअर व्यवस्था की गयी है । पाश्चिमात्य देश वेज डिफरन्शियल विचार करता है, हमारे यहाँ वेज डिफरन्शियलके साथ स्टेज डिफरन्शियलका विचार किया गया । दोनोंका इकट्ठा विचार ! और यह सोचा गया कि जैसे वेज आदमीको इन्सेटिव्ह देता है वैसे जो विद्युद्द भौतिकतावादी नहीं उसको स्टेजसे भी इन्सेटिव्ह मिलता है । सोशल रेकमिशन भी

इन्सेन्टिव्ह देता है। और इस दृष्टिसे यह भी सोचा गया कि जिस मात्रामें सोशल स्टेटस बड़ा होगा उस मात्रामें उसका चिअर अप, एन्जॉयमेंट छोटा होना चाहिये, उपभोगका दायरा छोटा होना चाहिये। उतना, जितनी सामाजिक प्रतिष्ठा जादा होगी और जितना उपभोगका दायरा बड़ा होगा उतनी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी। आप वेज डिफरन्शियल और स्टेटस डिफरन्शियलमें आपको जो कुछ चाहे वह चुन लीजिये। कुछ भी हो। समाजका नियम कि जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे जादा उसका उपभोगका दायरा सबसे कम, और जिसका उपभोगका दायरा सबसे जादा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे कम। अपने अपने प्रवृत्तिके अनुसार आपको समाजमें कहाँ बैठना है आप सोच लीजिए। मानों आप सभी उपभोग ले सकते हैं लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा कम रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा हाय्येस्ट हो सकती है उपभोगका दायरा छोटा रहेगा। और इसके कारण हमारे यहाँ इन्सेन्टिव्ह रहते हुए भी झगड नहीं हुए। क्यों की जिन लोगोको प्रतिष्ठामें सोशल रेकग्निशनमें मद्दत मालुम होता था—थीईंग नॉन मटीरिअलिस्टिक तो वो बादा वेतन मिलेगे तब मैं अन्वेषणका कार्य करूंगा ऐसा नहीं कहते थे। जादा मिलेगा तब तो मैं लेजिस्लेशनका काम करूंगा ऐसा नहीं कहते थे। लंगोटी लगाते थे, जंगलमें जाते थे लेकिन संपूर्ण समाजका विचार करते हुए लेजिस्लेशन करते थे। इतना बड़ा लेजिस्लेशनका काम संपूर्ण समाजको जिन्होंने दिया है व लंगोटीवाले थे। तो हाय्येस्ट स्टेटस-लोएस्ट वेजेस, हाय्येस्ट वेजेस-लोएस्ट स्टेटस यह हमारे यहाँ रखा गया। और इसके कारण समाजमें संतुलन आया। पाश्चिमात्य बगलमें संतुलन नहीं। आज हमारे यहाँ पीछले बीस इक्कीस सालोंमें संतुलन नहीं इसका कारण क्या है? इसका कारण स्विअर ऑफ अंजॉयमेंट अॅन्ड सोशल स्टेटस गो टुगेदर। पैसेके द्वारा स्विअर ऑफ अंजॉयमेंट बढ सकता है और जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बडी होगी उसकोही जादा पैसा मिलता है उसको अंजॉमेंट जादा मिलती है इसलिये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये झगडा है। आदमी सोचता है कि प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उपभोग भी मिलेगा किन्तु प्रतिष्ठा और उपभोग यदि हम लोगोंने इन्वर्स रेषो में रखा, मान लीजिये कि हमने कहा कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाया जायगा—लेकिन दोसौ दिनतक ब्रत रखना पडेगा, शादीब्याह नहीं कर सकते, कुटियामें चाणक्य के समान रहना होगा, अच्छे फॅन्सी कपडे नहीं पहन सकते, हरदिन दाढी नहीं बना सकेंगे ऐसे सारे अपने नियम बनाये बायेंगे तो मेरा ख्याल है कि आज जो प्राइममिनिस्टरशिपकेलिये कांटेस्ट है उसमेंसे २९% लोग पीछे आ जाएंगे। आप उनको दुसरी भी बात बताइये कि प्राइममिनिस्टर मत बनो—सामान्य व्यक्ती के नाते रहो—यह सारा मिलेगा—दस शादीयाँ आप कर सकते है कोई आपत्ती नहीं। लेकिन तुमको प्राइममिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि सब लोग सोचेंगे कि ब्रह्मचारी रहते हुअे प्राइममिनिस्टर होना इससे दस शादीयाँ करते हुअे सामान्य नागरिक रहनेमें क्या आपत्ती है? ऐसाभी लोग सोच सकते हैं! क्योंकि मिनर रुचिहैं लोकाः। अलग अलग लोगोकी अलग अलग प्रवृत्ती रहती है। तो इस तरहसे सामाजिक प्रतिष्ठा और स्विअर ऑफ एन्जॉयमेंट अिनव्हर्स रेशियॉमें, ए्यस्त प्रमाणमें रखा गया और जो इन्सेन्टिव्ह है वह केवल भौतिक नहीं तो भौतिकके अलावा उसको नाम

कुछ भी दीजिये—मैं जानबूझकर स्पिरिचुअल्सका उपयोग नहीं कर रहा—क्योंकी क्विबिन स्पिरिचुअल अॅण्ड मटीरिअल, देअर आर व्हेरिअस स्टेजेस—किन्तु नॉन मटीरिअल इस तरहके इन्सेन्टिव्ह यह यदि रहा तो समाजमें संतुलन आ सकता है। फिर इन्सेन्टिव्हके कारण डिस्पॅरिटी बढ़नी चाहिये यह आवश्यक बात नहीं। डिस्पॅरिटी न बढ़ते हुए भी समाजका संतुलन आता है। क्यों की जीवनमूस्य अलग हो गया। जहाँ वेज डिफरन्शअलका विचार होता है—जब मूस्यांकन होगा तो वेज अॅण्ड स्टेटस दोनों को मिलकर इन्हॅस्युएशन होगा इसके कारण समाजका संतुलन हमारे यहाँ रहा। यह बात जबतक नहीं होती, आपने सोशॅलिझमका नारा दीया तो भी या तो ह्यमन प्रोअ्रेस रुक जाएगा या इक्वालिटी खतम हो जाएगी तो इस तरहसे मामूली एक उदाहरणसे सिद्ध होता है की बड़ा इन्क्वैलिटीक विचार कीया जाता है किन्तु यदि हम मटीरिअॅलिझम लेकर चलते है, केवल मटीरिअॅलिस्टिक लाइफका विचार लेकर चलते है तो उन्होंने जो एक उद्देश रखा वह उद्देश सिद्ध नहीं हो सकता। वही बात क्लासेस सोसायटीकी है। जबतक मटीरिअॅलिझम है तबतक क्लासेस रहनेहीवाले है। और इसके कारण जबतक हम मटीरिअॅलिस्टिक व्हॅल्यूजको नहीं छोडते तबतक मार्क्सने जो उद्देश अपने सामने रखे वह भी पूरे नहीं होते।

हम दूसरा उदाहरण देते है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा अन्तिम जो विज है समाजका, वह कैसा है ? जैसे क्लासेस सोसायटी कहा वैसे स्टेटलेस सोसायटी भी कहा। देअर विल बी नो स्टेट—स्टेट विल विदर अवे ! बहुत अच्छी कल्पना है। क्यों कि हमारे यहाँ वैसाही था। उस आदर्श अवस्थामें हम लोग थे—हमारे यहाँ भिष्माचार्यका युधिष्ठिरकेद्वारा जब पूछा गया कि क्या यह स्टेट इन्विशुअन हमेशा ही थी ? उन्होंने कहा स्टेट इन्विशुअन हमेशा नहीं थी। न राज्य नैव राजासीत न दंड्यो नच दांडिकाः धर्मैणैव प्रजाः सर्वे रक्षन्तिस्म परस्परम् !

भाई अपने यहाँ एक समय कोई स्टेट ऑफीशियल नहीं थे। और कोई स्टेट नामकी संस्था नहीं थी। जिसको दंड देना है ऐसाभी कोई नहीं था दण्ड देनेवाला भी कोई नहीं था—प्रिन्स नहीं थे पोलिस ऑफीशियल नहीं थे ज्यूडीशियरी नहीं थी। फिर लोग एक दूसरेका संरक्षण कैसे करते थे ? उन्होंने कहा— धर्म ! धर्म के आधारपर करते थे। अब इसका मतलब क्या है, क्या नहीं इसके गहराई में जानेकी आवश्यकता नहीं। इतना पर्याप्त है कि देअर वॉज अे स्टेटलेस सोसायटी। और थिस ईज ऑर्थेटिकेटेड बाय भीष्म ! उनको ऑर्थेटिटी माननेमें कोई आपत्ती नहीं। हालाँकी वो पाश्चिमात्य नहीं है। तो इस तरहसे माननेमें आपत्ती नहीं ! किन्तु इस स्टेटलेसनेसेसे स्टेट संस्था कैसे आयी इसका जो उन्होंने विवरण कीया और आज पाश्चिमात्य जगत में हम जो दृश्य देखते हैं,

दोनोंकी तुलना करना बड़ा उपयुक्त होगा। स्टेट विल विदर अवे ऐसा तो पाश्चिमात्य जगत नै कम्युनिस्टोंने कहा! क्या कहीं एकभी जगह आपको ऐसी कोई आशा दिखाई देती है कि स्टेट विल विदर अवे? नो! ऑन दि कांटररी स्टेट इज बिकमिंग ऑर्थोरिटीरिअन। बहुत ऑर्थोरिटीरिअन होते जा रहे हैं। मानो मनुष्य जीवनके सभी क्षेत्रोंपर अपनाही प्रभाव रहे यही स्टेटकी प्रवृत्ती है। फिर कल्ला हो या और कुछ हो। जादा इन्युमरेट करनेकी आवश्यकता नहीं। ईन्हन इन युवर प्रायव्हेट लाईफ स्टेट डिक्लेट करने जा रहा है। ऐसी अवस्था कम्युनिस्ट देशोंमें आपको दिखेगी। तो इसका मतलब है कि विदरिंग अवे की कोई साइन्स नहीं। और मटीरिऑलिस्टिक व्हैल्यूजको लेकर जब हम चलते हैं तो स्टेट शॉल नेव्हर विदर अवे। क्यों न विदर अवे होगा? तो स्टेट आया क्यों? इसका हम कारण खोजें! तो ऐसा दीखेगा कि, मीप्मके कहनेमेंहि आता है, शान्तिपर्वमें आता है, बड़ा अच्छा विवरण है, युद्धिधरने पूछा कि भाई ऐसी बात है तो फिर स्टेट आया क्यों? तो उन्होंने कहा कि, 'मोहवश मात्रे न मनुजा मनुजर्षभ प्रति पत्ति विमोहाच्च धर्मस्तेपां अनीभषम्—' वो जो लोग थे वे मोहवश हो गये। मोहका मतलब टेम्पेशन नहीं, तो कन्फ्युजन! कन्फ्युजन ऑफ थॉट वहाँ पैदा हुआ। और उसके कारण उनका जो प्रतिपत्ति विमोहाच्च— उनका जो ओरिजिनल नॉल्लेज था वह नष्ट हुआ। और इसके कारण उनका जो धर्म था विघटित हुआ। फिर अपने यहाँ जैसी एक कहनेकी पद्धति है कि—दे वेटेड ऑन लॉर्ड विण्णू इन डेप्युटेशन—वैसे लोग गये। उनको बताया। और जो बताया है वह भी अच्छा है। उसमें आता है की प्रश्न पूछा गया—व्हाय स्टेट वॉज नेसेसिटेड—व्हाय स्टेट वॉज इन्स्टिट्यूटेड—उन्होंने कहा भगवन्नल्लोकस्थं नष्टं ब्रह्म सनातनम्। यह जो हमारा सनातन समाज है वह डिसइन्टिग्रेट हो रहा है! क्यों?

लोम मोह आदिधर्मवैः तन्नोभव भुपाविश—लोम मोह आदि भावोंके कारण यह डिसइन्टिग्रेट हो रहा है इसके कारण—बुद्ध हैंव बिकम ऑप्रिहेन्सिव्ह! अब क्या किया जाय? तो भगवानने कहा की—स्टेट इन्स्टिट्यूट कर लो तुमको राजा दे दू। मानो स्टेट इन्स्टिट्यूट आयी क्यों? तो समाज डिसइन्टिग्रेट होने लगा था धर्मकी प्रवृत्ति नष्ट हो गयी थी। याने समाजकी धारणा जिन तत्त्वोंपर होती है वे तत्व नष्ट हो रहे थे। और यह जो मटीरिऑलिस्टिक टेन्डन्सीज है, लोम मोह आदि जो भाव हैं ये बलवान हो रहे थे और इतीके कारण स्टेट आई! अब कम्युनिझम यदि दावा करेगा की इसका फल क्या मिलेगा? तो विदरिंग अवे ऑफ दि स्टेट होगा तो यह हो नहीं सकता—मटीरिऑलिस्टिक टेन्डन्सीजकी बीज यदि आप बोने है तो उसमेंसे स्टेट इन्स्टिट्यूट खतम हो जायेगी यह आशा नहीं है। तो उनकाही

जो उद्देश है—स्टेटलेसनेस आना चाहिये वह उनके मटीरिअॅलिङ्गमके आधारपर नहीं आ सकता ! तो ऐसा यदि हम विचार करते हैं तो दीखेगा कि क्लासलेस सोसायटीके बारेमें, स्टेटलेस सोसायटीके बारेमें, इवॅल्यूटीके बारेमें, जो भी उन्होंने अपने उद्देश रखे हैं वहाँ सोचनेके लिये रास्ता याने उनका मटीरिअॅलिङ्गम नहीं । इतना हम समझ सकते हैं ।

और जैसा हम समझ सकते हैं वैसा कम्युनिस्टमी थोडा बहुत समझने लगे हैं । और इसके कारण बडा रीथिङ्गिग उनके मनमें हो रहा है । इधर तो लोग हमको कहते हैं कि भाई आप कम्युनिङ्गम क्यों ले रहे हैं ! उधर कम्युनिस्टोंके मनमें बडा रीथिङ्गिग हो रहा है । रीथिङ्गिग के कुछ उदाहरण यदि मैं बताऊँ । तो क्या बी ऑल अन्ड अन्डॉल जो है वह मॅटरही है । भादि और अन्त में मॅटरही है इसके विषय में बडा सन्देह निर्माण हुआ । मार्क्सकी जो मविष्यवाणी थी वह गलत सिद्ध हुआी यह मानना पडा । मार्क्सने जो प्रक्रियाअॅ बताई थी वैसा इतिहासने मोड नहीं लिया इसको स्वीकार करना पडा । जो कहा गया था कि—रिच बुङ्ग विक्रम रीचर, पुअर विल विक्रम पुअरर—पोलरायशेशन हो जाएगा—थोडे लोग ऊपर रहेंगे बाकी सब नीचे रहेंगे जो माल पैदा होगा उसको खरीदनेवाले कोई नहीं मिलेंगे और इसके कारण कैपिटॅलिङ्गम बुङ्ग बी टॅबल डाउन अंडर द बर्डन ऑफ इटस् ओन सेल्फ कॉन्ट्रिबुशन.....आदि जो कहा गया यह दृश्य कहींभी दिखाई नहीं देता ।—मिडल क्लास विदर अवे हो जाएगा—तो मिडल क्लास सारे देशोंमें जैसे के वैसे है । जो कैपिटॅलिस्ट क्लास कहा है और जो लेबर क्लास कहा जाता है ये दोनो ऑलवेज अॅट लॉगर हेड्स रहेगा और क्रांती होगी ऐसा कहा लेकिन पश्चिमके कैपिटॅलिस्ट कहाँ गये ? अमेरिकामें क्रांतीकी कोई आशा नहीं दिखाई देती । आज कैपिटॅलिङ्गमका जो ही स्वरूप मार्क्सने कहा था वैसा कहीं दुनियामें दिखाई नहीं देता और कम्युनिङ्गम का भी स्वरूप यदि कुछ उन्होंने कहा होता—कहा या नहीं इसके बारेमें बादमें कहेंगे—वह भी दिखाई नहीं देता । मानो कैपिटॅलिङ्गम इज नॉट सो कैपिटॅलिस्टिक अॅन्ड कम्युनिङ्गम इज नॉट सो व्हेरी कम्युनिस्टिक इस तरहकी विचित्र अवस्था आज दिखाई देती है । और यह भी दिखाई देता है कि जो कैपिटॅलिस्टिक हैं वे अपनीही मानमानी चलाअॅगे ऐसी कोई अवस्था अमेरिकामें नहीं है और मजदूरोंके द्वारा शासन चल रहा है यह अवस्था रुसमें भी नहीं है तो तीसरीही अवस्था दोनों देशोंमें आती जा रही है यह दिखाई देता है । आगे चलकर यह भी सब लोग कह देते हैं कि कैपिटॅलिस्ट कंटी रहे या कम्युनिस्ट कंटी रहे, आजकल तों टेक्नॉलॉजीका यह जो अनप्रिसिडॅन्टेड अॅडव्हान्स है इसके कारण ऐसी पोझीशन आ रही है कि जो वास्तवमें इंडस्ट्रीका कंट्रोल रहेगा वह शेअर होल्डर्सके हातमें नहीं रहेगा । प्रोप्रायटर्सके हाथमें नहीं

रहेगा। एक तरफ वह कॉर्पोरेटों के हाथमें नहीं रहेगा। या दुसरी तरफ वह कम्युनिस्ट पार्टीके सेक्रेटरीके हाथमें भी नहीं रहेगा। तो जो टेक्नोक्रेटस है उनके हाथमें रहेगा। वे जैसा डिक्टेक्ट करेंगे वैसा करना पड़ेगा। इतनी टेक्नोलॉजी अॅडव्हान्स हो गयी है। और एक नयी रचना—जिसको बर्नहैमने मॅनेजरीयल स्ट्रेटस कहा वह आ सकती जिनका विचार सभी देशोंमें आज आ रहा है। इस तरहसे अभूतपूर्व घटना—अभूतपूर्व माने जिनका विचार मार्क्सने नहीं किया था—ऐसी हो रही है। ए न्यू ट्रेड—अनप्रेडिक्टेड बाय मार्क्स ऐसा आ रहा है। ये सब बातें कम्युनिस्ट देखते हैं। आपके साथ बातचित करते समय वो बड़े असीटिंहली बात करें लेकिन मनमें तो अखिर मनके दरघाजे कम्युनिस्ट भी हुआ तो कहाँतक बन्द करेगा? तो इस तरहसे सारे विचार आते हैं? और यह जो री थिंकिंग कम्युनिस्टोंके मनमें हो रहा है उसके कुछ कारण हैं।

पहले यह सोचा गया था कि कम्युनिज्म याने इंटरनॅशनल या सारे दुनियाके कम्युनिस्ट एक है नॅशनल आदि सारा झूठ है यह सोचा गया था। इसीके आधारपर तो हमारे यहाँ लोगोंने गद्दारी की। कहा कि नेशन आदि सारी झूठ है। सारी मनुष्य जाती जो है वह एक है। अब जैसे देखा जाय तो हमारे यहाँका वह सिद्धांत रखा गया था। इतनाही नहीं इससेभी बढ़िया बात कही गयी। माने हमारे यहाँ यहाँतक लोगोंने साक्षात्कार किया कि कम्युनिस्ट तो केवल इंटरनॅशनल की बात करते, सारी सारी मनुष्यजाती एक है—कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ कहा गया सारी मनुष्यजाती एक है इतनाही नहीं सारे मनुष्यप्राणी एक है इतनाही नहीं तो अॅनिमेट अॅन्ड इन अॅनिमेट सारा वर्ल्ड एक है। इतनाही नहीं तो सारे वर्ल्ड्स मिलकर जो सारा युनिव्हर्स होता है वह एक है। और वह केवल युनायटेड होता है यह बात नहीं तो इट इन वन ऑल इंज वन। माने इसमें यह बात नहीं है कि ऑल आर वन! ऑल आर वन का मतलब होता है कि दे आर डिफरन्ट एन्टिटीज और ऑल दे आर युनायटेड। ऐसी बात नहीं सोचा। गया आल इंज वन। तो इस तरहका अद्वैतका साक्षात्कार हमारे यहाँ ब्रह्माओंने किया है! सब मिलकर एकही तत्व है! सारे विभिन्न पदार्थ मिट्टीसे लेकर मनुष्य तक जो दिखते हैं दे आर डिफरन्ट प्रोजेक्शन्स ऑफ दि सेम मैटर। जैसे विभिन्न गढ़ने हैं! लेकिन मैटर एकही है। जो सोना है उसीकोहि मानो भिन्न भिन्न अलंकार हैं। रोटियाँ भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं लेकिन मैटर एकही है। वह जो आटा है उसीके अलग अलग प्रोजेक्शन्सके ये रोटिया है। उसी तरहसे एकही अस्तित्व तत्वका यह सारा प्रोजेक्शन है। इसका यहाँके लोगोंने साक्षात्कार किया। भाषण नहीं दिया साक्षात्कार किया। दोनोंमें बड़ा अंतर है। रियलायझेशन यहाँतक हुआ। किन्तु साथ ही साथ हमारे यहाँ कहा गया कि माई जिसकी जितनी जायतीकी प्रगती हुई



होगी, प्रोप्रेस ऑफ कॉन्शसनेस उसी अवस्था में उसने सोचना चाहिये। मानो हरेकने कहना शुरू कीया कि, ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या— नहीं चलेगा। जो वास्तव में ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्याका साक्षात्कार कर सकता है वह तो आधिकारी पुरुष है। ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या में नहीं कह सकता क्योंकि मैंने साक्षात्कार नहीं किया है। और इसलिये कहा गया कि जिसके कॉन्शसनेसकी, जागृतीकी जितनी प्रगती हुआ होगी उतनीही बात उसने बोलनी चाहिये। अनाधिकार चर्चा नहीं करना चाहिये। और फिर इसके कारण यह सोचा गया कि जो विभिन्न ऑर्गनिज्मस है इनके अन्दर-कम्युनिस्टोंके समान हम नहीं मानते कि बड़ा विरोध है। जैसे उनका फॅमिली को विरोध है! उन्होंने फॅमिलीको टोड डाला। हम कहते हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं है। इन्डिन्डिजुअल, फॅमिली, नेशन, मनकाइंड, अॅन्ड यूनिव्हर्स यह जो सारा है दे आर दी प्रोइंग स्टेजेस ऑफ दि डेव्हलपमेंट ऑफ कॉन्शसनेस मनुष्यके जागृती की यह बढ़ती हुआ सीटी है। एक के बाद एक आती है। छोटसा बच्चा रहता है। वह अपनेकोही पहचानता है। माँको भी नहीं पहचानता-तब उसके लिये 'अहं' यहि केवल सत्य है बाकी सारा मिथ्या है थोडा बड़ा होता है बाबा, माँ, भाई, बहनका परिचय होता है वह अपने फॅमिली के साथ एकात्म हो जाता है। उस अवस्था में फॅमिली यह ही उसके लिये हाय्येस्ट ग्रुप है। लेकिन और भी कॉन्शसनेसकी प्रोप्रेस होती है वह सारा नेशन मेरा है समझने लगता है तो उसके लिये नेशनही केवल सत्य है। नेशन सत्य है याने फॅमिली असत्य है ऐसा हमारे यहाँ नहीं माना गया। फॅमिली सत्य है याने इन्डिन्डिजुअल असत्य है यह भी नहीं माना गया। उसी तरह से उससे भी जादा प्रगति हो जाती है तब मनुष्य यह सोचता है कि सारी मनुष्य जाती मेरी है और इसलिए स्वदेशोभुवन त्रयम्। ऐसा हमारे यहाँ संन्याशी कह सकता है लेकिन हरेक आदमी नहीं कह सकता। जो संन्याशी बना हुआ है वही कह सकता है कि 'स्वदेशो भुवन त्रयं—सारा विश्व मेरा है। He is the citizen of the universe. . . not only the citizen of the world but citizen of the universe सारा युनिव्हर्स इसका है। इन्डिन्डिजुअल फॅमिली-नेशन-मनकाइंड-वर्ल्ड और यूनिव्हर्स ये तो परस्पर विरोधी बातें नहीं है। तो ये मनुष्यके जागृतीकी कॉन्शसनेसकी बढ़ती हुआ अवस्था है। जैसे बीज है, बीजसे अंकुर, अंकुरसे पौधा उससे फिर शाखाओं उससे फिर पल्लव, उससे फूल और उससे फल, दीज और डिफरन्ट स्टेजेस ऑफ डेव्हलपमेंट। कोई कहेगा की माई बीज अलग दीखता है, पौधा अलग दीखता है शाखा अलग दीखती है, फूल अलग, फल अलग इनके अन्दर बड़ा झगडा है—तो बात गलत होगी—कहना चाहिये आपने गलत देखा है, इनके अन्दर झगडा नहीं है। ये तो एक प्रगतीकी विभिन्न अवस्थाओं हैं। तो एकही कॉन्शसनेसकी विभिन्न अवस्थाओं हैं।

मनुष्य अहंसे लेकर बिलकुल चराचरतक स्वयं अपनेको एकात्म समझ सकता है—और इसके कारण इसमें कोई झगडा नहीं। वैसेही हमारे यहाँ इंडिगिहृद्युअल व्हसेंस फैमिली कोई झगडा नहीं—फैमिली व्हसेंस नेशन कोई झगडा नहीं, नेशन व्हसेंस मनकाइंड झगडा नहीं मनकाइंड व्हसेंस यूनिव्हर्स कोई झगडा नहीं—हम मानते हैं कि ये हमारी प्रगतीकी विभिन्न अस्थायें हैं।

अब उन्होंने वैसे नहीं माना—और न माननेके कारण उन्होंने कहा कि नेशन वगैरे सब झूट है ! ऐसा क्यों ! की, किन्हीभी कारणोंसे हो—इसकी विस्तृत चर्चा करनेका यहाँ कोई कारण नहीं ! उनके यहाँ नैशनैलिज्मका एक प्रतिक्रियावादी स्वरूप ऐसा आया कि जो नैशनैलिस्ट हो सकता है वह इंटरनैशनैलिज्मके विरोधमें हैं—ये किसी कारणसे हो—चर्चाकी आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा नैशनैलिज्म या इंटरनैशनैलिज्म। हम इंटर-नैशनैलिस्ट हैं इसलिये नो नेशन। अब हमारे कम्युनिस्ट कहने लगे कि नेशन तो खतम हो गया क्यों कि मार्क्सने कहा—किंतु यह नेशन जो है, राष्ट्र जो है यह इस तरहसे थिअरीसे खतम होनेवाली चीज नहीं है ! आजतक कितनीही इंटरनैशनल फिल्लोसफीज इस दुनियामें आयी है जैसे की दोज हू हेंच जम्प्ड फ्रॉम मैन टु मनकाइंड मनुष्यसे मनुष्य जाती तब एकदम कूदनेवाली फिल्लोसफीज आ गयी। इसमें उनके टांगको चोट पहुँची। राष्ट्रको इनोअर करनेकी जो बात थी, खतम करनेकी जो बात थी सिद्ध नहीं हो सकी ! बाकी इंटरनैशनल थिअरीज जैसे असफल हुआ वैसेही कम्युनिज्ममी असफल हुआ ऐसाही हम देखते हैं !

और फिर हम यह देखते हैं कि आज दुनियामें जो चित्र है वह बड़ा विचित्र है। यह विचित्र क्या है ? अब यह अमीतक माना जाता था। कि वर्ल्ड कम्युनिज्म का एक सेंटर है। 'कम्युनिज्म इंज यूनिसेंटर' मास्को उसका सेंटर है—तो उसमें कम्युनिस्टोंको जरा आत्मिक समाधान था। बाकी दुनिया के कम्युनिस्टोंसे हिंदुस्थानके कम्युनिस्ट जादा रिलीजस है। उनका रिलीजन कम्युनिज्म है। वे जादा रिलीजस है। हमारे यहाँ जो पतिव्रता धर्म है। बाकी दुनियामें कहीं भी इतना कट्टर पतिव्रता धर्म नहीं दिखाई देता। उसका असर इनकेमी हृदयपर हुआ है। यहाँ के कम्युनिस्टोंने माना कि नेशन सारा खतम हो गया। किन्तु हम देखते हैं कि नेशन को खतम करते हुए जो युनिसेंट्रिक कम्युनिज्म बना था, वह धीरे धीरे बायसेंट्रिक हो गया। उसके दो केंद्र हो गये। मॉस्को और पेकिंग ! अब आज तो आप कह सकते हैं कि यह मल्टिसेंट्रिक कम्युनिज्म होनेवाला है। अठ्ठरी नेशन विल बी सेंटर। और धीरे धीरे ऐसी स्थिती आ रहा है। जैसे किसी समय वर्ल्ड इस्लाम वॉज वन—कोई नेशन वगैरेकी झड़त नहीं थी—नैशनैलिज्म वॉज सबमजंड अंडर इस्लाम—लेकिन

घीरे घीरे नॅशनॅलिझमने अपना सर ऊपर उठाया और आज हम देखते हैं कि अलग अलग इस्लामी राष्ट्र या देश हैं। वे आपसमें अपने देश के लिए झगड़ते हैं, राष्ट्रहितके लिए झगड़ते हैं। एक समय ख्रिश्चनित्की अन्तर्गत विभिन्न देशोंका नॅशनॅलिझम सबमर्ज हुआ था। किन्तु नॅशनॅलिझम फिरसे ऊपर आया और हम यह देखते हैं कि ये दोनों बड़े महायुद्ध इंग्लड और जर्मनी जैसे ख्रिश्चन और प्रॉटेस्टंट राष्ट्र मँही लडे गये। उसी तरहसे मार्क्सिझमका भी हाल होनेवाला है कम्युनिझम का हाल होनेवाला है। क्योंकि यह भी एक रिलीजन है परफेक्ट रिलीजन है। रिलीजनकी कितनीही प्रीरिक्वीरिटस है सारी मार्क्सिझम है। रिलीजनके लिये प्रशिज चाहिये प्रॉफेट चाहिये। तो महंमद और ईसाके स्थान पर मार्क्स है। इसके लिए किताब चाहिये बुक चाहिये तो कुराण के स्तर पर दास कॅपिटल है। उसके लिये कोई सप्तम स्वर्ग चाहिये तो हायर फेस ऑफ कम्युनिझम है। और सभी बातोंका नियंता इस तरहका भगवान चाहिये तो डायलेक्टिसिझम सबका नियंता है। इस तरहसे कम्युनिझम पूरा रिलीजन है। किन्तु अब वह मल्टिसेंट्रिक हो जावेगा। बाकी रिलीजन्सकी तरह इसकी भी अवस्था होगी ऐसा दिखाई देता है। अब ये आपसमें झगड़ रहे हैं। और झगड़ते समय एक दूसरेको जो गाली देते हैं बड़ी इवॉयंट है। उसका कहना है कि चायना डेव्हिअेशनिस्ट है। चायनाका कहना है उस डेव्हिअेशनिस्ट है। अख्नेनियाका कहना है युगोस्लाव्हिया डेव्हिअेशनिस्ट है। युगोस्लाव्हिया का कहना है रशिया डेव्हिअेशनिस्ट है। हम अपनेही देशमें यदि पीछले दो सालमें देखें तो नॅब्रुत्रिपादने कहा-डांगे ईज डेव्हिअेशनिस्ट। डांगेमें कहा नॅब्रुत्रिपाद ईज डेव्हिअेशनिस्ट मुजुमदारने कहा की दोनों डेव्हिअेशनिस्ट है-मानो इस तरहसे विभिन्न कम्युनिस्टोंने एक दूसरेको जितने सर्टिफिकेट दिये उनको यदि इकट्ठा किया तो हिसाब यही लगेगा कि कम्युनिझम=डेव्हिअेशन। यह तो हम नहीं बोलते हैं। वेही आपसमें सर्टिफाय कर रहे हैं। अब विचार आता है कि ऐसा क्यों? किसीभी सिद्धांतमें इतना डेव्हिअेशन कैसे हो सकता है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है जो कम्युनिस्ट छिपाते हैं। जहाँ कार्ल मार्क्सने कॅपिटॅलिझम कैसे निर्माण हुआ? इसकी आज आवश्यकता क्या है? आगे उसमें सेल्फ कॅपिटॅलिश्चन अन्तर्विरोध कैसे आयेगा और अपनेही अन्तर्विरोधके बोझके नीचे कॅपिटॅलिझम अंततोगत्वा कैसे खतम होगा। बहुत देरसे खतम होगा और इसमें मनुष्य जातीका समय नष्ट होगा इसलिये ऑपरेशन करते हुए बड़ी रेव्ह्युशनके माध्यमसे इसे अॅक्सिलरेट करना चाहिये यह सारा बताया और कॅपिटॅलिझम खतम होगा यह कहा! उसके बाद सोशॅलिझम आएगा यह कहा। और सोशॅलिझम आये गा, तो इसके बारेमें पायस प्लॅटिड्यूड जिसे कहते हैं

वैंसा कहा—कि टु ईना, अँकॉर्डिंग टु हिज नीड, फ्रॉम ईंच—अँकॉर्डिंग टु हिज कॅप्सिटी—ऐसी  
 व्यवस्था होगी। लेकिन अँक्चुअली सोशीओ इकॉनॉमिक ऑर्डर क्या होगा इसका कोई  
 विवरण नहीं! वह तो पायस अँप्टियूड हैं—टु ईंच अँकॉर्डिंग टु हिज नीड फ्रॉम ईंच  
 अँकॉर्डिंग टु हिज कॅप्सिटी। यहि हमारे यहाँ कोई आदमी कहें कि माई, सर्वोपि सुधिनः  
 सन्तु..हमारा इकॉनॉमिक्स है, तो बात गलत होगी। यह अँक पायस विशा है.  
 ( Pious Wish ) यह इकॉनॉमिक्स नहीं। इकॉनॉमिक्स का मतलब होता है कि यू हँव  
 टु गिण्ड ओ कॅप्टीट ऑर्डर। अँजन्मीज ऑफ प्रॉडक्शन  
 क्या रहेगी? अँजन्मीज ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन क्या रहेगी?  
 उनके परस्पर संबंध कैसे रहेंगे? कौन उसका नियमन करेगा? यह सब देना  
 पडता है। और इसलिये ऐसा कहा गया कि कार्ल मार्क्स हँज नॉट रिटन ए सिंगल वर्ड  
 अवाउट इकॉनॉमिक्स ऑफ सोशॅलिझम। पायस अँप्टियूडकी बात छोड दीजिये। लेकिन  
 जो इकॉनॉमिक्स ऑफ सोशॅलिझम। है वह कार्ल मार्क्सने वैसाही छोड दिया। मैं यह  
 लेनिनसाब का कोटेशन दे रहा हूँ। और दूसरे का नहीं! क्योंकी हम जो कहेंगे उसको,  
 झूट माना जायेगा। यह जो कहा वह लेनिनने कहा इसलिये सच माननेवाले लोग हैं।  
 तो लेनिनने यह कहा कि कार्ल मार्क्स हँज रिटन नथिंग अवाउट दि इकॉनॉमिक्स ऑफ  
 सोशॅलिझम। जैसेही लेनिनने पॉवर हाथमें लेनेके बाद न्यू इकॉनॉमिक प्रॉग्रॅम हाथमें लिया  
 वैसाही लोगोंने कहा कि यह डेव्हिएशन है। तो तमीसे गुरवात हो गई है। अपने सेल्फ  
 डीफेन्समें लेनिनने इस वाक्य का उच्चारण कीया। कहा कि कार्ल मार्क्स हँज नॉट रिटन  
 ए सिंगल वर्ड अवाउट इकॉनॉमिक्स ऑफ सोशॅलिझम। और इसी के लिये आप  
 देखते हैं कि वे मार्क्सका नाम लेते हैं लेकिन रचना अपनी अपनी करते  
 हैं। चायनाकी रचना अलग है, युगोस्लाव्हिया की अलग है, रूसकी अलग है।  
 तो इस महत्वपूर्ण बातसे हम यह समझ सकते हैं कि कार्लमार्क्स श्रेष्ठ पुरुष था; हम मानते  
 हैं। उनके सिन्सिरीटीके बारेमें हमें बिल्कूल शक नहीं। मनुष्य जातीके वह अच्छे हितचिंतक  
 हैं यह हम मानते हैं। अब कुछ लोगोंका कहना है कि यदि मार्क्सकी श्रेष्ठता  
 आप मानते है तो मार्क्सवाद क्यों नहीं मानते? हमारी भारतीय परंपरा यह नही है।  
 कि मार्क्सकी परंपरा नहीं मानते इसलिये मार्क्स बडा झूटा और गलत आदमी था यह  
 भी हम नहीं कहें। वह बडा श्रेष्ठ पुरुष था इसीलिये उसने कहा हुआ सबकुछ श्रेष्ठ या  
 यह भी हम नहीं मानते हैं। क्यों की हमारी परंपरा अलग है। भगवान बुद्धके सारे  
 मतका खंडन करनेवाले शंकराचार्यने यह कहा कि ' यथास्ते क्लो योगिना चक्रवर्ती  
 सबुद्धः प्रबुद्धो सुनाश्चित्तवत् ' कि वह बुद्ध भगवान हमारे हृदयमें जाग्रत रहें जिन्होंने  
 बुद्धके मतोंका खंडन कीया वे शंकराचार्य यह कहते हैं उन्होंने कहा कि जो कलियुग में

योगियोंके चक्रवर्ती हुअे वे बुद्ध भगवान हमारे हृदयमें सदैव जागृत रहे । तो व्यक्ति और उसके मत दोनोंको बायफरकेट करते हुए दोनोंका अलग अलग मूल्यांकन करना यह हमारी भारतीय पद्धति है । मार्क्स बड़े है हमें उसमें कोई शक नहीं किन्तु उनका मार्क्सवाद जो है उसके बारेमें हम जब इन्हेंल्युभेशन करते हैं तब एक बात खयालमें आती है कि **मार्क्स वॉज नॉट अे लॉ गिव्हर** । हम इस बातको समझ लें । यह बहुत महत्वकी बात है । मार्क्स वॉज नॉट अे लॉ गिव्हर—लॉ गिव्हरका मतलब समझ लीजिये—कि बिन्होंने सोशियो इकॉनॉमिक ऑर्डर दिया है—प्रिस्क्राइब कीया है उसको लॉ गिव्हर कहते हैं । जसे पाश्चिमात्य जगतमें 'मोझेस' यह बड़ा लॉ गिव्हर हो गया, महंमद बहुत बड़ा लॉ गिव्हर हो गया, हमारे यहाँ मनु आदि लोग लॉ गिव्हर हो गये—किन्तु मार्क्सने लॉ नहीं दिया, याने सोशियो इकॉनॉमिक ऑर्डर नहीं दिया । और क्योंकि उन्होंने लॉ नहीं दिया । उनके मतका-अभिप्रायका तरह तरहका इंटरप्रिटेशन करना बाकी लोगोंको संभव हुआ । कम्युनिज्म याने डेविडभेर्शेनिज्म है ऐसा लोग कह सकते हैं ।

तो इसके कारण समाजकी धारणा वैसी हो इसका कोई विचार करेगा तो ये सारी बातें उसके खयालमें आयेगी । कार्ल मार्क्सने स्वयं कोईभी लॉ दिया नहीं, सोशियो इकॉनॉमिक ऑर्डर प्रिस्क्राइब कीया नहीं यह एक बात । उन्होंने स्वयं जो अपने उद्देश्य सामने रखे हैं उनकी पूर्तीके लिये, सिद्धीके लिये उन्होंने जो मटीरिअैलिज्मका रास्ता बनाया है वह बिलकुल गलत है वह दूसरी बात । और इसके कारण कम्युनिस्ट देशोंमें नाना विभिन्न दृश्य देखते हैं । नैशनैलिज्म की बात तो यही है, कि जगह जगह नैशनैलिज्म ऊपर आ रहा है । हमारे यहाँ लोग हमको बताते हैं कि आप बड़े नैरो माइंडेड हैं क्योंकि आप राष्ट्रकी बात करते हैं । अभी जब मैं रुस गया था मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । इतना प्रखर राष्ट्रवाद रुसमें है कि कम्युनिज्मके सिद्धांतके अनुकूल जिनको ठोकर लगानी चाहिये ऐसे पुराने राजा महाराजा उनके स्टैच्यूज वहाँ हैं । बड़े इज्जतके साथ हैं । हमे वे दिवाभे गये । पीटर दि ग्रेट है । कॅथेरिन दि ग्रेट है, उनका मार्शल हो गया, इसने नाना लडाइयाँ जीत ली थी । केवल अेक लडाई ये मार्शल हार गये थे वह याने अपनी पत्नी के साथ । शी डाय-व्हर्स्ट । बाकी सारी लडाइयाँ आपने जीत ली थी । कहींभी उन्होंने अपयश नहा पाया था । तो इस तरहसे उनके थे राष्ट्रपुरुष याने नेशनबिल्डर्स ! किन्तु जो कम्युनिज्मके सिद्धांतके अनु-सार कंडम करने योग्य हैं । उनकी राष्ट्रपुरुषके नाते इज्जत होती हैं । अपनी हरेक चीज बहुत पुरातन है—यह दिवानेका प्रयास हो रहा है । हालाँकी हमारे यहाँ यह क्ताया जाता है कि 'डोन्ट लुक अॅट दि पास्ट' ! हम लोगोंको लेनिनग्राड में वे ले गये । वहाँ नौ सो दिनतक लेनिनग्राडने हिटलरके साथ संग्राम किया था । और वहाँ पाँच लाख लोग मर गये थे उसकी सिमेट्री है । उसके बीच में एक

रेज्ड प्रॅटफॉर्म है। यहाँ अखण्ड ज्वाला जलती है। मैंने पूछा यह क्या है ? तो बोले अखण्ड ज्वाला अपने मदरलैंड के लिये जो मर गये उनकी स्मृती में ! और उसके सामनेही मातृभूमि का बड़ा ब्राँह्मका स्टॅन्चू है। उसके हाथ में पुष्पमाला है। कल्पना यह है कि मातृभूमि अपने शहीद पुत्रों को, वीर पुत्रोंको माला अर्पण कर रही है। हर दिन सुबह शाम बड़े रिच्युअल के साथ रिर्लांजिअसली वहाँ बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर होता है। वहाँ कुछ हमने स्टॅन्चूज देखे जो देवताओंके थे। हिटलरने उनको नष्ट किया था। उन्होंने वे सब दुबारा जैसे के जैसे खड़े कीये। हमने कहा आपका तो ग्रीक देवताओंपर विश्वास नहीं। इसमें तो ज्युपिटर है, व्हीनस है—ये कैसे ? उन्होंने कहा हमारा विश्वास हो या न हो हिटलरने इनको क्यों तोडा ? हमारा नॅशनल इनसल्ट करने के लिये ! तो अपने नॅशनल इनसल्ट को धोनेके लिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम जैसे के वैसे इन स्टॅन्चूजको खड़े करे। मानों यहाँतक कि हरचीज अपनी कितनी पुरातन है यह दिखानेका और अपना बड़प्पन दिखानेका वे इतना प्रयास करते हैं कि हमलोग जब बैकाल लेकपर गये, वहाँ एक घंटा उन्होंने भाषण दीया। टेक्निकल होनेसे हम समझ नहीं सके लेकिन मतलब समझ गये कहनेका मतलब यह था। कि बैकॉल यह दुनियाका ओरुडेस्ट लेक है, स्वीटेस्ट है, डीपेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, बिगिस्ट है, सुपरलेटिह है। तो उनका यह जो पेट्रिऑटिझमका 'फॅनेटिझम' था वह देखकर हम तो ऊब गये और हममेंसे एक आदमीने एकदम उद्गार निकाला, इट मे वी बिगिस्ट अॅन्ड डीपेस्ट अॅन्ड चीपेस्ट बट आफ्टर ऑल इट्स नेम इज इंडियन। इन्होंने पूछा इस नाम का क्या मतलब होता है ? उन्होंने कहा, इट्स नेम इज बैकॉल बंगाल में उसका मतलब लेट आफरनूत होता है। बोलनेवाले हीरेन मुखर्जी थे मानो इनका भी नॅशनॅलिझम उनके कारण ऊपर ऊठ आया। हंगेरीमें हम लोगोंको एक आर्ट गॅलरी दिखाई गयी। आर्ट गॅलरीमें तुर्क लोगोंमें लडाई हो गई उसमें उनका एक राजा मर गया ऐसा एक चित्र था। तो वो लोग उसका बहुत बड़ा शिवरण करते थे। उनको ऐसा लगा की, हम लोग भुस लडाईका महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा 'यू हॅव नौट अंडरस्टूड हबु द क्रिटीकल वॉज दि बॅटल' तो हम उनकी ओर देखते रहे। उन्होंने कहा व्हांट दि थर्ड बॅटिल ऑफ पानिपत वॉज फॉट वूट लॉग फॉर अस। मैंने सोचा की इनका राष्ट्रीयत्व जागृत है ही किन्तु कमसे कम इन्होंने हमारे साथियोंसे कहा की पानिपत वॉर वॉज दि नॅशनल बॅटल। ये तो कमसे कम लाभ हुआ। क्यों की हमारे साथियोंको इसका पता नहीं था।

तो नॅशनॅलिझम आ रहा है। हम उसको रोक नहीं सकते। जो इंटरनॅशनॅलिझमकी बात करते थे ऐसे कम्युनिस्टोंको अनार्थकीग करना पडता है। अब दूसरा रीथीकींग रिर्लीजनके बारेमें चल रहा है। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी,

जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, और फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है की रिलिजन इज अैन ओपिनियन ऐसा मार्क्स ने जो कहा था वो उनके समय उन्होंने जो चर्च का दृश्य देखा उसके पृष्ठभूमि पर वह सही था। लेकिन उसके जनरलायझेशन न किया जाय। और जब हम किसी भी रिलिजन के बारेमें बोलेंगे तब उस विशेष परिस्थि-  
 तीमें उस विशेष कालखंडमें विशेष देशमें रिलिजनका कौनसा रोल है यह हम देखना पड़ेगा। और दैट रोल मे बी डिफरेंट अँकॉरडिंग टू दि टाइम। यह भी उन्होंने निर्णय लिया। रिलिजन क्या है यह समझ लेना चाहिये यह भी इन्च्या निर्माण हुआ। और उसीके फलस्वरूप पीछले फरवरी में दस दिन तक ग्रेटब्रीटनमें कम्युनिस्ट पार्टीके सेक्रेटरीज और बिशप लोगोंका एक सेमिनार हुआ। बादमें उसका क्या हुआ इसका रिपोर्ट आया नहीं लेकिन एक दूसरेको समझनेकी- कोशिस चल रही है। और इतनाही नहीं तो हमारे देशमें भी इसका प्रभाव हो रहा है। यहाँके सब लोगोंने डांग साहबके आर्टिकलस पढे होंगे। उन्होंने कहा था कि राणा प्रताप और शिवाजी क्या है? यह तो किसान मजदूरोंकी भावना का एक प्रगटीकरण है। लेकिन अभी उनके एक साथीने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने रिलिजन के बारेमें 'भक्तिकलह' इस नामसे एक अलग चप्टर लिखा। और उसमें यह स्पष्ट रूपसे कहा कि शिवाजी यह रामदास और तुकारामको मानते थे। और यह कहा कि भक्तिकलह के कारण सेंट्रल इंडियामें, पंजाबमें, महाराष्ट्रमें पोलिटिकल इन्होल्यूशन्स हुई है। तो इस प्रकार इस बातको कम्युनिस्टोंकी द्वारा पहलीही बार स्वीकार किया गया। इतनाही नहीं तो मैटर सबकुछ है यह कहनेके कारण कम्युनिस्टोंका जो मटीरिअैलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था जिसमें यह कहा गया था कि रिलिजन, कल्चर, अेथिक्स सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं। रिलिजन, कल्चर अेथिक्स अँड एग्जिरीथिंग इज मोलेइड बाय सोशियो इकॉनॉमिक कन्डिशनस। ह्यूमन माइंड इज दी प्रोडक्ट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक कंडीशनस। ये सारी बातें जो मटीरिअैलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के अनुसार कही जाती थी। आज वहाँ उन्होंनेही उसी किताबमें कहा है कि ये बात तो ठीक है लेकिन यह भी बात ठीक है कि जैसे सोशियो इकॉनॉमिक कन्डीशन यह अेथिक्स कल्चर के ऊपर अँक्शन करती है वैसे यह बात ठीक है कि रिलिजन, कल्चर अेथिक्स, सोशियो इकॉनॉमिक कण्डिशनसपर अँक्शन करती है। दे अँक्ट अँड रीअँक्ट अर्पॉन ईच अदर। और इसी तरहसे इतिहास है ऐसा उन्होंने कहा।

लेकिन उनको लगा कि शायद कुछ लोग कहेंगे कि यह तो मार्क्ससे आपका डिविहअेशन है। तो उन्होंने अलग शब्दोंका उपयोग किया। उन्होंने कहा कि मार्क्सका मतभ्य तो वही होगा किन्तु कुछ डोंगमेंटिक मार्क्सिस्ट इन इंडिया वराबर इंटरप्रीट नहीं कर सके। यह भी मार्क्सिस्ट ही है। उन्होंने कहा सम डोंगमेंटिक मार्क्सिस्ट। लेखकका नाम है के. दामोदरन् M. P. राईट कम्युनिस्ट पार्टीके नेता है। यह भी मैं सेल्स अेक्टके

नाते नहीं बोल रहा हूँ। (किताब है इंडियन थॉट) किताब बड़ी है २० रु. कीमत है। मुझे कुछ कमिशन देनेका कोई वादा उन्होंने नहीं किया। तो वह किताब है इंडियन थॉट बाय के. दामोदरन्। तो इस तरहसे जो उनका अभीतकका विचार था उसमें रीथिंकिंग चल रहा है यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

और यहाँतक बात है कि जो सबसे बड़ी चीज मार्क्सने कही थी कि ह्यूमन हिस्ट्रीका इतना लंबा पीरियड पढनेमें हम फिजूल समय खर्च क्यों होने दे? इट शुड बी अक्सिलरेटेड, और इसलिये जैसे ऑपरेशन करके बच्चेको निकाला जाता है वैसे ब्लडी रेव्ह्यूशुशन के द्वारा कम्युनिस्ट सोसायटी की स्थापना हुयी ऐसा उल्लेख उसमें होना चाहिये। जिन चार कम्युनिस्ट पार्टीजका मैंने नाम लिया इन फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीजने अधिकृत नीतीके नाते यह कहा कि हम इस बातपर आज कन्विन्सिड नहीं हैं कि ब्लडी रेव्ह्यूशुशन इज ए मस्ट! हमें लगता है कि आजकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टिम है उसके द्वाराभी कम्युनिस्ट सोसायटी आ सकती है। तो हमें इसके बारेमें कोई फायनल अमिप्राय देनेके पहले कोई एक्सपरिमेंट करनेके लिये टाईम चाहिये ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा!

फ्युडॅलिझमके बारेमें आपने देखा होगा। फ्युडॅलिझमके बारेमें हमारे यहाँ वैसे यह भी बिलकुल कहा गया था कि मार्क्सने जैसे एक लाइन दी है कि 'फ्रॉम प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम टु स्लेव्हरी' उसी पध्दतीसे और यहाँ फ्युडॅलिझम था ऐसा अभी अभीतक कम्युनिस्ट कहते थे। अब यहाँके विचारक कम्युनिस्टोंने, राइट कम्युनिस्टोंने यह कहना शुरू किया कि मॉगल पीरियडतक यहाँ फ्युडॅलिझम नामकी कोई पद्धति नहीं थी। बादमें आगयी। तो हमने उनको कहा कि आप यदि कहते हैं कि यहाँ फ्युडॅलिझम नहीं था फिर यहाँ पद्धति कौनसी थी? उन्होंने कहा कि माई देखिये-कौनसी पद्धती थी। यह अध्ययन करके निश्चित करना पड़ेगा। हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन हाँ। अभी कुछ न कुछ मान लेनेके लिये तो चाहिये। और इसलिये मार्क्सने एक जगह शब्द प्रयोग किया है-'ओशियाटिक ऑर्डर ऑफ सोसायटी'। तो अभी सुविधाके लिये कहते हैं कि, 'बिफोर मॉगल पीरियड दअर वॉज ओशियाटिक ऑर्डर ऑफ सोसायटी इन इंडिया'। ओशियाटिक ऑर्डर ऑफ सोसायटीका विवरण बादमें अध्ययनके बाद करेंगे। माने इस तरहसे बड़े पैमानेपर रीथिंकिंग चल रहा है। माने उन्होंने अपने सारे स्टॉस चेंज कर दिये यह तो कहनेका मतलब नहीं! किन्तु कम्युनिस्टोंको रीथिंकिंग करना पडा। कम्युनिस्टोंकी अपने सिद्धांतोंके बारेमेंही श्रद्धा टूट रही। कुछ कम्युनिस्टोंने हमको यह कहा कि टॅंगडीजी आप जो



★ खा. श्री. दत्तोपंत ठेंगडी

अपना यह भारतीय मजदूर संघ आर्थिक क्षेत्रमें काम कर रहा है। आजकल बहुत लोगोंका ऐसा ख्याल है कि आर्थिक विचार, आर्थिक चिन्ताएँ यह एक नयी प्रक्रिया है, मॉडर्न प्रोसेस है। और हम लोग मॉडर्न प्रोग्रेसिव्ह (modern Progressive) होनेके कारण इसका स्वीकार कर रहे हैं। जबसे इस दुनियामें प्रोग्रेसिव्ह लोग आये तबसे यह विचार शुरु हुआ, पहले यह नहीं था, औसा कुछ सोचा जाता है। वास्तवमें यह बात गलत है। बिलकुल प्रारंभिक कालसे भी सामाजिक, आर्थिक रचना किस तरहकी हो इसका विचार हरेक समाजमें अपने अपने दंगसे किया जाता था। जहाँतक भारतवर्षका संबंध है, आज अपने माईसाइब वैद्यने कुछ बातें आपके सामने रखी। जिससे प्राचीन कालके विषयमें कुछ निष्कर्ष आपको निकालने हैं, वे आप निकाल सकते हैं। यह तो एक भारतकी विशेषता है। किन्तु उसके अलावा भी ऐसा दीखेगा कि जिस समय (civilization) सिविलिजेशन बहुत जादा बढ़ी हुयी नहीं थी उस समय भी और आज भी जो अनसिविलिज्ड लोग माने जाते हैं ऐसे लोगोंमें भी उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक रचना, उनके अपने परिस्थितियोंके, आवश्यकताओंके अनुकूल हमेशा कुछ न कुछ रहती थी ऐसा इतिहास बताता है। आफ्रिका आजभी अनसिविलिज्ड माना जाता है। तो भी वहाँ के जो (Tribals) ट्रायबल्स हैं उनकी भी अपनी एक रचना है। जिसमें आपसमें उनके परस्पर सम्बन्ध क्या रहें ? सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धोंका नियमन कैसा हो ? अब वह बिलकुल प्राथमिक अवस्था की होगी, प्रिमिटिव टाइपकी होगी। लेकिन कुछन कुछ उनकी व्यवस्था है। वैसेही संसारमें जोहि श्रेष्ठ पुरुष, विचारक, लॉ-गिव्हर्स, समाजके बारेमें विचार करने वाले निकले, उन्होंने अपने अपने परिस्थिती और आवश्यकताओंके अनुकूल कुछ न कुछ रचना बताई। केवल उदाहरण के लिये थोड़ीसी बातें हम बताएँ।

## पंथ प्रवर्तक-लॉ गिन्हर्स

वैसे तो अपने भारतवर्षके बारेमें बह्ना गया कि, हमारे यहाँ एक रचना थी। विभिन्न समाजोंका अध्ययन करनेपर पता चलता है कि जिनको आर्थिक विचारक नहीं माना जाता, किन्तु जो समाज कल्याणका विचार करनेवाले थे, ऐसे लोगोंके सब बातोंके साथ आर्थिक पहलु पर भी कुछ विचार किया था, कुछ कानून दिया था। उदाहरणके लिये हम जानते हैं कि पाश्चिमात्य जगतमें सबसे पहला रिलिजन यदि कोई होगा तो वह ज्यू लोगोंका, यहूदी लोगोंका है। उनके अन्दर लॉ गिन्हर के नाते 'मोझस' का महत्व है। और कोई लोग इस बातको जानते हैं कि 'विकली पेड हॉलिडे' यह जो कल्याण है वह कल्याण पाश्चिमात्य जगतमें मोझसके विचारसे निकली। हम लोग यह जानते हैं कि दूसरे श्रेष्ठ विचारक 'जोझस खाइस्ट' थे। कई बातें उन्होंने कही। केवल तृतीन वर्षका उनका कार्यकारी जीवनकाल था। वे कुछ रचना नहीं दे पाये। किन्तु जिस हंगेसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, उसके कारण, उनके मृत्युके तुरन्त पश्चात् उनके (अनुयायियोंने एक 'कम्युनिटी ऑफ गुड्स' की स्थापना की। इस कम्युनिटी ऑफ गुड्सकी विशेषता यह थी कि उसमेंका हर एक सदस्य चाहे अतिमी प्राप्ती करें, आमदनी ले आये; अमी हरिकर्मी आमदनी होगी वह कम्युनिटीकी हेमी, सम्पूर्ण सुभकी होगी। और वह जो सुरक्षा पूछ होगा, 'पूल ऑफ प्रॉपर्टी' उसमें अपनी अपनी भाव हर एक उन्हे और उसमेंसे हरकी आवश्यकताके अनुसार उसको जो कुछ दिया जाय, वह ले सके। इस तरह की 'कम्युनिटी ऑफ गुड्स' की स्थापना जेहसके मृत्युके तुरन्त पश्चात् हुआ थी। इसका मतलब यही है कि यह जो सम्पन्न हो सका वह उनकीही शिक्षा दीक्षाका जो स्थिति था। उसकेही कारण ही सका, यह बात स्पष्ट है। महमद सरहयके बारेमें तो हम लोग जानते हैं कि उनके समय मानो चौदहसौ साल पहले, उनके सामने जो समाजका दृश्य था; उसके अमुकूल उन्होंने कुछ नियम दिये। धन प्राप्त करनेके जायज और नाजायज रास्ते कौनसे हैं यह पिस्काइज कीया। सर्चा करनेके जायज और नाजायज रास्ते कौनसे हैं यहाँमी पिस्काइज कीया। लॉ ऑफ इनहेरिटेन्स इस तरहसे बनाया, कि जिसके कारण जदासे जादा संरक्षीका विकेंद्रीकरण, ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो सके। हरकेने पब्लिक एन्सचेरको टाई पसेंट अपने आयसे देना चाहिये इस तरहकी एक बकाती पद्धति बिठाई। स्वैच्छसे सम्पन्नको कुछ देनेके लिये एक 'सदाकत' नामकी पद्धति बिठाई। और यह नियम बनाया कि भाइअपने समाजमें जो नये नये उद्योगशील लोग सामने आते हैं उनको जो कर्मा दीया जाता है उसको क्यादा बोझ न हो इस दृष्टीसे किसीने न्यून नहीं लेना चाहिये। इन्टेरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिये। मानो इस बात पर उन्होंने आग्रह दीया जो उस समय आवश्यकता थी। किसीने उनको पूछा कि यदि

कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो वह स्वर्गमें जा सकेगा क्या? महमदसाहबने कहा कि भाई वह नहीं जा सकता। फिर पूछा गया कि भाई कोई नमाज पढ़ता तो है लेकिन कब्रपर इन्टरैस्ट चार्ज करावा है, तो क्या वह स्वर्गमें जा सकेगा? तो उन्होंने कहा कि वह कितना भी नमाज पढ़नेवाला हो उसके लिये स्वर्गके द्वार खुले नहीं है। मानों उस तरह से कुछ निश्चित विचार १५०० सालके पहले, जो वहाँकी परिस्थिती थी, आवश्यकताएँ थी, उनके अनुकूल उन्होंने रखे और एक रचना दी। अपने यहाँ भी जो मारसी लोग हैं उनकी परिस्थितीके अनुकूल झर झुपटने कुछ रचना बताई। उनका एक नियम बहुतही सुप्रसिद्ध है। हुमत, हुकत, हुबई, यानि 'थोट वेल् थोट, वर्ड्स वेल् स्पोकन् डीड, तेल डन।' इसके आधार पर उन्होंने एक रचना बताई। जिसके कारण बहुत अच्छी तरहसे वहाँ कई सालोंतक 'सतकॉतक' उसकी सामाजिक, आर्थिक, आश्चर्या हो सकी ऐसा दीखता है।

### भारतीय संप्रदायों की रचनाएँ

ऐसे कई उदाहरण अपने देशमें भी है। अज्ञात इतिहासमें भी है। भगवान बुद्ध के बारेमें हम लोग जानते हैं कि सारी जो उनकी शिक्षा है उसकी (मिरीब्युअल) अध्यात्मिक बातें छोड़कर भी तो लोगोंके साथ किस तरहका व्यवहार करना चाहिये इसके संबंधमें स्पष्ट सूचनाएँ उनके लेखनमें हमें प्राप्त होती हैं। जैनधर्म के बारेमें शक्यद कुछ लोग जानते होंगे, कि उन्होंने तो यहाँतक रचना दी है कि जो श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है, उनके लिये कहा कि उन्होंने 'परिग्रह परिमाण व्रत' का पालन करना चाहिये। परिग्रह परिमाण व्रतका मतलब होता है कि आप चाहें जितनी प्रॉपर्टी अर्जन करें किन्तु जितना अपने लिये अति आवश्यक है उतनाही केवल अपने पास रखा जाय। और बाकी सारा समाजको दीया जाय। इस तरहसे, स्वेच्छसे, अति आवश्यक यानि जो केवल अदरमरफके लिये आवश्यक है उतनी छोड़कर बाकी संपूर्ण संपत्ती समाजको देनेकी चाहिये। मानों चाहे जितना अर्जन करें, लेकिन अति आवश्यक छोड़कर, सारा समाजको देना चाहिये। यह 'परिग्रह परिमाण व्रत' उन्होंने बताया। सिख संप्रदायके बारेमें भी लोगोंके पता होगा कि जहाँ उन्होंने लडाइयों की वहाँ सिखजनका भी प्रचार किया। यह जो आर्थिक अहल है वह उनके आँखोंसे ओझल नहीं हुआ। केवल उदाहरण के लिये एकही बात मैं कहूँगा। बन्दा वैरागी ने जैसी अपना एक छोटासा राज्य स्थापन किया। पहली बात यदि कुछ की होगी, तो लैंड रीडिस्ट्रिब्यूशन किया। जो लैंडलेस लेबर या उसके बीचमें सारी जमीन उन्होंने बाँट दी। माने यह पहल कोई आँखोंसे ओझल हो गया या प्रिया नहीं दीखता।

## प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कितनी हो

अपने यहाँ तो प्राचीन कालसे यह सारी बातें आयी हुयी हैं। प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हरेककी कितनी क्या रहें ! हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा गया कि यावद् अत्रियेत् जठरम् तावद् स्वत्वम् हि देहिनाम् । अधिकम् योऽभि मन्येत सस्तेनो दण्ड मर्हति । याने आपके उदर में जितनामी समाविष्ट हो सकता है उतनाही आपका, याने प्रायव्हेट प्रॉपर्टीके नाते हो सकता है। उस से जादा जो कलेम करेगा वह चोर है, और उसको दण्ड देना चाहिये। इस तरह की बात कही। प्रॉडक्शन बहुत करा लेकिन सारा डिस्ट्रिब्यूट करो इस तरह की आज्ञा अथर्वमें भी आती है। 'शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त वीकिर' प्रोडयूस बाय हंड्रेड हॉन्डस् डिस्ट्रिब्यूट बाय थाउजन्ड हॉन्डस्। इस में एम्फसिस क्या है हम भी देख सकते हैं। ईशावास्य की पंक्तियाँ तो सुप्रसिद्धही हैं। जो कुछ है वह भगवानका ही है, 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'। इस से जादा विवरण की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से जोमी सारे श्रेष्ठ विचारक हो गये, उन्होंने जहाँ संपूर्ण समाजका विचार किया वहाँ आर्थिक पहलूका भी विचार किया और अपनी अपनी परिस्थितिमें जो उन्हें आवश्यक और उचित लगा वह उन्होंने समाजके सामने रखा ऐसा हम देखते हैं। इस दृष्टीसे हम लोगोंका यह अहंकार शायद वृथा है कि बस माई हम प्रोप्रिेटिव्ह हैं, मॉडर्न है, हमनेही यह विचार शुरु किया है यह वृथा अहंकार है।

## आज की गलत धारणा

प्राचीन कालसे हरेक समाजमें, हरेक जातीमें, जातीका, मेरा मतलब कम्युनिटी है, हरेक राष्ट्रमें इस तरहसे समाज धारणाकी चिन्ता रखनेवाले लोक थे। और इसी दृष्टीसे समाजधारणा होती रही। अब आज हम मॉडर्न टाइम्समें आ गये। और इस दृष्टीसे अब दूसरा विचार हमारे देशमें शुरु हुआ कि माई, जो प्राचीन व्यवस्था होगी उसका विचार छोड़ें। अभी हम लोगोंने भूतकालका विचार छोड़ना चाहिये। केवल भविष्यकी ओर देखना चाहिये। और भविष्यकी ओर देखना होगा याने आजकल जिस तरहसे सारे देशमें एक लहर फैली है कि पाश्चिमात्योका अनुकरण करना चाहिये, वहाँकी विचारधाराअें उठकर यहाँ ले आनी चाहिये, तभी हम लोगोंका उद्धार हो सकता है ऐसा एक विचार आजकल चल रहा है। यह कुछ स्वामाविक भी है क्यों कि हम लोग बहुत सालतक पराधीन थे, और भौतिक दृष्टीसे पाश्चिमात्य जगत बहुत प्रगत है। सब लोगोंके

मनपर ऐसा कुछ प्रभाव भी हुआ है, कि माई वहाँकी जोमी चीज है वह अच्छी होनी चाहिये। क्यों कि वह वहाँकी है। हमारी जोमी चीज है वह खराब होनी चाहिये क्यों कि वह हमारी है। लगता है की इस तरहका निश्चय कई लोगोंके मनमें हुआ है। और इसलिये अब एक दूसरी तरहसे भी सोचा जाता है। वह याने पाश्चिमात्य जगतमें एक नयी फैशन चल पड़ी, वह फैशन क्या है कि सामाजिक, आर्थिक जीवनका विचार ईशमकी परिभाषामें होना चाहिये। हरेकको कोई न कोई ईशम होनाही चाहिये। मानो जैसे, प्रतिष्ठित होनेके लिये जो आवश्यकता होती है, प्रीरिन्विशिट्स होती हैं, जैसे कि टाय पहनना चाहिये; बगैर टायके आप रहेंगे तो फिर आप कम प्रतिष्ठित माने जायेंगे। तो वैसे ईशम भी हरेकको होना चाहिये। आपका ईशम नहीं रहेगा तो आपकी प्रतिष्ठा कम है, यह एक धारणा होने लगी है। इस दृष्टीसे पाश्चिमात्य जगतमें कई ईशम्स हैं। हम लोगोंकोभी पूछा जाता है कि माई आपका ईशम क्या है? और जिस समय हम लोग बताते हैं कि हमारा कोई ईशम नहीं। तो अपनेभी कुछ लोगोंको लगता है कि यह बड़ी कमी है। ईशम तो होनाही चाहिये था। जैसे बगैर टायका आदमी रहे तो कुछ कमी मालूम होती है वैसे बगैर ईशमके आदमी रहे तो ठीक नहीं, कुछ न कुछ तो ईशम होनाही चाहिये। इस तरहका एक प्रभाव लोगोंके मनपर दिखाई देता है।

### ईशम का मतलब अंक रास्ता

तो इस दृष्टीसे अपना विचार क्या है? हम जरा सोचें! एक एक ईशमका विचार यदि छोड़ दिया तो भी सर्वस धारणा दृष्टीसे, ईशमके विषयमें हमारी प्रतिक्रिया क्या है? ईशमका मतलब यही होता है कि एक विशेष परिस्थितिमें विशेष समाजके सामने जो समस्याएँ हैं, उनको सुलझानेकेलिये निकाला हुआ रास्ता। वह रास्ता अच्छा रहे, बुरा रहे, सही रहे, गलत रहे, किन्तु एक रास्ता। काहेके लिये? तो एक विशेष कालखण्डमें एक विशेष समाजके सामने जो समस्याएँ रही हैं उनको सुलझानेके लिये निकाला हुआ रास्ता, वह रास्ता याने ईशम है।

### हरेक की उपयोगिता

अब दुनियामें जोमी चीज निकलती है उसकी कुछ तो उपयोगिता होती है। हमारे यहाँ कहा गया 'अमंत्रमधरम् नास्ति' कोई अधर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता है। और 'नास्ति मूलमनौषधम्'। कोई वनस्पति नहीं है जिससे औषधी नहीं बन सकती। अब इस अर्थमें देखा जाय तो हरेक चीजकी कोई उपयोगिता होती ही है। भगवानने यहाँ जो संसार बनाया है, इसमें साधुपुरुषोंकीभी उपयुक्तता है और जो साँप हैं, शेर हैं, उनकीभी

कुछ उपयोगिता है। चुहेकीभी उपयोगिता है, भिल्लीकीभी उपयोगिता है। माने बिलकुल जितकी उपयोगिता नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं। कोई विचार यदि निकलता है तो इसका मतलब यही है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आवश्यकताओं ऐसी हैं, जिनके फलस्वरूप यह विचार लोगोंके मनमें आया यह तो बात स्पष्ट है। और इस दृष्टीसे कोई भी ईशम हो, कोई भी विचार हो, उसकी कुछ ना कुछ सीमित उपयोगिता है यह बात भी ठीक है। किन्तु कोई भी ईशम ऐसा है कि जो पैसेशिया है, सभी बीमारियोंके लिये रामबाण इलाज है, सभी देशोंमें, सभी समाजोंके लिये, सभी परिस्थितियोंमें उसकी उपयोगिता है, यह मान लेना कुछ गलत मालूम होता है। क्यों की हम सोचें, कि एक विशेष परिस्थितीमें एक विशेष समाजके लिये जो चीज उपयुक्त होगी वह उसी समाजके लिये विभिन्न परिस्थितीमें शायद उपयुक्त नहीं होगी। या उसी कालखंडमें विभिन्न समाजोंके लिये उपयुक्त नहीं होगी। उदाहरण के लिये आप देखीये। लोग हमें बताते हैं, जैसेकी हमने कैलेंडर कमी देखा नहीं—कि 'साब अब यह बीसवीं शताब्दी है' हम कहते हैं कि अच्छा आपने यह बड़ी न्यूज हमें दी। लेकिन उनके कहनेके अनुसार आजका भी यदि हम विचार करें, सोचें, कि क्या ऐसा कोई ईशम निकाला जा सकता है कि जो बीसवीं शताब्दीके १९६८ साल के लिये उपयुक्त होगा। तो लगता है, ऐसा एक ईशम निकालना बड़ा कठीन है। क्योंकि एकही कालखंडमें रहनेवाले, विभिन्न समाजोंके सामने जो समस्याएँ हैं उनका स्वरूपही भिन्न है। अब हमारे सामने समस्या है कि साधन कम हैं खानेवाले लोग ज्यादा हैं। अमरिकाके सामने सवाल है कि पैसा बहुत ज्यादा है खानेवाले कम हैं। इसलिये उनका ईशम है 'कन्ड्यूम मोअर', हमारा है 'कर्टेल दि वॉन्ट्स' याने दोनों १९६८ में रहते ह, किन्तु यहाँ की परिस्थिति हमें ऐसा कहने के लिये बाध्य करती है कि 'कर्टेल दि वॉन्ट्स' ऑस्टेरिटी आनी चाहिये। और अमरिकामें ईशम चर रहा कि दो सालसे जादा किसीने अपनी मोटर उपयोगमें नहीं लानी चाहिये—उसको बदल देना चाहिये।

## ईशम — रामबाण इलाज नहीं

तो एकही कालखंड में यदि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाज हैं तो उनके लिये एक कोई ईशम उपयुक्त नहीं हो सकता। वैसे एकही समाज के लिये विभिन्न कालखंडमें एकही विचार उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसे हम उदा. के लिये यह सोचें— मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मराठी की कुछ पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ता था, उसमें इधर के चम्बई पूना के लोगों के लेख आदि रहते थे। तो उसमें रहता था कि बालविवाह नहीं होने चाहिये। और बालविवाह क्यों नहीं होने चाहिये इस के बारेमें बड़े तर्क—अर्ग्युमेंट्स उसमें आते थे। तो क्वचनमें हम इतना तो समझ गये कि जिस समय ये

लेख लिखे गये उस समय बालविवाह चलते होंगे। अब ५५ साल हो गये। अब मान लीजिये कि कोई आदमी पूना में जाकर भाषण देगा कि बालविवाह नहीं होने चाहिये— और क्यों नहीं होने चाहिये इसके बारे में ये मेरे तर्क हैं। उसको लोग ठाना में भेजेंगे, पागलखाने में भेजेंगे। क्योंकि आज परिस्थिति विलकुल उल्टी है। बालविवाह यह आजकी समस्या नहीं तो बम्बई पूना में यह समस्या है कि अति प्रौढ विवाहोंको किस तरह रोक जा सकता है। यह समस्या अभी बम्बई पूनामें है। तो इस दृष्टीसे जो ही विचार शायद ७५ सालके पहले वहाँ के समाज के लिये बड़ाही उपयुक्त मालूम होता था, आज उसी दंगसे वह विचार उपयोगी नहीं हो सकता। और इस दृष्टीसे कोई भी विचार या कोई भी एक ईश्वर यह रामबाण इलाज है यह समझना गलत है। इसका एक तो कारण ऐसा है कि परिस्थितियों में फरक पड़ता है। दूसरा भी कारण है— जो कोई विचार या ईश्वर बनता है— मत बनता है, वह उसके निर्माण के समय मनुष्य समाज की जो टोटल जानकारी होगी, टोटल नॉलेज होगा, उसीके आधारपर बनता है।

### मार्क्स की कॉस्मोलॉजी गलत थी

अब हम यह देखते हैं कि मनुष्यका ज्ञान बढ़ता जा रहा है 'फ्रॉटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज आर एक्सपेंडिंग.' और इसके कारण जो बात कल सही मनी जात थी वह आज गलत मानी जाती है। इन उदाहरण के लिये एक दोही बातें लें। हम जानते हैं कि मार्क्सने अपना एक वैश्विक दर्शन दिया — कॉस्मोलॉजी दी। कॉस्मोलॉजीमें क्या होता है? उसमें तीन बातोंका विवरण करना पड़ता है— व्हेन्स? विदर? हायु? यह जो सारा अस्तित्व है वह अस्तित्व कहाँसे आ रहा है? किधर जा रहा है? जानेकी प्रक्रिया क्या है? तीन बातोंका विवरण देना पड़ता है। अब उस समय जितनाहि सारा सायन्स था, मार्क्सने उसका बराबर अध्वयन किया था। उन्होंने उस आधारपर ही उनको जबाब दिया। उसमें कोई दोष नहीं। उस समय जो कोई सायन्सकी प्रगति थी उसके आधारपर उन्होंने कहा कि फिजीकलमें, फिजिकल सायन्समें— न्यूटनने जो आखिरी शब्द उस समय कहा था कि सारा जो कुछ भी निकला है — वह मॅटर्स निकला है। मार्क्सनेभी कहा कि सारा जो कुछ निकला है मॅटरसे निकला है। उस समयके बायोलॉजीमें आखिरी शब्दके नाते डार्विनने कहा था कि सारा यह जो प्राणिमात्र है वह उत्क्रांतीकी, इन्डोल्यूशनकी ओर जा रहा है। उसीको सोशलॉजीपर अॅप्लाय करते हुअे मार्क्सने कहा कि यह सारा इन्डोल्यूशनकी ओर जा रहा है। इन्डोल्यूशन याने अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॅटर। अब उसका जो सायन्सका ज्ञान था, उसके आधारपर यह ठीक था। लेकिन अब हम देखते हैं कि डार्विनके बाद अब लोग सोचने लगे कि सारा जो कुछ जा रहा है वह केवल इन्डोल्यूशनकी ओर

नहीं। तो उसमें इन्होल्यूशनभी है इन्होल्यूशनभी है। उत्क्रांतीभी है-अपक्रांतीभी है। और इन्होल्यूशन, इन्होल्यूशन और प्रॉजेक्शन, जिसको हमारे यहाँ सृष्टी कहा गया यह कन्टीन्युअसली, सायमल्टिनिअसली चल ही रहा है। तो सबकुछ इन्होल्यूशनकी और जा रहा है यह कहना बड़ा गलत होगा। तो यही कहा जा सकता है कि इन्होल्यूशन और इन्होल्यूशन ये दोनों प्रक्रियाओं सायमल्टेनिअसली चलती जा रही हैं। अब यह नया विचार है-सायन्सका है किन्तु इसके कारण डार्विनका जो विचार था वह इनऑडिक्वेट याने अपर्याप्त था यह सिद्ध हुआ। और उसके आधारपर फिर जो मार्क्सने कहा था वह भी इनऑडिक्वेट था, अपर्याप्त था। पूरा, सही नहीं था यहसिद्ध हो जाता है। फिजिकल सायन्सेस की दृष्टीसे आइन्स्टाइनने एक बात खोजके निकाली कि मॅटर कैन बी कन्वर्टेड अिन्टु अेनर्जी, अेनर्जी अिन्टु मॅटर-दोनों इन्टर कन्वर्टिबल हैं। तो इसके कारण मॅटरका जो प्राथमरी-फन्डमेंटल स्वरूप था-वह नष्ट हुआ। और इसके कारण सारा मॅटरिअॅलिअम का बेस था वह भी खतम हुआ। और इसके कारण मार्क्स ने जो एक मौलिक बात कही थी वह बात ठीक नहीं थी ऐसा आज सायन्सके आधारपर कहा जा सकता है।

## परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं

अब यह तो कॉलेजस्टूडेंटभी कह सकता है। लेकिन आइन्स्टाइनने जो भी संशोधन किया और उसके कारण, मार्क्सने जो आखिरी शब्द इस नाते लिखा, वह यदि गलत सिद्ध होता है, तो आजका कॉलेजस्टूडेंटभी मार्क्ससे बड़ा विद्वान होता है ऐसा इसका मतलब नहीं। यह एक स्वाभाविक बात है। हमारे यहाँ ब्रह्मा नामकी जो कॅटॅगरी है उसको छोड़कर, कोईभी श्रेष्ठ पुरुष, जब विचार करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, सिद्धांतका प्रतिपादन करेगा, तो वह उसके जीवन कालमें जो 'लास्ट वर्ड ऑफ विस्डम' होगा वैज्ञानिक क्षेत्र की लास्ट इन्फर्नेशन जो होगी उसीके आधारपर करेगा। और यह जो उसके विचारोंका, सिद्धांतका इशमका फाउंडेशन है उसीमेंही यदि परिवर्तन हो जाता है, बदले हुए जानकारीके कारण उसमें बदल हो तो फिर वह जो इशम है वह भी उस मात्रा में अपर्याप्त या गलत सिद्ध होगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो दोनों कारण ऐसे हैं, कि एक तो परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं, और सभी परिस्थियोंमें उपयुक्त ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं सकता। इस दृष्टी से, और दूसरा कि फ्रॉन्टिअर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज आर अेंव्हर अेक्सपॉंडिंग। और कोई भी सिद्धांत निकलेगा तो अजकी परिस्थितिके आधारपर निकलेगा, दोनों बातोंके कारण हम इशमको 'पॅनिशिया' माननेकेलिये तैयार नहीं।



## मेमोरैण्डम कलेक्टिव्ह थिंकिंग

हम किसी ईशमके है यह कहनेमें गर्वकी अनुभूति हो ऐसा तो हम नहीं समझते । अब लोगोंका उदाहरण क्या लें ? हमने तो कहा कि केवल विचारकी दृष्टीसे यदि कहा जाय तो अभी मारतीय मजदूर संघकी ओरसे जो मेमोरैण्डम नैशनल कमिशन ऑन लेबर को सबमिट हुवा है वह सब लोगोंकी सलाहसे, सबको पूछते हुए-तैयार हुवा । कहा गया कि इट इज ए डायुमेंट ऑफ अवर कलेक्टिव्ह थिंकिंग अॅन्ड कलेक्टिव्ह विस्डम । तो इस तरहसे यह सबमिट हुआ । हमने वह सौच समझकर दिया । कोई यदि हमें पूछे तो मैं कहूंगा कि इसकी बहुत उपयोगिता है, बहुत महत्व है, इसमें कोई शक नहीं । लेकिन कोई यह कहेगा कि 'घिस इंज द लास्ट वर्ड ऑन लेबर प्रॉब्लेम' तो समझना चाहिये की यह बात गलत है । जब परिस्थितियाँ बदल जायेगी इसकी उपयोगिता कम हो जायेगी । हम यह कहें कि १९६८ में हमारी दृष्टी से यह मोस्ट व्हेल्युएबल डॉक्युमेंट है । किन्तु १९९० में यही मोस्ट व्हेल्युएबल डॉक्युमेंट रहेगा ऐसा आज कहना याने-मानों परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं इस बातको आँखोंसे ओझल करना है ।

### ईशम-क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट

तो इस दृष्टीसे ईशम यह पॅनेशिया हो नहीं सकता । क्योंकि ईशम की एक विशेषता है । कोई भी ईशम रहे, इधरका रहें, उधरका रहे- ईशमका मतलब ही होता है कि इट इज ए क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट । ईशमका मतलब ही है कि इट इज ए फायनॅलिटी, आखिर शब्द है । जो है वह माने क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट । और यदि कोई कहे- कि ये क्लोज्ड नहीं है- द मोमेंट इट सीजेस्ट टु बी क्लोज्ड इट सीजेस्ट टु बी अॅन ईशम । ये क्लोज्ड नहीं है ऐसा कहा जाय तो यह ईशम नहीं रहता । अब परिस्थितियाँ डायनॅमिक हैं, सभी ईशमस स्टैटिक हैं, तो डायनॅमिक परिस्थितियोंके साथ स्टैटिक ईशम मुकामिला नहीं कर सकते । जानकारी 'एव्हर एक्स्पांडिंग' है- ज्ञान 'एव्हर एक्स्पांडिंग' है और ईशम क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट है, तो वह 'एव्हर एक्स्पांडिंग' में 'नॉलेज' के साथ मेल नहीं खा सकता । और इसी दृष्टीसे हम लोगोंने कहा कि एक अक्सेट्री-मपर जाकर हम यह नहीं कहते कि इस संसार में निर्माण होनेवाला कोई भी विचार एकदम अनुपयुक्त है । हरेककी अपनी अपनी उपयोगिता है । जहाँ हम मानते हैं कि बिलकुल जहर है, और सॉप हैं, और शेर हैं उनकी भी अपनी अपनी उपयोगिता है । वहाँ किसी भी ईशमको एकदम हम लोग ऐसा क्लिंग करें, चिपक जाय, बस जो होगा वह इसीके आधार पर होगा ऐसा भी हम मानने के लिये तैयार नहीं ।

## सांघटिक सोशलिज्मसे स्टेट कॅपिटलिज्म

फिर दूसरी भी बात हम जानते हैं। बहुत बार जब ईशमकी परिभाषामें लोग बोलते हैं तो शब्दोंको लेकर झगडे जादा होते हैं, अर्थको लेकर कम। ईसा मसीहने कहा है 'दि लेटर किलेथ'। माने शब्द बड़ी गडबड कर सकता है मरवा सकता है। 'दि लेटर किलेथ'—इसका मतलब क्या है? लोग बहुत बार जो ऊपरके शब्द हैं उसीपर बडे झगडे खडे कर देते हैं। गहराईमें जाकर अभिप्राय क्या है यह देखनेकी शंशय नहीं करते। अब जैसे हम उदाहरण के लिये देखें, हम तो किसी की ईशमके पक्षवाती नहीं। लेकिन कुछ मोंडर्न लोगोंके साथ मुझकात हो जाती है। हमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम सोशलिस्ट, और हम आपके विरोध में हैं। हमने कहा कि भाई क्यों? उन्होंने कहा कि आप सोशलिज्मको नहीं मानते। हमने कहा कि भाई यह तो बात सही है कि हम सोशलिज्मको नहीं मानते। हालाँकी यह भी बात सही है कि हम किसी भी ईशमको नहीं मानते। तो बोले हमारा यह निर्णय है कि जो सोशलिज्मको मानते नहीं वे प्रतिक्रियावादी हैं रीअैक्शनरी हैं। हमने कहा कि भाई हमारा भी यह अभिप्राय है कि जो सोशलिज्मको मानते हैं वह मनुष्यताको नहीं मानते। अब यह हमने बोल दिया। वास्तव में हम दोनों बातचित के लिये बैठे थे। आखिर उनके ख्यालमें आया कि शब्दके लिये झगडा बहुत चल रहा लेकिन अभिप्रायमें दोनोंमें ज्यादा अंतर नहीं। अब यह भी हम देखें की कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम सोशलिज्मके समर्थक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम सोशलिज्मके विरोधक हैं। तो जो समर्थक हैं उनमेंसे सभी लोक सोशलिज्मके नामपर जो स्टेट कॅपिटलिज्म आता है उसका समर्थन करनेवाले नहीं हैं। वास्तवमें सांघटिक सोशलिज्मके अन्तर्गत तो स्टेट कॅपिटलिज्मही आता है तो भी सभी सोशलिस्ट्स कोई स्टेट कॅपिटलिज्म के समर्थक नहीं हैं। उनमेंसे बहुत सारे तो ऐसे सज्जन पुष्य हैं कि जिनको यह देखकर बडा दुःख होता है कि, कुछ लोग शोषित हैं, कुछ शोषक हैं। थोडे लोग जादा श्रीमान हो रहे हैं और बहुत सारा बहुजनसमाज जो है वह शोषित है। उनको यह अच्छा नहीं लगता। शोषण समाप्त हो, विषमता समाप्त हो, संसार में सुख रहें ऐसा सभी सज्जन लोगोंको लगता है; इन को भी लगता है। इनकी धारणा है कि शायद इषीका नाम सोशलिज्म है। और यही सोचकर वे अपने को सोशलिस्ट बताते हैं। वे समझते हैं कि सोशलिज्म माने इतनाही होगा कि असमानता को हटा दिया जाय, सब सुखी रहे। अब इस दृष्टीसे यदि देखा जाय तो विषमता और शोषण खतम हो जाना चाहिये, यह निगेटिव्ह आस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो सोशलिज्म का विरोध करनेवाले हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं। हम भी वैसे हैं। हमें भी लगता है कि भाई विषमता खतम हो, शोषण नहीं होना चाहिए।

इतना विचार तो सबको स्वीकार है। किन्तु सोशिएलिज्मको जो विरोध करते हैं उनका मतलब यह नहीं है कि विघमता रहें, टाटा-विल्डा-दालमिया यहीं रहें। विरोधक विरोध करते हैं उसका कारण यह है कि वे जानते हैं कि सोशिएलिज्म नामपर केवल विघमता समाप्त होगी इतनाही नहीं तो स्टेट कैपिटॅलिज्म आयेगा, स्टेट मोनापोली आएगी-और एक तरहसे डिक्टेटरशिप-तानाशाही-शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मनुष्यके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस तानाशाही का विरोध करने के नाते लोग सोशिएलिज्मका विरोध करते हैं।

## सोशॅलिस्ट क्यों बने ?

अब हम देखें कि सोशॅलिज्म के कई समर्थक ऐसे हैं जो सोशॅलिज्म का निगेटिव्ह आस्पेक्ट देखकर सोशॅलिस्ट बन गये हैं। विघमता और शोषण समाप्त हो इस लिये वे सोशॅलिस्ट बन गये हैं। मनमें वे तानाशाहीके समर्थक नहीं। सोशॅलिज्म का विरोध करनेवालोंमेंभी बहुतसे लोग ऐसे हैं जो तानाशाही का विरोध करते हैं। विघमता और शोषण का समर्थन नहीं करते। अब दोनोंका मन्तव्य, अम्प्राय देखा जाय तो वह एकही है ! किन्तु शब्दको लेकर बड़े झगडे हो जाते हैं। और इसलिये कहा कि दि लेटर किलेथ यह बात सही है। यदि ठंडे दिमागसे आपसमें बैठेंगे तो इस बातका पता चलेगा कि 'कॉमन डिमॉमिनेटर' बहुत जादा है।

## कितने प्रकार

अब जहाँतक इज्मका सवाल है, हम तो किसीमी इज्मको मानते नहीं। तोमी आज जादातर 'इज्म' चलता है। लोग पूछते हैं इसके बारेमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? मैंने तो कहा कि विघमता, शोषण समाप्त हो, यह हम जरूर चाहते हैं, और स्टेट मोनोपोली, कैपिटॅलिज्म, डिक्टेटरशिप न आय यह भी हम चाहते हैं। अब यह कौनसा सोशॅलिज्म है यह सारा हम जानते नहीं। क्योंकि हमारे लिये यह बड़ी सुदकील है। हम तो पुराने ढंगसे विचार करनेवाले लोग हैं। हमारे देशमें ऐसा एक विचार था कि भाई एक शब्दका एकही अर्थ हो और अर्थ छत्रामें भी यदि फरक हो जाता है तो शब्दमें परिवर्तन होना चाहिये। शब्द एक अर्थ अनेक यह अशस्त्रीय बात है। अर्थ एक शब्द अनेक यह भी अशस्त्रीय बात है। एक एक शब्द का एक एक निश्चित अर्थ होना चाहिये ऐसा हमारे यहाँ माना गया। किन्तु सोशॅलिज्म जो शब्द है उसके बारेमें कुछ कहना बड़ा सुदकील है। यह शब्द एक है उसके अर्थ कितने हैं हमें पता नहीं। क्योंकि एक दूसरेसे मतभेद रखनेवाले सभी सोशॅलिस्टही हैं। अब अपनेहि

देशमें यदि विचार करें तो जवाहरलालजी सोशॅलिस्ट, जयप्रकाशबाबू सोशॅलिस्ट है फिर डांगेजी सोशॅलिस्ट है नंबु श्रीपाद भी सोशॅलिस्ट है। सांयटिफिक सोशॅलिस्म भी है ऐसा कहा जाता है। विनोबाजीभी कमी कमी अपनेको सर्वोदयी सोशॅलिस्ट कहते है। लोहिया भी सोशॅलिस्ट है। फिर कुछ तो हिन्दु सोशॅलिस्ट भी हैं। नासेर साहबने अरब सोशॅलिस्म निकाला। हिटलर नॅशनल सोशॅलिस्ट था। स्टॅलिन सांयटिफिक सोशॅलिस्ट था। अॅटली भी सोशॅलिस्ट है। अब ये जो सारे सोशॅलिस्ट हैं तो हम इसमेंसे किसको सोशॅलिस्ट सही माने यही हमारे लिये बड़ी समस्या है। जैसे हमारे यहाँ पुराने लोग परब्रह्मके बारेमें कहते हैं ' एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ' कि ब्रह्म तत्व है वह तो एक है, लेकिन विभिन्न विद्वान विभिन्न नामोंसे उसको पुकारते हैं। इसके ठीक विपरीत बात सोशॅलिस्म की है। कि बातें अनेक हैं नाम एक है। और इस दृष्टीसे कोई फिर यदि कहेगा कि सोशॅलिस्मके बारेमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो हमें भी बाध्य होकर पूछना पडेगा कि विच ंहरायटी ऑफ सोशॅलिस्म? वो जयप्रकाश ंहरायटी है, या लोहिया साबकी या विनोबाजीकी या जवाहरलालजीकी है? या अभी काॅंग्रेस सोशॅलिस्ममें भी तरह तरहके सोशॅलिस्म आ रहे हैं उनके बारेमें आप पूछ रहे हो? तो इसके कारण हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा शब्दके संसर्गमें न जाँय। जिसमें से कुछ निकलनेवाला नहीं।

## ट्रेड युनियॅनिस्म का जन्मस्थान

तो हम सीधेहि इतना विचार करें कि भाई आजकी रचनाओं क्या हैं। और उन रचनाओंमेंसे हमें अमिप्रेत क्या है? इसका हम विचार करें। जैसा कि मैंने कहा कि सोशॅलिस्म के नामपर जहाँ एक सही और अच्छा विचार आया कि भाई शोषण समाप्त हो जाय विषमता समाप्त हो जाय। वहाँ अपनेको सोशॅलिस्ट कहनेवाले लोगोंको भी समय समयपर अपने अनुभवोंके आधारपरही अपने विचारोंमें परिवर्तन करना पडा है ऐसा दिखाई देता है। उदाहरणके लिये थोडा ग्रेट ब्रिटनकाही विचार करें। हम जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटन की एक विशेष पोस्तीशन है। ट्रेड युनियॅनिस्मका वह जन्म स्थान है। वेस्टर्न पार्लॅमेंटरी डेमोकॅरॅसीकाभी वह जन्म स्थान है। और वहाँ बड़ी यूनिक प्रोसेस ऐसी हुआ है कि पहले ट्रेड यूनियन्सका जन्म हुआ, और उसके बाद उनके कुछ लोगोंको लेकर सोशॅलिस्ट पार्टीका, लेबर पार्टीका जन्म हुआ। सोशॅलिस्म वहाँ बहुत चलता है। कुछ अटल सिद्धांत सोशॅलिस्मके हैं यह मानकर वह चले है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि परिस्थिती के आधारपर सबको यह बात ख्यालमें आगई की ईशम को लेकर चलनेसे कुछ होगा नहीं। व्यवहार देखना पडेगा, वास्तविकताओं देखनी पडेगी। उदाहरणके लिये

केवल मैं ग्रेट ब्रिटनकाही संक्षेपमें उदाहरण देना चाहता हूँ। इसका मतलबही होता है—**किताबी रिलिजन**—तो यह जो किताबी रिलिजन है। वह वास्तविकतासे मेल नहीं खाता इसका अच्छा उदाहरण हमारे सामने वहाँके अनुभव से खड़ा होता है।

## ब्रिटन के अनुभव

हम हिंदुस्थानमें उनके बारेमें क्या समझते हैं? कि भाई वहाँ एक ग्रुप सोशलिस्ट है, एक ग्रुप कांशर्वेडिंह है। वहाँ भी कांशर्वेडिंह पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है। अब हम सोचें कि नॅशनलाइजेशन यह एक बड़ा भारी सिद्धान्त है। आजकल हमारे देशमें उसकी बड़ी चर्चा चलती है। हमारे देशके जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो स्वयं विचार करनेकी दृष्टीसे अपने ब्रेनको तकलीफ नहीं देना चाहते, उन्होंने यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि कोईभी आर्थिक, औद्योगिक बीमारी रहे उसका रामबाण इलाज हमारे पास है; वह याने नॅशनलाइजेशन कर दे। अब यह इन्होंने अपने दिमागसे बड़ा सोचकर निकाला ऐसी बात नहीं। वह किताबमें है। यह जो किताबी मजहब है, उसका नॅशनलाइजेशन यह एक सिद्धान्त है। हमें पूछा जाता है कि हमारी भूमिका क्या है? वह तो हमने स्पष्ट की है। हम सोचते हैं कि भाई उद्योगके स्वामित्वके फई ढाँचे हो सकते हैं। हरेक उद्योगकी अपनी-अपनी विशेषता है। उसके अनुसार उसके स्वामित्वके ढाँचे में भी परिवर्तन होना चाहिये। कोई भी भेक स्वामित्वका ढाँचा ऐसा नहीं कि जो सभी उद्योगोंपर लागू हो सकता है। जैसे प्रयागमें नाई लोग एकही उम्तरेसे सब हजामत करते हैं। जैसे एकही सिद्धान्तसे सब उद्योग बराबर स्वामित्वका अपना ढाँचा ले लें ऐसी बात हो नहीं सकती। अलग अलग विचार करना होगा। हरेक स्वामित्वके ढाँचेकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अलग अलग परिस्थितियोंमें नॅशनलाइजेशनभी हम पॅनेशियाके नाते नहीं मानते। एक रामबाण इलाज के नाते नहीं मानते। किन्तु हॉ! भेक अपरिहार्य बुराईके नाते, इनएग्गिहेटवल इग्गिहलके नाते हम जरूर उसको थोड़ा बहुत मानते है। जैसे कि दाल चावल आटा यह स्थाई अन्न होता है। किन्तु स्ट्रिकलिम है, आसैनिक है यह तो किसीका स्थाई खाद्य नहीं है। तोमी जब रोमेंटिश्म हो जाता है, कोई बीमारिया होती है तो उसके लिमिटेड बोसेस दीये जाते हैं। उसी तरहसे लिमिटेड मात्रामें कुछ अपरिहार्य परिस्थितियोंमें हम नॅशनलाइजेशनकामी कुछ उद्योगोंके बारेमें जरूर विचार कर सकते हैं। तो इस तरहका संतुलित विचार हम लोगोंने रखा। किन्तु संतुलित रहे तो फिर प्रोग्रेसिव कैसे होंगे? इस दृष्टीसे सभी उद्योगोंके लिये स्वामित्वका एकही ढाँचा लागू हो और वह नॅशनलाइजेशनकाही रहे यह विचार आजकल चल रहा है। अब ग्रेट ब्रिटनका उदाहरण हम देखें। मैंने कहा की संक्षेपमें मैं निर्देश करूंगा। वहाँ दो पार्टिया हैं—कांशर्वेडिंह पार्टी

और लेबर पार्टी। कॉन्ग्रेस टिप्पू पार्टी सोशलिज्मके विरोध में है। सोशलिज्मके विचारोंका केंद्रबिन्दु नेशनलायझेशन है इस नातेसे और कॉन्ग्रेस टिप्पू नेशनलायझेशनके लिये सिद्धान्त के रूपमें खिलाप है यह दोनों बातें हम ले। किन्तु वहाँ एक विचित्र बात दिखती है।

## नेशनलायझेशन की प्रक्रीया

नेशनलायझेशनकी प्रक्रीयाका प्रारंभ जो हुआ वह नॉन सोशलिस्ट और अॅन्टि सोशलिस्ट गव्हर्नमेंटके रहते हुआ हुआ। १८८८ में वहाँके हायकोर्टने यह जजमेंट दीया कि भाई टेलिफोन सर्विसेस जो है वह सरकार अपने हाथमें ले सकती है। १८८८ से लेकर तो लगभग १९१२ तक सारे टेलिफोन सर्विसेसका नेशनलायझेशन हुआ। इस संपूर्ण अवधीमें नॉन सोशलिस्ट, अॅन्टी सोशलिस्ट गव्हर्नमेंट थी। अभी जो नेशनलायझ उद्योगोंका एक मॅनेजमेंटका पेटर्न है उसका आधार लंडन पोर्ट ट्रस्ट अॅथॉरिटी का मॅनेजमेंट का जो टॉंचा पहले बना था वही है। १९०८ में लंडन पोर्ट ट्रस्ट अॅथॉरिटीका यह टॉंचा बना। और उससमय कॉन्ग्रेस टिप्पू पार्टीके हाथमें अधिकार थे। माने नॉन सोशलिस्ट, अॅन्टि सोशलिस्ट लोगोंके हाथमें अधिकार थे। माने कई उद्योगोंका नेशनलायझेशन कॉन्ग्रेस टिप्पू ने किया। यही कहते हुआ किया कि भाई व्यवहारके लिये हमें यह ठीक लगता है। हम सिद्धान्त के रूपमें तो नेशनलायझेशनके खिलाफ है किन्तु व्यावहारमें हमें लगता है कि इनका नेशनलायझेशन होनेसे हमारे समाज का लाभ होगा। यह एक बात देख ली। अब दूसरी बात हम देखें। उधर सोशलिस्ट हैं। हमारे समाज की उनकी दो विंग है। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस और लेबर पार्टी इन दोनोंने १९१३ में बहुत, हो दृष्टा चलाया, कि उद्योगों का नेशनलायझेशन हो। बहुत कुछ शोर मचाया। जैसे अपने यहाँ है। वहाँ भी-सब बैंकोंका नेशनलायझेशन हो-यह सारा लगा। बाकी के उद्योगोंके बारे में भी लगा। १९४५ में भी लेबर पार्टी १ फॉर दि फुल्ट टाइम क्लिअर मॅजॉरिटीमें आगई। माने कोअि सेशनमें नहीं। स्पष्ट रूपसे उनकीही गव्हर्नमेंट ४५ में आगई। उनके बाद जब उनका विचार हुआ-तब बैंकस्के बारेमेंही उन्होंने कहा कि बैंकोंका नेशनलायझेशन करना क्यों आवश्यक है? उनकी कॉन्फरन्सेस हुआ। बताया गया कि 'इयुरिंग वॉर पीरिअड' जो इंग्लैंड की बैंकिंग सिस्टिम थी, उन्होंने नेशनल ट्रांजेन्स पूरे कीये हैं, नेशनल डिपिन्लीन को मान लिया है। और इस लिये उनके नेशनलायझेशनके लिये कोई वास्तवमें- आवश्यकता है ऐसा उनके प्रवृत्तीको देखकर नहीं लगता। किन्तु हाँ; विचार सामने आया कि कमसे कम एक जो सेंट्रल बैंक है उसको तो नेशनलायझेंड कीया जाय। क्यों कि हम लोगोंने व्होर्टर्स को कमिटमेंट दीया है। बाकी बैंकोंको छोड दिया जाय। जो कमर्शियल बैंक है उनको छोड दिया जाय। इस एकका तो कमसे कम नेशनलायझेशन करना होगा। माने इन अपॉलॉ-जिटिक उद्योगोंमें उस कॉन्फरन्सेसने सोचा। बादमें उनके कालावधीमें कुछ उद्योगोंका नेशनलाय-झेशनमी हुआ। उसमेंसे एक उद्योग, कोयला उद्योग था। चुनाव के पहले कॉन्ग्रेस टिप्पू पार्टीकी जो कॉन्फरन्सेस हुआ थी, उसमें कॉन्ग्रेस टिप्पू पार्टीने पहलेही निर्णय लिया था कि कोयला उद्योगका हम नेशनलायझेशन करेंगे! क्यों? क्यों कि वह लॉसेस में जा रहा

था। प्रायःहेट ऐंप्रॉयर्स उसको चञ्चानेके लिये तैयार नहीं थे। जहाँ मुनाफा नहीं वहाँ ऐंप्रॉयर्स जायेगा कायके लिये ? तो सरकारने हाथ में लेने की परिस्थिति थी। उसीका इन्होंने पहले नॅशनलायझेशन कीया। लेकिन नॅशनलायझेशन करनेके बाद जो व्यवहारिक अनुभव आया उसके कारण ब्रिटिश ट्रेड युनियन कॉंग्रेसको और लेबर पार्टीको अपने विचारोंमें कुछ परिवर्तन करना पडा। अनुभव कैसे आया ? १९१३ में यह बात सोची गयी थी कि नॅशनलायझेशन यहि पॅनेशिया है। क्योंकि नॅशनलायझेशनका मतलब क्या है ? उद्योग राष्ट्रका हो जाएगा। माने-ग्रेट ब्रिटनके जो आठ करोड नागरिक हैं उनका हो जाएगा। अब उससे अधिक अच्छी अवस्था कौनसी हो सकती है ? कोई भी उद्योग समी जनताका हो जाय इससे अधिक अच्छी अवस्था-वांछनीय अवस्था कौनसी हो सकती है ? तो नॅशनलायझेशनका विचार सोचा गया। अब समी जनताका उद्योग हो इस दृष्टीसे कोई माध्यम होना चाहिये-तो भाई सरकार माध्यम है। क्योंकि इलेक्ट्रेड सरकार है। और फिर यह सोचा गया कि इलेक्ट्रेड जो है याने पार्लमेंट है उसको हरेक नॅशनलायझड इंडस्ट्री जिम्मेवार होनी चाहिये। कागजपर यह सारा ठीक रहा। अब वह लेबर पार्टीने नॅशनलायझेशन कीये हुअे उद्योगोंमें समस्याओं खडी हुअी।

### समस्याओं

सबसे पहली समस्यातो यह खडी हुअी, कि भाई उद्योगका नॅशनलायझेशन कीया, जैसे मान लीजिये, रोड ट्रान्स्पोर्ट हैं-नॅशनलायझेशन किया। नॅशनलायझेशन करनेके बाद उसको मॅनेजमेंट कौन करेगा ? बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट करेगा। बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटमें किसको लेना चाहिये ? तो एक विचार यहाँ आया कि उद्योगसे संबंधित जितनेही हितसंबंध है, इंटरैस्ट है, उनका प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समें होना चाहिये। माने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटमें होना चाहिए। अब रोड ट्रान्स्पोर्ट के संबंधित कौन है ? हिवाब कीजिये-तो जो इधर उधरसे माल भेजते हैं-कमर्शियल इंटरैस्ट, वे उसमें है। अॅभ्रिकल्चरिस्ट जो अपना माल भेजते हैं वे उसमें है। इंडस्ट्रियैलिस्ट जो अपना माल भेजते हैं वे उसमें है। गिनती करते करते यह पता चला कि आठ करोडमेंसे कोई भी ऐसा आदमी ग्रेट ब्रिटनमें नहीं कि जो रोड ट्रान्स्पोर्टसे संबंधित न हो ! तो कन्सर्नड इंटरैस्ट बोलने के बाद बिसको छोडा जा सकता है ऐसा कोई भी नहीं। अब सबका प्रतिनिधित्व कैसा होगा ? फिर सोचा गया जो टेक्निशियन्स है उनको रखा जाय। किन्तु जो अपने यहाँ डिफिकल्टी है वहाँ भी डिफिकल्टी है। हरेक वेस्टर्न पार्लमेंटरी डेमोंक्रासीके अन्तर्गत वह डिफिकल्टी आती है। कि जो टेक्नीशियन्स है वह किसीभी इंटरैस्टका प्रतिनिधित्व करे इसकीभी गॅरंटी नहीं। क्यों कि हम लोग जानते हैं, कि अपने देशमें भी वह कठिनाई है कि टेक्नीशियन बनने के लिये पूरा समय देना पडता है, बडी मेहनत करनी पडती है। और जो टाइम अॅन्ड एनर्जी टेक्नीशियन बनने के लिये खर्च करेंगे, उनको पॉप्युलर बननेके लिये टाइम अॅन्ड एनर्जी खर्च करना सम्भव नहीं होता। दोज हू कॅन डिव्होट टाइम

अॅन्ड एनर्जी इनफ, टु बिकम टेक्नीशियन हँव नो टाइम अॅन्ड एनर्जी टु स्पेंड टु बिकम पॉप्युलर—' अब टेक्नीशियन होना होल टाइम जॉब है। और पाप्युलर होना होल टाइम जॉब है। और एक आदमी दोनों नहीं कर सकता। और 'दोज हु कॅन डिहोत टाइम अॅन्ड एनर्जी इनफ टु बिकम पॉप्युलर हँव नो स्पेअर टाइम अॅन्ड एनर्जी टु बिकम ए टेक्नीशियन'। इसीलिये डेमॉक्रसीमें बहुत बार ऐसा दीखता है—कि जो पॉप्युलर रहते हैं वह टेक्नीशियन नहीं रहते और जो टेक्नीशियन होते हैं वह पॉप्युलर नहीं होते। तो यह टेक्नीशियन्स वहाँ जाभेंगे तो किसीका भी प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। फिर यह सोचा कि चलो एक वकिंग कॉप्रमाइज कुछ निकाला जाय। कुछ टेक्नीशियन्स को लिया जाय, कुछ इनकोमी लिया जाय। तो यह बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट बन गई। अब उसमें राष्ट्रीयकरण किया हुआ उद्योग पार्लमेंटको जिम्मेदार होना चाहिये। यह सबाल जैसे आया जैसे राष्ट्रीयकरण कीये हुअे उद्योग में मालिक मजदूर संबंध प्रायःहेट सेक्टरसे तो अच्छी होने चाहिये यह भी विचार आया। लोगोंको लगना चाहिये कि माई यह तो मैंही चल रहा हूँ! और इसलिये फॅक्टरीज में यह बड़ा प्रयास चल रहा था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिये।

### राष्ट्रवाद !

अब यहाँ मैं एक बात कहूँ कि हम भारतीय मजदूर संघके लोग राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयत्व पर बहुत आग्रह देते हैं। बहुत लोग इसका ग्यावहारिक अर्थ, आर्थिक अर्थ नहीं समझते। लोग तो सोचते हैं राष्ट्र का मतलब तो यही है कि चायनीज फ्रांटियर पर या पाकिस्थानी फ्रांटियर आप लड़नेको जायें। मेरा मतलब वह नहीं है। राष्ट्रका आर्थिक परिभाषामें भी एक अलग अर्थ है। वह अर्थ क्या है? वह है नियरेस्ट इन्विन्हेलेंट टु नॅशनल इंस्ट्रेस्ट इन इकॉनॉमिक टर्म, इज कन्ड्यूमर्स इंटर्रेस्ट...। आर्थिक परिभाषामें राष्ट्रहितका बिलकुल नजदिक का, पर्यायावी शब्द, याने उपभोक्ता का हितसंबंध! अब इस दृष्टीसे पूरा राष्ट्रवाद यदि किसी जगह है तो वहाँ सब लोग आर्थिक क्षेत्र में उपभोक्ताका विचार करेंगे। मालिक भी उपभोक्ता का विचार करेंगे, मजदूरभी उपभोक्ता का विचार करेंगे—सरकार भी उपभोक्ता का विचार करेगी और उपभोक्ता जागृत रहेगा। ये तो बात नहीं कि कन्ड्यूमर्स तो स्वयं कौन्शसन रहे और बेशिस्त गवाहके बाकी लोग उसके बारेमें सोचे ऐसा नहीं हो सकता। तो कन्ड्यूमर्स इंटर्रेस्ट जो है उसके साथ आयडेन्टिफिकेशन लेबर का भी हो अॅप्लॉयर्स का भी हो, गव्हर्नमेंट का भी हो। अब वहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं थी! आयडेन्टिफिकेशन नहीं था। माने राष्ट्रवादकी मात्रा कुछ कम थी। और इसके कारण वर्कर्स पार्टिसिपेशनके सिद्धांत के अनुसार जब कार्यवाही होने लगी, कुछ कठिनाईयें आयी। कोयला के अुद्योग में इस दृष्टीसे सोचा गया अनुसार, अब मान लीजिये बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट पर युनियन के जनरल सेक्रेटरी को लेने का सोचा अब किसी भी अुद्योग में युनियन के जनरल सेक्रेटरीको बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट पर लिया जाता है तो उनका अनुभव ऐसा है कि



उसमें दिक्कत आती हैं। मान लीजिये कि उद्योग यदि प्रॉक्सरस है तब तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वह कहेगा कि हमको ज्यादा तनखा मिलना चाहिये, बोनस जादा मिलना चाहिये, यह होना चाहिये। दस बातें कह सकता है। लेकिन मान लीजिये जनरल रिसेशन है, उद्योग नीचे जा रहा है। अब यह क्या कहेगा? वर्कर्सके मीटिंग में माषण देना तो बड़ा सुविधाका होता है क्योंकि वहा जिम्मेदारी जादा नहीं रहती। जो जादा से जादा डिमांड करेगा उसको प्रोग्रेसिव लीडर कहा जायगा। किन्तु बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टेबल पर जब सारे इंटरेस्ट के प्रतिनिधि बैठे हैं वहाँ सारे आंकड़े, तथ्य, फॅक्ट्स, फिगर्स आप के सामने रखे जाते हैं, और आपको सब लोग पूछते हैं कि इसमें आप का वेज इन्क्रीज कैसे अडजेस्ट होगा बताइये। इसमें आपका बोनस कैसे अडजेस्ट होता है ये बताइये। और अब वहाँ तो माषणबाजी नहीं चलेगी न? वहाँ तो तथ्य और आंकड़ोंके आधार पर बोलना पड़ेगा—मानो जिम्मेदारी आ गयी। तो अनुभव आया कि उद्योगमें इस तरहसे रिसेशन है, वहाँ सारे तथ्य और आंकड़े टेबलपर आते हैं। और उन सारोंको देखकर जनरल सेक्रेटरी जादा वेज दो-दो कह नहीं सकता। क्योंकि लोक कहते हैं हमने ना तो कहाही नहीं, हम देनेको तैयार हैं। आंकड़ोंके आधारपर बताइये यह कैसे अडजेस्ट हो सकता है? फिर जनरल सेक्रेटरी को वहाँ वेज फ्रीज की बात लेनी पडती है। क्योंकि तथ्य और आंकड़े ऐसे हैं। अब हर यूनियनमें आप जानते हैं कि झगड़े थोडेबहुत होते ही हैं। फ्रॅक्शनलिज्म होता है। आज एक जनरल सेक्रेटरी है उसके विपक्षमें भी थोडेबहुत लोग होते हैं। तो वहाँ यदि किसीने वेज फ्रीज की बात मान ली तो पहलेहि उसके खिलाफ प्रपोगांडा शुरू होता है कि भाई दालमें कुछ काला है। कुछ गडबड है। यह खरीदा गया है। बात शुरू हो जाती है। अब जनरल सेक्रेटरीको यूनियनकी जनरल कौन्सिलके, महासमितीके सामने लाया जाता है। एकक्वामिन करनेके लिये क्रॉस होते हैं। वह सारे तथ्य बताता है, आंकड़े बताता है। उसके जो विपक्षी हैं, दूसरे फ्रॅक्शनके वह सब उसको क्रॉस अक्वामिन करते हैं। अब बड़ी मुश्किलमें यूनियन आ जाती है। क्योंकि वहाँ जनरल सेक्रेटरी दूसरा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि तथ्य और आंकड़े उसके खिलाफ हैं। इस लिये ये वहाँ अगर कोई चीजको कमिट करता है, तो उसी डिमांडको लेकर यूनियन स्ट्राइकपर नहीं जा सकती। क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का कमिटमेंट है। अब यूनियन तो स्ट्राइकपर जाना चाहेगी। तो यह जब बहुत धार हुआ तो यूनियनने भी सोचा कि हमारा अधिकृत पदाधिकारी वहाँ न रहें।

## नयी सिस्टीम

बादमें यह सिस्टिम शुरू हो गयी कि यूनियनका जो पदाधिकारी है वह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटपर नियुक्त न किया जाय और पदाधिकारी को वहाँ नियुक्त किया तो उसको यहाँसे हटाया जाय, और उसकी जगह दूसरेको लाया जाय। मानो अॅक्चुअली यूनियनका जो पार्टि-

सिपेशन होना चाहिये वह नहीं। इस लिये कि वहाँ यदि यूनियनका प्रतिनिधी रहता है तो उसका जो शब्द होगा, वह कमिटमेंट होगा, बाईडिंग होगा। फिर उसके खिलाफ कोई कारवायें यूनियन नहीं कर सकती। यूनियन अपनेको इस तरहसे बाँध लेनेके लिये तैयार नहीं। और इस दृष्टीसे वर्क्स पार्टिसिपेशनका आग्रह छोड़ दिया। वहाँ जो आदमी आयेगा उसको आप नॉमिनेट कर लीजिये वह हमारे यूनियनका प्रतिनिधी नहीं लेकिन हम मजदूरोंकी ओरसे आपने एक आदमी लिया है इतनाही हमें मान्य है। मानों वर्क्स पार्टिसिपेशनवाली बात कम हो गयी। और उधर वर्क्सके नाते जो प्रतिनिधी रहता है वह यदि एक बातको स्वीकार करता है तो उधर उसके खिलाफ और स्पीचभी होती हैं। इस प्रकारका दृश्य वहाँ दिखाई देने लगा। तो वहाँ कोन जाय इसके बारेमेंभी कोई फायनल डिजिजन अबतक बराबर नहीं हो सका। यह एक बात हम ख्यालमें लें।

## स्टेट विदिन दी स्टेट

दूसरी बात कि हरेक उद्योग पार्लमेंटको अन्सरेबल रहें। बात दीखनेमें अच्छी है। कागजपर जब लिखी गयी तो ब्रिटिश ट्रेड युनियन कॉंग्रेसको और ब्रिटिश लेबर पार्टीको ऐसा लगा कि इससे अच्छा रास्ता कौनसा हो सकता है? प्रैक्टिकलमें आयी तो वहाँ कुछ दिक्कतें आयी। दिक्कतें ऐसी हैं कि आप मान लीजिये एक टेक्स्टाइल मिल है, उसका नॅशनलायझेशन हुआ। उसका एक बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट रहा और बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटमें कुछ आपके, कुछ बाकी लोगोंके प्रतिनिधी रहे यह सब सारा ठीक रहा। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न आया कि यह पार्लमेंट को रिस्पॉन्सिबल कैसे रहेगी। उसका मतलब क्या है? नयों कि मान लीजिये, आपके टेक्स्टाइल मिलमें मॅनेजरने किसीको माली दी, लोगोंने मॅनेजरको घेराओ किया, अब उस समय क्या करना चाहिये यह बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटको पार्लमेंटने बताना चाहिये। अब वो कैसे, कब और कहाँ बतायेगी? माने अक तो यह घेराओ होता है तब पार्लमेंट सेशनमें रहे। दूसरा पार्लमेंट के लिये सेशनमें रहते हुअे उतना पर्याप्त समय रहे, कि बाकी सारे झगडे छोड़कर अपने घेराओ के बारेमें पार्लमेंट सोचे। फिर तीसरी बात यही है कि यदि पार्लमेंट सेशनमें नहीं है तो पार्लमेंटका सेशन केवल घेराओंके लिये बुलाना कहाँतक संभव है? अक औरभी बात है कि हरेक इंडस्ट्रियल कन्सर्नमें डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशन जो चलती है उसकी दृष्टीसे इतनी देरी होना कहाँतक हम अॅफोर्ड कर सकते हैं? दो साचे हैं, चार साचें चलाअें न चलाएँ ऐसी हरेक छोटोबडे चीज का निर्णय एकदम पार्लमेंटमेंही देना हो तो कुछ देरतक हरेक उद्योग बंद रहेगा? तो डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशन पार्लमेंटके सलाह के अनुसार चलना असम्भव है, इम्प्रेक्टिकेबल है यह बात लोगों के ख्यालमें आयी। किन्तु सोचा, कि कित्ताबमें लिखा है कि हर एक उद्योग अॅन्सारेबल टु पार्लमेंट हो। फिर क्या रास्ता निकालें। फिर दूसरा रास्ता निकला कि इस विषयको दो हिस्सोंमें बाँट दिया जाय। एक डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशन

और दूसरा जनरल पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री विद्इन द फ्रेम ऑफ नॅशनल इंटरेस्ट। तो इस तरहसे दो विषयोंमें बॉट दिया। और कहा कि डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशन जो है वह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटका विषय है उनको पूरा अधिकार है। लेकिन जनरल पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री विद्इन द फ्रेम ऑफ नॅशनल इंटरेस्ट, जो है वह पार्लमेंट तय करें। अब उसमें भी एक इंडस्ट्रीका विषय पार्लमेंटके सामने आता है। एक M. P. महोदय उठकर खड़े होते हैं—वे कहते हैं कि साब यह जो फलानी फलानी कॅटगरी है, उसका ऐसा ऐसा इमेला है, उसके बारेमें हम यह बोलना चाहते हैं। पार्लमेंटने कुछ इसका फैसला करना चाहिये। उस उद्योग के जो मंत्री होते हैं वे कहते हैं कि यह डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशनका सवाल है, पार्लमेंटके सामने नहीं आ सकता। यह M. P. साब कहते हैं कि यह विषय आठही लोगोंका होगा, लेकिन इसमें प्रिन्सिपल इन्वॉल्व्ड है। यह टेस्ट केस बन जाती है। इसलिये इसको जनरल पॉलिसी समझनी चाहिये। और फिर अध्यक्ष महोदयको (पार्लमेंट को) कहना पड़ता है कि भाई यह विषय जनरल पॉलिसीका है या डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशनका है मैं सोचकर कल उसका व्हाइक्ट दूंगा। माने यह बड़ी कठीण बात है। हरेक चीजको प्रिन्सिपल माना जा सकता है। इस तरहसे एक दिखाई दिया कि जनरल पॉलिसी क्या है? डे टुडे अॅडमिनिस्ट्रेशन क्या है? यह बराबर डिमाकेंट करना कठीण है। और इस दृष्टीसे हरेक उद्योग और पार्लमेंटको अॅन्सरेबल बनाना भी कठीण है। हरेक उद्योग, और उसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसके चेअरमन वगैरे वह एक स्टेट विद्इन द स्टेट बन जाते हैं वह अनुभव वहाँमी आने ल्या।

### ब्रिटिश ट्रेड युनियन काँग्रेसका निर्णय

औरभी एक दूसरी बात हुई, कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तैयार हुआ—लेकिन यदि वह पार्लमेंटको अॅन्सरेबल है तो कोई न कोई मिनिस्टर उसका इनचार्ज होना चाहिये। हरेक नॅशनलाइज्ड किया इन्डस्ट्रीका एक विचार जैसा, इन्चार्ज एक मिनिस्टर रहे यह विचार तो ठीक है। किन्तु अब मिनिस्टर और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के परस्पर संबंध कैसे रहें? तो यह तय हुआ कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटको स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकारका प्रेशर मिनिस्टर की ओरसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटपर नहीं आना चाहिये। कोई पार्टी पॉलिटिक्स उस में नहीं आना चाहिये। बात ठीक है। अब व्यवहार में ऐसा हुआ, अगला चुनाव आ गया। अगले चुनावके पहले कोयले की कीमतें यदि बढ़ जाती हैं तो पार्टी इन पॉवर बदनाम हो जाएगी, उनके व्होट कम हो जाएंगे और सर्व साधारण कन्व्हेन्शन है कि इंडस्ट्री वह कम से कम घाटे में न जाय। इसलिये कोयलेकी कीमत न बढ़ें। किन्तु यदि कोयले की कीमत न बढ़ती तो नॅशनलाइज्ड कोल इंडस्ट्री घाटे में जाएगी। कोलइंडस्ट्री घाटेमें जायेगी। और सर्वसाधारण कन्व्हेन्शन है कि इंडस्ट्री वह कमसेकम घाटेमें न जायँ। और यदि

प्रॉफिटमें नहीं तो मी अब घाटा न हो तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। कीमतें बढ़ जाएंगी तो रुलिंग पार्टी को व्होट कम मिलेंगे। कीमतें न बढ़ें तो रुलिंग पार्टी का, जिस पार्टी का वह मिनिस्टर है उसके वोट्स बढ़ जाएंगे। किन्तु इधर घाटा आएगा। और यह तो कन्व्हेन्शनके खिलाफ है। समस्या खड़ी हो गयी क्या किया जाय ? अब मिनिस्टर सीधे 'अॅज मिनिस्टर' नहीं कह सकता, डायरेक्टिव्ह नहीं दे सकता। लेकिन प्रायव्हेट, इन्फॉर्मल बातचीतपर तो कोई बन्धन नहीं। चेअरमनको चाय के लिये तो बुलाया जा सकता है। वे उसके यहाँ चाय के लिये जा सकते हैं। इन्फॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि माई ऐसा है, यह हमारी ऑफिशियल तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई लोगोंने तो हमको ऐसा कहा कि माई कोयलेकी कीमत तो नहीं बढ़नी चाहिये। अब इन्फॉर्मली कह दिया। जिसमें मिनिस्टर साहबकी इच्छा तो व्यक्त हो गयी। अब चेअरमन साहबके सामने भी विचार आता है कि माई कीमत में बढ़ाता हूँ तो मिनिस्टर साहब नाराज हो जाएंगे। और यदि न बढ़ाता हूँ तो इंडस्ट्री घाटेमें आ जायेगी। माने इस तरह से मिनिस्ट्री और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटमें परस्पर संबंध कैसे होना चाहिये इस विषयमें बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं ऐसा दिखाई दिया। इन सब बातोंका विचार करते हुये वहाँ सोशॉलिस्ट M. Ps. हैं उन्होंने एक विचार करनेके लिये क्लब बनाया। उन्होंने यह कहा कि हमें नॅशनलायझेशन के बारेमें पुनर्विचार करना होगा। नॅशनलायझेशन याने 'सोशॉलिज्म का केंद्र बिन्दू' है इस विचार छोड़ देना पडेगा। उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार किया कि हम लोग पार्लमेंट को अॅन्सरेबल हरैक नॅशनल इंडस्ट्री नहीं बना सकेंगे। हम लोगोंने एक मशिनरी सेटअप तो की है लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर पायेंगे इस तरहका विचार उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा। अब मालिक मजदूर संबंधके विषयमें वहाँ के ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉंग्रेसने १९५३ में एक कमिटी अपॉइंट की। उसका कामही यही था कि प्रायव्हेट सेक्टरमें मालिक मजदूर संबंध कैसे है, पब्लिक सेक्टरमें मालिक मजदूर संबंध कैसे है, पब्लिक सेक्टरमें मालिक मजदूर संबंध कैसे हैं दोनोंमें क्या फर्क है यह देखा जाय। और सारा अध्ययन करनेके पश्चात् ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉंग्रेसके इस स्वाध्याय मंडलने रिपोर्ट दी है—जो पब्लिश हुई है—जिसमें कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स इन पब्लिक सेक्टर आर अॅज गुड अॅण्ड बॅड अॅज दोज इन प्रायव्हेट सेक्टर—दोनोंमें कोई अंतर नहीं। तो फिर इन सोशॉलिस्ट M. Ps. के मुपने यह कहा कि हम उसको पार्लमेंटकोभी अॅन्सरेबल नहीं कर सके। मालिक मजदूर के संबंधोंमें भी कोई अच्छाई हम नहीं ला सके। तो इस दृष्टीसे नॅशनलायझेशनको विचारका एक केंद्रबिन्दु बनाना यह ठीक नहीं है। यह विचार कुल सोशॉलिस्ट M.Ps. के क्लबके माध्यमसे आया है। '२०th सेंचुरी सोशॉलिज्म' नामकी उनकी किताब है उसमें उन्होंने दिया है। अब यह एक छोटासा उदाहरण आपके सामने रखा।

## प्रॅग्मॅटिझम

ईशम नामपर जो रिजिड अॅटिच्यूड ली जाती है, बहुत 'रिजिड अॅटिच्यूड' जिसको हम किताबी मजहब कहना चाहते हैं। वह न्यवहार में कहाँ तक सही उतरती है यही सबसे जादा महत्वकी बात होती है। क्रिदाबमें हमारे कौनसा रिजिजन है इसका महत्व इतना नहीं। और इस दृष्टीसे ऐसा दिखेगा कि तरह तरहकी परिस्थितीमें तरह तरहकी बातें उपयुक्त हो सकती हैं। कोई बहुत बडा रिजिड जो हो ऐसा नियम बनाया नहीं जा सकता। यही होना चाहिये या नहीं होना चाहिये ऐसा भी हमेशाके लिये कोई कानून डालनेकी आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं कि ईशम नामसे कोई ना कोई एक होनाही चाहिये, वह पूँछ यदि हमारे पीछे न रही तो फिर हमारी प्रतिष्ठा क्या है? ऐसा समझनेकी आवश्यकता नहीं। हम यह सोचकर चलें कि हम सभी बातोंका अध्ययन करें, सभी ईशमसका अध्ययन करें। अध्ययन सबका होना चाहिये। लेकिन सबका अध्ययन करनेके पश्चात अपनी परिस्थितियोंका, अपनी आवश्यकताओंका स्वतंत्र रूपसे विचार करें। और सभी ईशमके अध्ययनके पृष्ठभूमीपर, किन्तु अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं ख्यालमें रखते हुअे हम अपना रास्ता खोजें यही जादा उपयुक्त होगा। और इस दृष्टीसे हम हमेशा यह कहते हैं कि हम किसी भी ईशमके पीछे नहीं, हम किसीभी ईशमके अनुयायी नहीं। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि नहीं, साब, ईशम तो होनाही चाहिये तो हम कौनसा ईशम बताएँ। क्योंकि नॅशनॅलिझम जो है वह ईशम नहीं। अंग्रेजी में शब्दरचना कुछ अपर्याप्त होने के कारण ऐसे गलत शब्द भी अंग्रेजीमें चलते हैं। तो नॅशनॅलिझम यह कोई ईशम नहीं है। यह तो उनकी भावना है। फिर कौनसा ईशम बताएँ। तो इस दृष्टीसे एक तो हम कहते हैं कि हम किसी भी ईशम के नहीं और यदि कोई कुछ ईशम पूछनाही चाहता है, और ईशमके बगैर उसके दिमाग में हमारी बात नहीं आती तो हमारा ईशम है प्रॅग्मॅटिझम। प्रॅग्मॅटिझमका मतलब होता है 'व्यवहारवाद'। राद्दहित के चौखट के अन्दर होते हुअे, 'व्यवहारवाद'। किसी भी ईशम के साथ अपने को न बाँधते हुअे, आँखें खुली रखते हुअे, कान खुले रखते हुअे, दिमाग खुला रखते हुअे, सभीका अध्ययन करते हुअे किन्तु किसी का भी अन्धानुकरण न करते हुअे, अपनी परंपरा, आजकी परिस्थिती, इसका विशेष विचार करते हुअे आज एक भविष्य का रास्ता हम सोचेंगे। यह ईशम के बगैर होता है। ईशम के साथ नहीं हो सकता। लेकिन नामही यदि ईशम की परिभाषा में चाहिये, तो उसको हम प्रॅग्मॅटिझम कहे यही विचार हम ईशम के बारे में आज रखते हैं।

☆☆☆

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम - संघ, भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएँ

और

## भारतीय श्रमिक

श्री. गो. का. आठवले,

मॅडनहोकेट,

मंत्री, मा. म. संघ,

विदर्भ विभाग.

प्रथम जागतिक महायुद्ध के भीषण मानव संहार ने दुनिया के पिछड़े हुए देशों के पीड़ित तथा दलित मानव समाज के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने तथा उस के सुखसमृद्धि को बढ़ाने की दिशा के विचार का एक नया पर्व आरम्भ किया। सामाजिक न्याय के महान बर्तवों पर आधारित चिरस्थायी शान्ति को दुनिया में बनाये रखने के उद्देश्य से 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्थापना 'वर्साइलिस ट्रिट्टी' के अनुसार होते ही औद्योगिक दशाओं में सुधार की दृष्टि से भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए इस दृष्टि से २८ जून १९१९ को प्रमुख देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ (International Labour Organisation) के रूप में एक स्थायी संगठन गठित किया। यह लीग आफ नेशन्स का एक प्रमुख अंग बन गया।

### इस श्रम संघ के आधारभूत सिद्धान्त

१. श्रम को केवल एक वाणिज्य का विषय अथवा वस्तु नहीं समझा जाना चाहिये।
२. मजदूर तथा मालिकों को वैधानिक कार्यों के लिए संघ बनाने का अधिकार होगा।
३. देश, काल, परिस्थिति को समझ कर साधारण जीवनस्तर बनाए रखने के लिए श्रम का सुयोग्य पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये।

४. सप्ताह में ४८ घण्टे तथा दिन में ८ घण्टे का कार्य-नियम लागू हो।
५. कम से कम २४ घण्टे के विश्राम की व्यवस्था हो जिसमें सम्भवतः रविवार सम्मिलित रहे।
६. बालकों से काम लेना बन्द हो तथा उन के लिये ऐसा बन्धन हो जिसमें से उनके शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के लिए अवसर मिलें।
७. स्त्री-पुरुषों को समान काम के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाय।
८. देशवासी तथा विदेशी मजदूरों को समान आर्थिक न्याय मिलें। (equitable economic treatment)
९. प्रत्येक राज्य एक विशेष निरीक्षण पद्धति आयोजित करे जिस में स्त्रियां भी भाग ले सकें, तो कि मजदूर कानून की अमलवारी हो सके।

### अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रमुख उद्देश्य

१. हरेक स्वस्थ मजदूर को रोजगार की व्यवस्था।
२. उपयुक्तता, कुशलता तथा रुची के आधारपर मजदूर को काम देना।
३. श्रमिकों के आय में वृद्धि कर उस के जीवनस्तर को ऊँचा उठाना।
४. श्रमिक की गतिशीलता को सुविधाओं की व्यवस्था।
५. सामाजिक सुरक्षा की योजना।
६. सामुहिक लेन देन के तत्व को सम्मानित रख कर उसे प्रोत्साहित करना।
७. श्रमिकों की प्रशिक्षा का प्रबन्ध।
८. उत्पादनक्षमता वृद्धि का प्रबन्ध।
९. आर्थिक तथा श्रम-नीति का श्रमिकों को उस के फलों का हिस्सा मिल सकें इस पद्धतिसे निर्धारण तथा समान श्रमके लिए समान पारिश्रमिक।
१०. श्रमिक निवास योजना।
११. बालकल्याण की व्यवस्था।
१२. काम करने की दशा में उचित सुधार।
१३. प्रसूति संरक्षण की व्यवस्था तथा नियम।

यह संस्था, संसार की आर्थिक तथा श्रम समस्याओं का अध्ययन कर, उन के निराकरण की योजनाएँ बनाकर, सामाजिक अधिनियम तथा संगठनके बारे में परामर्श देकर, प्रतिनिधी मण्डलों द्वारा सहायता प्रदान कर, बेरोजगारी, श्रम कल्याण, औद्योगिक उन्नति आदि विषयों पर प्रकाशन कर श्रमिकों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है।

संसार के अनेक देश इस के सदस्य हैं। भारत, स्वतंत्र न होकर भी, सन १९१९ से इस संस्था का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। अन्यान्य देशों की तरह वार्षिक अनुदान भी दे रहा है। इस संस्था के आयव्ययक (बजट) में अंशदान की दृष्टिसे भारत का स्थान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी तथा कॅनडा के बाद सातवाँ है। इस के अन्तर्गत परिषद में भी भारत एक स्थायी सदस्य है। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है और इस सम्मेलनों की शिफारिशें तथा Conventions पर संसार के अन्यान्य देशोंद्वारा किये जानेवाले क़ीयान्वयन का परिषद निरीक्षण करती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये १९१९ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, में भारत के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम श्री. ना. म. जोशीजी को भारत सरकारने भेजा था। भारत के श्रम संगठनोंके निर्माणमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की आवश्यकता की प्रेरणा थी यह स्पष्ट हो सकता है। अर्थात् यह भी स्पष्ट है कि भारत में संविधान, श्रमविधि तथा अभिनियमोंपर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उद्देश्यों, आवश्यकता तथा नियंत्रण नीति का संस्कार दिखाई पड़ता है।

### भारतीय संविधान में श्रमिकों को संरक्षण

२६ जनवरी १९५० को भारतने अपना संविधान स्वीकार किया। भारत में कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना के उद्देश्य से श्रमिकों को उचित और गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। एवम् उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गयी। धारा ४३ के अनुसार यह स्पष्ट घोषित किया गया कि उपयुक्त विधानों या आर्थिक संगठनों अथवा अन्य किसी साधनोंसे राज्य, कृषि के उद्योगों के, या अन्यान्य क्षेत्रों के समस्त श्रमिकों का काम, मजदूरी, शिष्टसम्मत जीवनस्तर, अवकाशसहित सुनिश्चित काम की दशाएं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

वास्तव में भारत स्वतंत्र होने के पूर्व ही इन तत्वों की नींव डाली जा रही थी। औद्योगिक श्रमिकों की संख्यावृद्धि के साथ बढ़ती हुई समस्याओं को सुलझाने के लिये ब्रिटिश सरकारने अपनी स्वार्थपरायणता से प्रेरित हो कर एक नीति अपनायी थी। Policy of Loisser Faire इससे देश के कुटिर तथा लघु उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पडा। भारत के रेल यातायात के उद्योग को भी इसी उद्देश से विकसित किया गया। अतः इंग्लैंड का माल देशभर पहुंचाने का काम ही इस के द्वारा हुआ और दरिद्री कारीगरों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली। अर्थात् कृषि व्यवसाय पर ही अधिकांश जनसंख्या को निर्भर रहना पडा। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही द्वितीय महायुद्ध के समय भारत में औद्योगिक विकास हुआ किन्तु यह भी ब्रिटिशों की गुलामी वृत्ति से मुक्त न था। इस की नींव भी १९१६ में स्थापित किये गये औद्योगिक आयोग



(Indian Industrial Commission) की युद्धसहायता के उद्देश्य से ही की थी। अतः श्रमिकों की स्थिति पर इस का भी बुरा प्रभाव पड़ा। काम के घण्टे १६ से १८ तक रहते थे। कार्य कुशलता की भुगतान का विचार नहीं होता था। श्रमिकों के सुख और कल्याण का भी विचार नहीं होता था। किन्तु Factories Act बनने से इस में कुछ सुधार हो सका। इस स्थिति के परिवर्तनार्थ मई १९२९ में श्री. जे. एस. विल्ले की अध्यक्षता में Royal Commission on Labour की नियुक्ति हुई। इस आयोग की सिफारिशों पर आधारित भारत में समय पर अधिनियम बने।

इस पृष्ठभूमि पर भारत के संविधान में श्रमिकों को एक विशेष स्थान दिया गया है। धारा २३ के अनुसार क्लॉट श्रम (बेगार) पर प्रतिबन्ध लगाया गया। यह व्यवहार दण्डार्ह माना गया है। बच्चों की नौकरी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। धारा ३१ के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार अपनायेगा।

१) स्त्री-पुरुषों को अपना जीविका के प्रयास साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा २) भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा कि सभी का सामूहिक हित होगा। ३) सामूहिक हितों के विरोध में अर्थ तथा उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो। ४) स्त्री-पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन हो। ५) श्रमिकों तथा बालकों के स्वास्थ्य का ऐसा दुरुपयोग न हो सके जिसके कारण उन्हें अहितकारी क्षेत्रों के लिये बाध्य होना पड़े। ६) शैशव और किशोरावस्था का शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग न हो।

धारा ४१, ४२ और ४३ के अनुसार आर्थिक योग्यता और सीमाओं के अन्तर्गत काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेरोजगारी से मुक्ति, बुद्धवस्था, बीमारी और अभाव में सहायता, न्यायपूर्ण और काम करने की मानवीय दशाओं तथा प्रसूति-सहायता का प्रबन्ध, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों के लिये उपयुक्त कानूनों द्वारा जिस में से शिष्टसम्मत जीवनस्तर बन सके, यह प्रयास करनेका उद्देश्य अपनाया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये १९५० में 'योजना आयोग' (Planning Commission) गठित किया गया। इसी के आधार पर कर्मचारी बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम १९५२ इ. का निर्माण हुआ। उद्देश्यों की घोषणा आयोग द्वारा स्पष्ट शब्दों में की गई है। 'Labour problems should be approached from angles : the Welfare of the working class and the country's economic stability and progress. The basic needs of the worker for food, clothing and

stability must be satisfied. He should also enjoy improved health services, wider provision of social security, better educational opportunity and increased recreational and cultural facilities. The conditions of work should be such as to safeguard his health and protect him against occupational and other hazards. He should be treated with consideration by the management and should have access to impartial machinery if he fails to get a fair deal. Finally, he should have freedom to organise and adopt lawful means to promote his rights and interest."..Planning Commission इन्हीं तत्वोंके आधारपर भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ आयोजित हुईं ।

### पंचवर्षीय योजनायें

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अपेक्षित फल इस नाते औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार, उद्योगघात: मालिक तथा मजदूरों के बीच महत्वपूर्ण समझौते, श्रमिकों की सही आय तथा सामाजिक सुरक्षा, सुविधाओं में वृद्धि, काम और जीवनस्तर संबंधी स्थितियों में सुधार । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी श्रमिकों की स्थिति में सुधार की अपेक्षित मात्रा प्राप्त न हो सकी । अन्य समस्यायें सामान्यरूप में उसी प्रकार बनी रही । देश को समाजवादी समाज ( Socialistic Pattern ) निर्माण करने के मार्ग पर विकसित करने का विचार होने पर समाजवादी मूल्यों को कुछ महत्वका स्थान प्राप्त हुआ । आर्थिक प्रेरणा ( Monetary incentive ) की कल्पना के स्थान पर समाजसेवा की भावना को आधार माना गया । तृतीय पंचवर्षीय योजनामें भी इन्हीं कल्पनाओं को निहित किया गया था । द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अनुशासन संहिता और आचार संहिता, औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों की भाग योजना, श्रमशिक्षा और उत्पादकता के महत्व पर आधारित कार्य शुरू किये गये । औद्योगिक विकास और संविधान के संरक्षण आदि कारणों से औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई । सामान्यतः आज १९ करोड़ श्रमिकों की संख्या में लगभग ७२ % कृषि उद्योग में, ११ % खनिज, बृहत् तंत्रों लघुउद्योगोंमें ८ % यातायात व सन्देशवाहन तथा अन्य सेवाओं में ९ % श्रमिक शक्ति लगी दिखाई देती है ।

साथही योजनाओं का विचार पांच भागों में किया गया है । औद्योगिक सम्बन्ध, मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा, काम की अवस्था ( Service conditions )

रोषमार एवम् प्रशिक्षण, उत्पादकता । वेतनसंबंधी औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार होने की दृष्टि से १९५५ में एक समिती नियुक्त हुई थी । इस समिति द्वारा इस विषय में मजदूर युनियनों में बाहरी व्यक्तियों को कम करना, युनियनों को मान्यता, मिल मालिकों से युनियनों के पदाधिकारियों की रक्षा, युनियनों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा मजदूर संगठन मजबूत बनाने की दृष्टि से योग्य कानून, आदि सुझाव दिये ।

किन्तु इतना होते हुए भी खेदपूर्वक यह कहना पड़ेगा कि ऊँचे ध्येय होते हुए भी श्रमिकों की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है । विशेषकर आज भी औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों की वेतन नीति सुदृढ नीवपर न होने से अधुरा वेतन श्रमिकों के लिये असन्तोषजनक सिद्ध होता है । खेतीहर मजदूर ही केवल नहीं अपितु शिक्षित श्रमिकों की बेरोजगारी ( Educated unemployment ) एक भीषण संकट का रूप धारण कर खड़ी है । किसी समय निर्धारित किये हुए न्यूनतम वेतन आज समयबाह्य सिद्ध हुए है । स्वयंसेवी श्रमिकों के लिये आज भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । श्रमिकों का वास्तव वेतन ( Real wages ) दिनोंदिन घटता दिखायी देता है । श्रमिक संघों को पर्याप्त अधिकारों से आज भी वंचित रखा गया है । अर्थात् समाज की आवश्यकता हैं कि भारत की परंपरा तथा मर्यादा की सीमाओं में श्रमाधिष्ठित दीर्घकालीन योजना बने । जिस के फलस्वरूप श्रमिक राष्ट्र का महत्वपूर्ण घटक बनकर सम्मान से स्वतंत्रता के फलों का आस्वाद ले सके तथा अतीत कालसेही केवल श्रमिकजगतकोही नहीं अपितु समस्त मानव समाज का कल्याणकारी नेतृत्व करनेका भारत का जो उत्तरदायित्व हमपर फिर आया है उसे वर्तमान संघटनोंके द्वारा अथवा आवश्यकता होनेपर नये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन द्वारा निमा सके इसीमेंही हमे अपेक्षा पूर्तिका समाधान प्राप्त हो सकेगा ।



प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की--

## औद्योगिक तथा मजदूर स्थिति

श्री. मु. ल. वैद्य,  
अधिवक्ता  
अध्यक्ष, मा. म. संघ  
विदर्भ विमान

१. प्रास्ताविक-भारत के बारे में यह एक गलतफहमी है कि भारत केवल कृषि-प्रधान देश है। उसमें बड़े बड़े उद्योगधन्धे नहीं थे। उसे बाष्प-शक्ति पर चलनेवाले उद्योगों की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन यह कहना गलत है। कृषि उद्योगों के साथ साथ आर्यों ने विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की थी, इसके प्रमाण प्रा. मेक्समूलर जैसे विश्वविख्यात विद्वान पश्चिमात्य पंडितों के ग्रन्थों से मिलते हैं। मिसेस. विलर विलाक्स नामक अमेरिकन महिला लिखती है-

“ We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the Land of great Vedas, the most remarkable works, containing not only religious ideas on a perfect life, but also facts which all the science has since proved true. Electrons, Airships, all seems to be known to the sires who found the Vedas. ”

( हमने भारत के प्राचीन धर्म के बारे में बहुत सुना है। भारत वह पुण्यभूमि है जसने वेदों का निर्माण किया। इन वेदों में केवल मानवी जीवन के सर्वोत्तम विकास को आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञानही नहीं है तो भौतिक प्रगति को आवश्यक वैज्ञानिक बातें भी हैं जिनकी सच्चाई आज विज्ञान ने सिद्ध कर दी है। जिन प्राचीन ऋषिओं ने वेदों का निर्माण किया उन्हें इलेक्ट्रॉन्स, एअरशिप्स आदि की पूरी जानकारी थी। )

२. भारत के उद्योग-प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के मजदूरों की स्थिति पर विचार करने के पूर्व उन दिनों में कौन कौन से प्रमुख उद्योग प्रचलित थे उसकी जानकारी आवश्यक है।

अ) कृषि उद्योग-प्राचीन काल से ही भारत में कृषि उद्योग बड़ी मात्रा में चलता था। कृषि मजदूरों के प्रयत्नों से कृषि उत्पादन संतोषजनक था। चावल, गेहूँ, तिल, उड़द, चना आदि का विपुल संग्रह सदाहि रहता था। कृषि के अवजार, हल आदि पर्याप्त संख्या में निर्माण किये जाते थे। दुग्धव्यवसाय (डेअरी) भी बड़े प्रमाण पर था। ग्रामवासी दूध, दही शहर में ले जा कर बेचते थे।

ब) कण्डा उद्योग-इस उद्योग में आयौने काफी प्रगति की थी। नारिक महीन और टिकाऊ कपडा पैदा होता था। साथही रेशमी और ऊनी वस्त्रों का उद्योग भी तरक्की पर था। इन कपडों की रंगाई भी बड़ी आकर्षक और दीर्घजीवी होती थी। कुमारसम्भव में कालिदासने पार्वती की रेशम की साडी का वर्णन इन शब्दों में किया है—

‘बधू दुकूलं कलहंस लक्षणं ॥ ६७ ॥ सर्ग १९ (उसकी रेशमी साडी पर कलहंस के सुन्दर सुन्दर चित्र छपे थे।)

क) यातायात की व्यवस्था-इस उद्योग में भारत कमी पीछे नहीं था। जलयान, वायुयान, रथ, नौका आदिद्वारा देश-विदेश में भारत का व्यापार चलता था। समुद्र में दिन-रात विशाल नौकाएँ लाती, ले जाती थी। काफी मजदूर इस क्षेत्र में काम करते थे।

ड) खदान उद्योग-हीरा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं की भारत में बड़ी, बड़ी खदानें थीं और इन में हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे। अथर्ववेदमें इन खदानों का उल्लेख है।

‘निधिं विभुति बहुधा गुहा। वसुमणिं हिरण्यम्।’

(हीरा, रत्न, सोना, चांदी को धारण करनेवाली पृथ्वि! हमें विपुल धन दे।)

इ) गृहनिर्माण कार्य-उन दिनों भारत में गृहनिर्माण कार्य बहुत विस्तारित और विशाल मात्रा में होता था। हजारों मजदूर, सैंकडों अभियांत्रिक इस कार्य में जुटे हुये थे। बड़े बड़े नगर थे और उनकी रचना बड़ी सुन्दर थी। आर्य तो यह समझते थे कि मानों उन्हें देवोंने ही बनाया है।

‘यस्याः पुरो देवकृताः’ अथर्ववेद

रामायण, महाभारत के मजदूरों ने भी इसी परंपरा को कायम रखकर अयोध्या, वृत्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, द्वारका, मथुरा, लंका जैसे सुन्दर नगर निर्माण किये थे। इस की कल्पना के लिए वास्मिकी ने रामायण में अयोध्यानगर का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है—

‘ अयोध्या नगरी तत्र आसीत् लोकविश्रुता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्ययम् ॥६॥  
 आयता दशच द्वेच योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा ॥ ७ ॥  
 राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । मुक्त पुष्यावकीर्णेन बलसिक्तेन नित्यशः ॥ ८ ॥  
 क्वाट तोरणवती सुविभक्तान्तरापणाम् । सर्व यन्त्रायुधतीमुभितां सर्वं शिल्पिभिः ॥१०॥  
 सूत मागध संवाघां श्रीमतीमतुल प्रभाम् । उच्चाटल ध्वजवतीं शतध्वी शत संकुलाम् ॥ ११ ॥  
 वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् । उद्यानाम्र वणोपेतां महतीं साल मेखलाम् ॥ १२ ॥  
 दुर्ग गम्भीर परिंरवां दुर्गमण्यैर्दुःसासदाम् । वाजिवारण संपूर्णा गोभिरुद्भैः खरैस्तदा ॥ १३ ॥  
 सामन्त राजसंघैश्च बलिकर्मभिरावृताम् । नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुप शोभिताम् ॥ १४ ॥  
 प्रासादैरत्न विकृतैः पर्वतैरिवशोभिताम् । कूटागारैश्च संपूर्णामिन्द्रस्यैवामरावतीम् ॥ १५ ॥  
 चित्रां अष्टापदाकारां वर नारी गणायुताम् । सर्वरत्न समाकीर्णां विमानग्रह शोभिताम् ॥ १६ ॥  
 विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । सुनिवेशित वेद्यमान्तां नरोत्तम समावृताम् ॥ १७ ॥

—सर्ग बालकांड

( कौशल देश में शरयु नदी के किनारे एक जगद्विख्यात नगर था, जिसका नाम था अयोध्या । उस नगर की लम्बाई ६० मील और चौड़ाई १५ मील थी । उस के सुशोभित चौड़े रास्तों पर प्रतिदिन जल डाला जाता था । बाद में उनपर सुगंधित ताजे फूल बिखराये जाते थे । मध्य राज्य मार्गों से उस की शोभा अधिक बढ़ी थी । वह नगर अच्छे अच्छे बाजारों तथा सुंदर इमारतों से शोभायमान था । उस के चारों ओर परकोट थे । वह सब प्रकार के यंत्र और आयुधों से सज्ज थे । वहां अष्ट प्रति के कारीगर थे । वहां की ऊँची ऊँची ७ मंजिलोंकी प्रासादों, मंदिरों और राजमहालों पर ध्वज फहर रहे थे । उस नगर क. रक्षा के लिये लैंकडों तोपे सुसज्ज थी ! वहाँ हर जगह २ स्त्रियों की नृत्यशालाएं थीं । कमानों, तोरणों से उस की शोभा वृद्धिगत हुई थी । उस में नागबगीचे, आमराई विपुल मात्रा में थी । दुर्ग में अगाध खंदक होने से शत्रुओं को प्रवेश करना मुश्किल था । हाथी, घोड़े, बैल, ऊट, काफी संख्या में थे । वहां पर मांडलिक राजा लोक उपस्थित होकर अपना कर राजा दशरथ को चुकाते थे । वहां पर विदेशी व्यापारी व्यापार करने आते थे । स्त्रियों की क्रीडा के लिए अल्पा क्रीडास्थान थे । मधुर गन्ने के रस की मधुशालाएं वहां अनगिनत थीं । दुदुमी वीणा, मृदंग इन के नाद से वह नगर हमेशा निनादित रहता था । उत्तम पुरुषों के निवास से उस शहर की शोभा अधिक बढ़ गयी थी । मानो लगता था कि तपश्चर्या की पुण्याई से स्वर्ग में जाने के लिये सिद्ध पुरुषों को विमानही मिला है ।

न्यूयार्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मास्को, टोकियो इन आधुनिक शहरों की अपेक्षा अयोध्या शहर किंचितमात्र भी कम नहीं था। जिन महानुभावों को यह शहर देखने का मास्य मिला, उन की आंखें तृप्त हो गयीं। जिन मजदूरों ने यह सुन्दर शहर निर्माण किया वे धन्यवाद के लिये पात्र हैं।

‘अद्य परिसमाप्तमीक्षणयुगलस्य द्रष्टव्यदर्शनं फलम् । आलोकितः खलु रमणीयानामन्तः । दृष्ट आल्हादनीयानामर्वाधिः । वीक्षिता मनोहराणां सीमान्तलेखा प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननानां परिसमाप्तः । विलोकिता दर्शनीयानामवसानभूमिः ।’ ( बाण ) कांदवरी

यहीं गौखशाली परंपरा इन मजदूरों ने मध्ययुगीन भारत में भी कायम रखी। पाटलीपुत्र, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, ( काशी ) विजयानगर, तक्षशीला, नालंदा, मदुरा, कांची इन नगरों के वर्णनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। श्री कवील मेगास्थेनिस ने पाटलीपुत्र नगर की तारीफ की है, वैसीही तारीफ चीनी प्रवासी युआन च्वांगने नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की की है। उसने लिखा है— “ The whole establishment is surrounded by brickwalls. One gate opens into the great college from which are separated eight other halls standing in the middle. Richly ordoned towers and fairly like turrets like the pointed hill tops are congregated together.

All the outside courts in which are the priests' chambers are of four stages. The stages have dragon projections and colour carves, pearl, red pillers carved and ornamented, richly adorned balustrades and roofs covered with tiles that reflects the light in the thousand shades.”

अजिंठा, एलोरा की गुँफाएँ और खजुराहो के मन्दिर अभी भी अपनी मध्वता और सुन्दरता का परिचय देते हैं। सैंकड़ों अभियंताओं और हजारों मजदूरों के रात-दिन किये अथक परिश्रम का यह फल है। ताजमहल की निर्मिति के लिए २० हजार मजदूर १२ साल तक दिनरात मेहनत करते थे। नौ करोड़ सतरह लाख रुपया इस ताजमहल को बनाने में खर्च किया गया था।

फ) शस्त्र उद्योग—आर्य अस्त्र-शस्त्र में निपुण थे। आज के विस्फोटक बम और गैस के समान उन दिनों में भी विमानों द्वारा बमवर्षा होती थी। लड़ाई में विद्युत्तरथ, अग्निरथ, अनश्वरथ का उपयोग किया जाता था। उसका ऋग्वेद में उल्लेख है—

‘प्र वो वायुं रथ युजं कृणुष्वम् । ऋ ५-४१-६’ (रथ रथ में वायु को जोड़ो) वायु को तुम अपने रथ में जुड़नेवाला बनाओ, अर्थात् ऐसा प्रबन्ध करो कि जिससे वायु तुम्हारे रथ का संचालन करें।

२) विद्युतरथ—‘स वेधाः विद्युत रथः सहस्रपुत्रो अग्निः ।

शोचिष्केद्यः पृथिव्यां पावो अश्रेत् ’ ॥ ३।१४।१ ऋग्वेद

(वह क्रान्तदर्शी वेधाशिल्पि है। जो अतीव बलसम्पन्न होकर प्रकाशमय अग्नि की मूर्ति पालक बनकर विद्युत-रथवाला हो कर पृथ्वी में रहता है।)

३) अनश्वरथ—घोड़े आदि से रहित रथ। ‘अश्विनो रसनंरथम् अनश्वं वाजिनीवतोः। तेनाहं भूरि चाकन् ॥’ ऋ. १।१२०।१०

(शक्तिशाली वीरों को इधर-उधर ले जानेवाला रथ अनश्व जिसमें मैं अधिक तेजस्वी हूँ।)

‘अनश्वो जातो अन भी शुरुकथ्यो रथः त्रिचक्रः ।

परिवर्तते रजः ॥ महत्तद्वो देव्यस्थ ’ । ऋ. ४।३६।१

(बिना घोड़ों का तीन चक्केवाला रथ अन्तरीक्ष में उड़नेवाला है। हे ज्ञानिओं! वह प्रशंसा के योग्य है।)

४) जलयान—‘यास्ते पूषन नावो अन्तः समुद्रे । हिरण्यथीरन्तरिक्षे चरन्ति ॥

ताभिर्यासि द्यूत्यां सूर्यस्य कामेन । कृतश्रवः इच्छमानः ॥’ ऋ. ६।५८।३

(हे पूषन! जो तेरी लोहादि धातुओं से बनी नौकाएं समुद्र के भीतर से और अंतरिक्ष में चलती हैं। मानो तू उनके द्वारा इच्छापूर्वक यशको चाहता हुआ सूर्य के द्यूतत्व को प्राप्त कर रहा है।)

उस समय अस्त्र-शस्त्र हजारों की संख्यामें निर्माण होते थे। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के जरिये से दूर फेंका जाता है।

वे अग्नि, वायु, गैस, विद्युत तथा यांत्रिक साधनों से चलते हैं। शस्त्रोंकी गणना खतरनाक हाथियारों में होती है, जिस के प्रहारसे चोट पहुंचती है, और मृत्यु होती है। जैसे—

शस्त्रों के भी अनेक प्रकार थे। इन अस्त्रशस्त्रों का वर्णन धनुर्वेद, धनुष चन्द्रोदय धनुष्य-प्रदीप इन संस्कृत ग्रंथोंमें मिलता है। प्रत्येक ग्रंथ की श्लोक संख्या ६० हजार है।



इन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में काम करनेवाले मजदूरोंकी क्या समस्या थी और वे कैसे हल की गयी, इस का विवेचन याज्ञवल्क्यस्मृतिशुक्रनीति, रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। पर्याप्त वेतन, छुट्टियां, छुटी का वेतन, भविष्यनिधि ( प्राविडेंट फंड ), निवृत्तिवेतन ( पेन्शन ), फेमिली अलाउन्स, बोनस, मुनाफे में हिस्सा ( प्राफिट शेअरिंग ), समयपर पदोन्नति ( प्रमोशन ) पैदावार बढ़ाने का मजदूरों का प्रयास, मालिकों की अपने आप को विश्वस्त ( ट्रस्टी ) समझकर मजदूरों के प्रति सद्भावना का बर्ताव ये सब मोटे रूप में उस का हृदय फल था।

१) वेतन निश्चित करना:- पर्याप्त वेतन निर्धारित किये बगैर कोई मालिक अपने मजदूरोंसे काम नहीं ले सकता था। यदि ऐसा वह करें, तो वह बड़े जुर्म को पात्र होता था। ऐसे मालिक को अपने मुनाफे में से १/१० रकम उस मजदूर को जुर्माना कर के देनी पड़ती थी।

“ दाप्यस्तु दशम भागं वाणिज्य, पशु सस्यतः ।

अनिश्चित्य भृति यस्तु कारयेत् स महीक्षिता ॥ ” याज्ञवल्क्यस्मृति, श्लोक १९७ ( यदि कोई मालिक काम करनेपर भी अपने मजदूर को पूरा वेतन नहीं देता, तो उसे वेतन मिलने तक मालिक का सामान अपने कब्जे में रखने का पूरा अधिकार है। )

“ गृहीत वेतनः कर्म त्याजन् द्विगुणम् आवहेत्

अग्रहीते समं दाप्यो भृत्यै रक्ष्य उपस्करः ॥ १९६ ॥-या. स्मृति

साथही साथ स्मृतिकारोंने मजदूरों पर भी काफी जिम्मेदारी डाली थी। यदि कोई मजदूर समय के अन्दर अपना काम पूरा नहीं करता तो उसे अपने मालिक को जुर्माना देना पड़ता था। जुर्माने की रकम वेतन से दो गुना थी।

**वेतन के प्रकार :-** आज के समान उस समय वेतन के तीन प्रकार थे। श्रेष्ठ वेतन ( लिविंग वेजेस ) साधारण वेतन ( फेअर वेजेस ) और न्यूनतम वेतन ( मिनिमम वेजेस )। जिस वेतनसे मजदूर केवल अपना पेट भर सकता है, उसे न्यूनतम वेतन कहा गया है। जिस वेतन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उसे साधारण वेतन कहा गया है। इससे अधिक जो वेतन मिलता था उसे श्रेष्ठ वेतन कहा है।

“ अक्षय पोष्य भ्रमणा भृतिर्मध्या प्रकीर्तिता ।

परिपोष्या मृतिःश्रेष्ठा समात्ताच्छादनार्थिका ॥ ”

२) समयपर पूरा वेतन देना - मजदूरों का बिना कटौती पूरा वेतन देना इस बातपर बड़ा ध्यान दिया जाता था। नियमित रूप से वेतन के पुस्तक ( रजिस्टर ) रखना इसकी जिम्मेदारी मालिकों पर थी। मजदूरों को समयसमय पर वेतन तक्ता ( चार्ट ) दिया जाता था।

“ न कुर्यात् भृति लोपं तु तथा भृति विलम्बनम् ॥ ” शुक्रनीति

**जवानों का वेतन:**—जवानों को सैनिकी शिक्षा के समय आधा वेतन देना और शिक्षा पूरी होने के बाद पूरा वेतन देना चाहिये । लडाई के समय उनके वेतन में २५% वृद्धि करनी चाहिये ।

“ सैनिकाः शिक्षिता ये ये तेषु पूर्णा भृतिः स्मृता । ” शुक्रनीति

**३) छुट्टी और छुट्टी का वेतन:**—मजदूरों को सालाना १५ दिन की सवेतन छुट्टी मिलती थी । उसी प्रकार हर उत्सव को सवेतन छुट्टी मिलती थी ।

“ सेवां विना नृपः पक्षं दद्यात् भृत्याय वासरे ॥

भृत्यानां गृहकृतार्थं दिवाया मं समुत्सृजेत् ।

निशिया मत्रयं नित्यं दिनभृत्येऽर्घ्यमिकम् ॥

तेभ्यः कार्यं कारयति ह्युत्सवाषर्विना नृपः ।

अध्याषट्यं तुत्सवेऽपि हित्वा श्राद्धं दिनं सदा ॥ ” शुक्रनीति

**४) बीमारी की छुट्टी और उसका वेतन:**—मजदूरों की बीमारी के दिनों में ३ महीने तक ३/४ सवेतन छुट्टी लेने का अधिकार है । एक हफ्ते की बीमारी की छुट्टी के लिए पूरा वेतन मिलना चाहिये ।

“ पाद हीनां भृति तु आर्तं दद्यात् त्रैमासि कीं ततः

पंचवत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ ”— शुक्रनीति

**५) नोकरी का अधिकार:**—नोकरी करते समय यदि पिता की मृत्यु होगी तो उस के पुत्र को नोकरी देनी चाहिये । उसी प्रकार यदि कोई मजदूर नोकरी करने के लिये पात्र नहीं है तो उसका अपना प्रतिनिधि (nominee) अपने जगह पर मुकर्रर करने का अधिकार है ।

“ स्वामी कार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्रो तद् भृति वहेत् ।

यावद् बालोऽन्यथा पुत्रगुणान् दृष्ट्वा भृति वहेत् ।

शश्वत् सदोषितस्यापि ग्राह्यः प्रतिनिधिः ततः ।

सुमहत् गुणीनं तु आर्तं भृत्यर्षे कल्पयेत् सदा । ”— शुक्रनीति

**६] भविष्यनिधी, निवृत्तिवेतन, फेमिली अलाउन्स, बोनस :—**

भविष्यनिधी के लिये कम से कम १/६ वेतन और ज्यादासे ज्यादा १/४ वेतन मजदूर के वेतनसे कटौती कर लेना और उस में मालिक ने अपनी और से कुछ अंश मिलाकर पूरी भविष्यनिधीकी रकम मजदूरको देना । मजदूरको उसके वेतनकी आधी रकम उसके

बिन्दगी तक पेन्शन के रूप में देना । उसके मृत्युके बाद विधवा पत्नी और लड़कियों निवृत्तिवेतन ( पेन्शन ) की आधी रकम पारिवारिक चरितार्थ के लिये देनी चाहिये । लड़का बड़ा ( मेजर ) होनेपर यह अलाउन्स बंद होगा । हरसाल मजदूरको १/८ वेतन बोनस करके देना चाहिये ।

“ चत्वारिंशत् समानीता सेवया येन वै नृपः ।  
ततः सेवां विना तस्मै भृत्यर्थं कल्पयेत् सदा ॥  
यावज्जीवं तु तत्पुत्रेऽक्षमे बाले तदर्धकम् ।  
भार्यायां वा सुशीलायां कन्यायां वा स्वश्रेयसे ॥  
अष्टमांशं परितोष्य दद्यात् भृत्याय वंत्सरे ।  
कार्याष्टमांशं वा दद्यात् कार्यं ब्राह्मणिकं कृतम् ॥ ”—शुक्रनीति

७) मुनाफेमें हिस्सा ( प्रॉफिट शेअरिंग ) :—

मजदूरोंने अधिक मुनाफा दिया तो मालिकोंके वेतनके भलावा उन्हें अपने मुनाफेमें से कुछ हिस्सा देना चाहिये ।

“ अधिकं देत्यं कृतैऽअधिके ”—या. स्मृति

८) औद्योगिक झगडेका कारण और निवारण :—

समय पर पूरा वेतन देना, मजदूरोंसे सम्मानपूर्वक बर्ताव करना, इससे मालिकों और मजदूरोंमें झगडा होने का कोई कारण नहीं होता । कम वेतन और दुर्व्यवहार ये झगडोंके मुख्य कारण हैं । प्राचीन कालमें पंच और पंचायते दोनों पक्षोंकी ओरसे पैली सुनकर इन झगडोंके तय करते थे ।

“ भृतिदानेन संतुष्टाः मानेन परिवर्षिताः ।

सांख्यता मृदुवाचा ये त्याज्यंत्याधिपं हिते ।

ये भृत्याहीन भृतिकाः शत्रवस्ते स्वयं कृताः ।

परस्य साधुकास्तेतु छिद्रकोष प्रजाहराः ॥

वाक्यारूपयात् न्यूनवृत्त्य—स्वामी प्रबल दंडतः ।

भृत्यं प्रशिक्षयेत् नित्यं शत्रुत्वं तु अपमानतः ॥ ”—शुक्रनीति

९) आदर्श मालिक-मजदूर सम्बन्धः—शुक्रनीति में आदर्श मालिक-मजदूर सम्बन्धों पर काफी जोर दिया है । बालिक मजदूर नीति का यही लक्ष है । मालिक-मजदूर परस्परों के हितसम्बन्धों का रक्षण करने के लिये भात्यन्तिक स्वार्थत्याग करने में पीछे नहीं रहते थे । उन के सम्बन्ध स्वामी रामचन्द्र और उनके सेवक धानर इनके सम्बन्धों के समान थे ।

“भृत्यः स एव सुश्लोको नापत्तौ स्वामिनं त्याजेत ।

स्वामी स एव विज्ञेयो भृत्यार्थे जीवितं त्यजेत ॥

न राम सदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमान् भूत् ।

सुभृत्यतातु यन्नीत्या वानरैरपि स्वीकृता ॥”--शुक्रनीति

१०) राष्ट्रप्रेमः— शुक्रनीति में इस पर भी जोर दिया है कि हर मजदूर राष्ट्रप्रेमी होना चाहिये । यदि कोई परकीय शत्रु अपने राष्ट्रपर आक्रमण करता है या कोई राष्ट्र विघातक कृत्य करता है तो मजदूरों ने डट कर उस का मुकाबला करना चाहिये । वह उनका मातृभूमि के प्रति एक पवित्र कर्तव्य है । आक्रमण तथा राष्ट्रीय आपत्ति के समाप्त होने तक उन्हें अपनी माँगें स्थगित रखनी चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं करते तो वह उनकी बड़ी भारी गलती होगी जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा । उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्र को समृद्ध करना, राष्ट्र का संरक्षण करना और अपने न्याय्य अधिकारों के लिये लड़ना इस त्रिसुत्री पर कार्य करना यही प्राचीन भारत की मजदूर नीति का एकमेव लक्ष्य था । भारतीय मजदूर संघ भी यही महान लक्ष्य हासिल करने के लिये कार्य कर रहा है ।

“आपि राष्ट्रविनाशाय चोराणामेक चित्तता ।

शक्या भवेन्न किं शत्रुनाशा नृपभृत्ययोः ॥”--शुक्रनीति

• • •

# FREE TRADE UNION MOVEMENT AND ITS VALUE

**Shri B. K. MUKHERJI**

Free trade union movement alone is capable to offer a positive plan for fulfilment of human aspiration for happiness which can be achieved in a peaceful world. What is needed for the full development of human faculties is food, clothing and a proper house, but unless the society is democratically governed they cannot be adequately available to every one. A free trade union is the spear-head of democracy and ensures equitable distribution of the fruits of workers' toil. Trade union organisation is the only institution which aspires to raise the standard of living of all people as workers are aware that poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere. To achieve this objective a trade union cannot remain confined to the national boundaries as peace and democracy have to be sustained throughout the world. But international activity of trade unions in India is conspicuous by its absence and this is one of the reasons why the movement has so far failed to influence the Government to base its decisions on social justice. India's contribution in the

international forums, like ILO and ICFTU, to banish want and poverty conducive to the establishment of a lasting peace in the world, has been too miserable. Trade unions in India are generally ignorant even of the power and jurisdiction of such an governmental institution known as International Labour Organisation ILO, and therefore Indian Workers are not really represented in this body. Government send any political leader to represent free trade unions.

The International Labour Organisation (ILO) is of very special importance to the free world as the only international organisation to deal with these problems which are most real to the majority of world population such as right to freedom and dignity, wages, security and employment. The participating governments in the peace conference at Versailles in 1919 after the world war I, provided in part XIII of the treaty the creation of this Labour Organisation, a tripartite body, for standardization of labour condition in the world. At Philadelphia in its 26th Session in 1944 the ILO declared its aims and purposes that labour is not a commodity and the war against want must be carried on with vigor by continuous and concerted international effort jointly by representatives of workers and employees with those of Governments. Further, this Conference reiterated the statement enshrined in the preamble of the Constitution that lasting peace can be established only if it is based upon social justice, hardship and privation can produce unrest to imperil the peace and harmony in the world. Improvement of labour condition is therefore urgently required. The Conference recognised the solemn

obligation of ILO to further programmes to achieve full employment and the raising of the standard of living and the effective recognition of the right of collective bargaining. The Constitution again stated that failure of any nation to adopt human conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in their country. The peace treaty at Versailles was not signed by labour traders but by governments who were moved by the desire to secure permanent peace in the world and therefore agreed to the objectives set forth in the preamble of the constitution of the ILO. The ILO occupies a very high and effective position among the specialised agencies of the United Nations Organisations as it approaches its task by means of Industrial conventions, recommendations, technical assistance, expert studies, discussion and training of national officials concerned with labour and industrial matters, investigation and adjudication of specific complaints alleging violation of established stands. The methods of operation and elaborate rules enforcing implementation of decisions have added to the effectiveness of the ILO in transferring the international environment. Though, governments and employees are generally reluctant to improve labour standard there are about 250 International conventions relating to labour standard covering all trades. Whether these international conventions are ratified or not by competent national authorities most of the countries have adopted the safety codes and other social programmes. For adoption of International conventions and Recommendations a two-third majority is required in the Conference and each government has to place same,

within 18 months before the national authority competent to ratify the same. The Governing Body of the ILO shall refer, any complaint of non-compliance, to the Commission of Enquiry and then to the International Court of Justice, as an appeal for a finding.

In June, every year, ILO conference meets in addition to periodical regional conferences. The national delegation to these conferences consists of two government members and one representative each of employers and workers and each delegate can be accompanied by two advisors for every item on the agenda for the meeting. Advisors can speak but cannot vote. Agenda for the Conference is decided by the Governing Body which consists of forty members elected by the Conference in the proportion of each national delegation. Though half of the total delegates in the conference and members in the governing body represents government it is really a tripartite organisation as all the three parties enjoy equal right and can vote as they like. The ILO offers help and hope to millions of people particularly in underdeveloped countries in Asia, Africa and South America. It has set up ten industrial committees to function under it dealing with the particular problems concerning the industry. All these industrial committees have endorsed among other conclusions, a 40 hour-week but except for the driving time in the road transport industry left the rest for national collective bargaining. In these industrial committees equal representations of workers, governments and employers are allowed and the national delegations therefore consists of six delegates but one advisor to every delegates to these industrial committees



are borne by the ILO, but expenses of the advisors are to be met by each national delegations. Govts. have to pay for the delegates and advosors attending ILO Conferences.

Apart from the ILO, a governmental labour organisation, there are at present three non-governmental International Labour Orgnisations. They are IFCTU, WFTU and ICFTU. Under article 12 of the ILO constitution ICFTU, though the youngest of these three organisations, enjoys a special position in the ILO in the shape of its advosory capacity. Since the trade unions in India are denied, by the India Government, a representation in the ILO or any of the industrial committees for the last few years it seems appropriate for these organisations to seek the help of these international labour organisations to raise questions of violation by the government in the ILO. Free labour organisations in this country must therefore choose one of these International Organisations for the purpose and ICFTU seems to be equiped with all the qualities required for this choice.

Happily for the free trade union movement in the world the International Fedration of Christian Trade Unions have early this month, renounced in its congress held in Lenxeburg, not only the word "Chritian" in the title but also references in the constitution of social principles of christianity. This transformation has very much advanced the cause of free labour movement in the world as formal unity of these two fedrations can be achieved in the near future. Though ICFTU was formed

only in the year 1949 its influence over wider areas in the world is very much considerable. It was formed with 261 representatives from 59 national trade union centres in 53 countries claiming a membership of 48 millions. But within these few years ( upto the end of 1967 ) its membership rose to 63 millions with affiliates in more than 100 countries. Unlike the world Federation of Trade unions, dominated by communist countries, ICFTU has to depend for funds on affiliation fees from its affiliates. It received about Rs. 45, 00, 000/- in 1967 as fees in addition to Rupees 2, 25, 00, 000/- collected during the same year for the International Solidarity Fund established recently to assist members in distress. Because of its advisory status with the UNO too ICFTU maintains a permanent representative, like all member states, in the UNO head-quarter. ICFTU derives its strength from the 19 International Trade Secretariates covering all types of wage earners in the free world. They are industrial federations of national trade unions and some of them are very old having been organised in the last century such as the International Transport Federation established in 1896. ITF covers transport workers in 70 countries with a membership of 7 millions in 230 affiliated organisations. ITF also maintains regional offices like ICFTU in different countries at a considerable expenditure. Apart from these activities ITF offers monetary assistance to its members in need as it sent financial relief, more than once, to AIRF during strike action. Occupational affinity has enabled these organisations to develop a very high degree of solidarity and co-operation minimising political disagreements and friction. Like ICFTU these International Trade Secretariates depend on their members

or funds and as they are autonomous bodies ICFTU dose not spend any money for their activities unlike trade unions in India these organisations and ICFTU talk less of communist menace but always take effective steps to check communist influence in the world.

The World Federotion of Trade unions is vertually a state organ of the communist countries having its sole aim to promote the interest of the communist party around the world and not to improve living standard of workers needed for lasting peace in the world. Though it is financed by the communist states WFTU has so far failed to impress non-communist trade unions to march with them. The role of trade unions in communist countries is restricted only to intensification of production and not to remove grievances or to coll a strike to remove them. Nothing can have less appeal than the above aspects of communist doctrine in free countries. This is the major cause of its weakness and for this reason trade unions are not inclined to affiliate with it and apply for affiliation with ICFTU inspite of its strict rules and difficulty in affiliation. To combat the communist menace through its propoganda machine, the W. F. T. U., free countries need fully developed and financially strong trade union specially in India. This is the task B. M. S. has undertaken to perform and it depends upon the members to help its early completion.



# **GOVERNMENT EMPLOYEES NATIONAL FORUM**

**Shri W. S. Mitkari, Nagpur**

When some of us decided to achievevly participate in the activities of the Unions and Associations in the Central Govt. Services a few years ago it was a general impression that the entire Trade Union Movement of Central Government employees was controlled and dominated by Communist leadership. It was also said that the Communists had their well-nit organisations in all the Central Govt. Departments. These Organisations conducted their activity and carried on their programmes and agitations under the auspices of Joint Councils or Coordinating Committees giving a general impression that the Central staff in Railways, Defence and other departments were organised under one and the same banner and that they had a homogenous trade union organisation.

But ultimately it became clear that there were independent organisations in Railways, in Defence and that they simply Joined Confederation of Central Govt. Employees and Workers on common issues. It could be further seen that there was a multiplenty of unions in Railways and

that only those organisations out of these, that were akin to the leadership in Confederation, joined the Confederation on common issues, so that a very large section of employees in Defence and Railways were not represented. It was also revealed that even the Confederation of Central Govt. Employees which was said to be representing the entire Central Staff excluding Railway and Defence employees, actually represented only a section of Central Staff and that a number of departments were never in the Confederation.

Consequently, our apprehension that it would not be possible to enter the Central Govt Employees' Organisations and to control their activities because of the strength and comprehensiveness of the organisation came to an end. It was an additional experience that the Confederation of Central Govt. Employees was not a recognised body, but simply a rallying ground for the leaders of the Unions and Associations and that the Central Govt. employees' activity in the country moved round the pivot of the P & T Federation which was the only well-nit organisation. The practicability of very easily forming Unions and Associations in the departments where there were no organisations, of controlling the activities of the Unions which were not in the Confederation, of actively participating in the functioning of Unions within the Confederation became sufficiently evident. Even in the National Federation of the P&T Employees, a large number of independent and nationalist employees were already there in the set up as office bearers though the leadership at the top came from the Communist Camp.

After participation in the Unions and Associations for two or three years, the picture that has emerged out

is that the Nationalist Employees controlling the Labour Employment and Rehabilitation Employees' Association, the Archaeological Staff Association and the All India Savings Bank Control Organisation Employees' Union within the Confederation and the Attached and Subordinate Offices' Employees' Association outside the Confederation. Besides, there are Unions and Associations such as Central Excise ministerial Staff Association, Food Employees' Union, All India Audit and Accounts Association which are controlled by independent non-communist leaders. The N. F. P. T. E. and its affiliates and other organisations in the Confederation are controlled by Communist or Communist dominated leadership.

In the Communist dominated Organisations also only the P&T Federation is the well-nit organisation where as the other organisations are extremely weak. It has been our experience that even the Income Tax Federation has some organisation at bigger places, but a very major bulk of Income Tax employees are unorganised and eagerly awaiting initiative from Nationalist Leaders. Many Unions are paper organisations or merely demonstrating Units without any regular and scientific working. Communists or Communist dominated Leaders wherever they were active or were in office were doing so in the absence of any other dynamic force. In the P & T Federation, i. e. in all its affiliates role of the large number of office bearers who are nationalists used to be simply passive and not objective. In Conferences, Nationalist Representatives opposed their counter-parts from other places not knowing that they were also Nationalists. In some Circles, when the

Nationalist worked objectively, some of the affiliates controlled by them. These observances and experiences led us to the conclusion that for over-all control of Central Govt. Employees' movement an objective, purposeful and planned working was necessary and adequate for the time being.

Though, there was enough certainty of marching towards the goal by a planned and objective approach the nationalist elements at different places and in different departments faced difficulties of isolation and opposition by the Communist and there fellow-travelers and of means of contact, of knowledge of issues and working. The smaller groups in the initial stage suffered from inferiority complex, small number and consequential unattractiveness. Everybody felt the urgency of a common rallying ground for all nationalist workers and employees which could also ensure necessary guidance and support. Objective participation in the existing Unions and Associations from a rallying ground of non-Trade Union type could be planned aiming at replacing the communist control by nationalist control. The process could be successfully accelerated by a model working in nationalist Unions and Associations and by the availability of guidance, literature and organisational support.

A net work of the Nationalist Central Employees' Forum all over the Country would also be in a position to provide with country-wide links to the organiser in every department and create an atmosphere of confidence. It can and the same time help nationalist to emerge out as a sizeable force without in any way disturbing the

present set up of Unions thus avoiding the chaos which otherwise may presumably become inevitable. The Trade Union utility or strength of the nationalist Central Govt. Employees' Forum need not be under-estimated simply of its peculiar Constitution and non-Trade Union form. The possibility and practicability of ultimately evolving a very comprehensive and all circumscribing structure in a final form cannot also be ruled out.

● \* ●



# प्रसिद्धि व प्रकाशन

— श्री. बापूराव भिशीकर

संपादक-द्वै. तरुण भारत, पूना.

एक दो बात प्रारम्भ से ही कह देना चाहता हूं। पहली बात यह कि ट्रेड युनियन एक्टिविटी से प्रत्यक्ष मेरा सम्बन्ध नहीं है। जैसी घटनायें घटती हैं मनमें आये उनके प्रति विचारों को समाज के सामने रखना यही मेरा काम है। निरीक्षक के नाते ट्रेड युनियननिज्म के विषय में बताऊंगा। संसार के लोग क्या सोचते हैं—वह भी बताऊंगा। मेरे सामने माषा की कठिनाई भी है। हिन्दी में मैं बोल नहीं पाता हूं। फिर भी हिन्दी में ही बोलूंगा। गलतियों को क्षमा करेंगे।

दूसरी बात जब कार्यालय में ट्रेड युनियन की बात चलती है तब तो यह मानना होगा कि ट्रेड युनियन का महत्व है। समाचारपत्र कार्यालयों में यह सब मानते हैं कि औद्योगिक विकास के कारण ट्रेड युनियननिज्म को स्वीकार करना पड़ेगा। संगठन बने इसके प्रति किसी समाचारपत्र का आक्षेप नहीं है। अपनी स्थिति का सुधार कामगार संगठित होकर करें यह भी इस्टेब्लिश्ड है। हमारे देश में ट्रेड युनियन मूवमेंट चलती है, उसकी इमेज क्या है, उसकी डिसेप्लिन कैसी है, पोलिटिकल पार्टी का अभ्यास क्या है—यह सारी बातें वृत्तपत्र में आती हैं। ट्रेड युनियन मूवमेंट की मही शकल भी हमारे सामने आती है, जिसका प्रभाव समाचारपत्रों के मन पर पड़ा है। कुछ ट्रेड युनियन्स और पोलिटिकल पार्टीज़ साथ साथ चल रही हैं। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रेड युनियन्स को एक्सप्लायट किया जाता है—यह बात हर एकके मन में हर एक आन्दोलन का विचार करते समय आती है। उसी इनालिसिस को सामने रखनी पड़ती है। जो संगठित होकर इस क्षेत्र में सामने आये, जिन्होंने कुछ नाम कमाये वह सब प्रायः कम्युनिष्ट पार्टी के लोग थे। समाज के विभिन्न अंगों को संगठित करते हुवे कम्युनिष्ट क्रान्ति की ओर

इन सब को ले जाते हैं। यदि इसी उद्दिष्ट से उन्होंने किया तो इसमें इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स आना स्वाभाविक है। एस. एम. जोशी, फर्नान्डिस आदि सभी राजनीतिक नेता हैं। राजनीतिक कनविनियन्स के लिये मजदूरों को भड़काया करते हैं। जो मजदूरों में धारणायें निर्माण होनी चाहिये निर्माण नहीं हो पाती हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गृहमंत्री ने स्वयं कहा कि 'स्ट्राइक वाज पोलिटिकली मोटिवेटेड'। ट्रेड यूनियनिज्म में भारतीय मजदूर संघने एक नयी इमेज बनाने का प्रयत्न किया है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनसंघ की विंग मानी जाती है यह बात कहां तक सच है या नहीं यह आप सौंचे। भारतीय जनसंघ की प्रिज्यूडिसेज मजदूर संघ के साथ लगती है इसी लाइट में एनालिसिस होती है। पोलिटिकल पार्टी के प्रति की धारणायें उसकी श्रम संस्था के बारे में भी होती हैं। यह पद्धति कब बदलेगी यह बात आप पर निर्भर है।

ट्रेड यूनियन्स द्वारा जो डिमान्ड्स की जाती हैं कमी कमी वह भी उपहास का विषय बनती हैं। विशिष्ट समय पर विशिष्ट माँगें लोगों को भड़काने के लिए रखी जाती हैं। माँगें रीजनेबल हैं यह इम्पेशन कैसे क्रिएट हो यह सोचना होगा। नीड बेस्ड मिनिमम वेज की बात पढ़ी। सभी समाचारपत्रों को ऐसा लगता है कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज देने की क्षमता सरकार में नहीं है। अन्य बातों को खयाल में लाया जाय तो नीड बेस्ड मिनिमम वेज केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया तो ठीक नहीं होगा। यह मांग वास्तविक है, इसे समाचारपत्र नहीं मानते हैं। और इस पर झगडा खडा हो सकता है यह बात अखबार के लोगों के मन में नहीं आ सकी है।

छोटे छोटे कारखाने होते हैं। किसी बात पर स्ट्राइक होती है। डिमान्डस रखते समय ऐसा जान पड़ता है कि यह कामगारों को कुछ गति देने के लिए या उस पर जनता की सहानुभूति होगी कि नहीं इसे जानने के लिए रखी गयी हैं। मैं आपके सामने यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यदि ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका बिना विचार किये हुये कुछ किया गया तो ठीक नहीं होगा। गवर्मेंट इम्पलाइज के स्ट्राइक के बारे में ऐसे कई पत्र आये कि 'दे इ नाट डिजर्व एनी कन्सेशन'। समाज के प्रति उनकी दृष्टि समाधान कारक नहीं है। समाज के प्रति उनका क्या बर्ताव है यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। देहाती लोगों से इनका सम्पर्क आता है, काम नहीं होता है। करप्शन आता है। पैसा मांगते हैं। येही जब यूनियन बनाकर पैसा मांगते हैं तो लगता है कि इन्हें किसी प्रकार की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों की इन्ही कारणों से इनके प्रति सहानुभूति नहीं है। 'यदि पगार की डिमान्ड में टेक्सेशन की मात्रा बढ़ेगी तो सरकार समाप्त हो जावेगी' ऐसा भी. नाइक ने कहा है।

कारखानदार बताते हैं कि लोगों को ज्यादा दाम देना पड़ता है। प्राइस और वेज का रिलेशन ही ऐसा रखा जाता है। इस पर श्रमिकों को जिम्मेवार बनाने की माधना अनती है। क्लास की मांग का विचार रखते समय समाज की प्रतिक्रिया क्या है इस पर विचार रखना जरूरी है। श्रमिकों के लिए समाज की बेकिंग आवश्यक है। जिस प्रमाण में श्रमिकों की डिमांड के लिए समाज में बेकिंग या विरोध होता है उसका रिफ्लेक्शन समाचारपत्रों में आता है। यह दैनन्दिन जीवन को भी प्रभावित करता है। बम्बई में बसेसकी हडताल के रिफ्लेक्शनस् अखबार में जगह मिलती है। हर बरसात में फर्नाण्डिस सफाई कामगारों की मांग रखते हैं। लोगों को यह जान पड़ता है कि यह ब्लैक मेलिंग है। यह बात सबके सामने आती है। यह बात कहने वाले लोग भी वायुमण्डल में रहते हैं कि इस ब्लैक मेलिंग के सामने शासन को झुकना नहीं चाहिये। सार्वजनिक जीवन और श्रमिक आन्दोलन का सुसम्बाद कैसे हो इस पर यदि विचार हो तो नयी सहायता अवश्यक होगी।

तीसरी बात यह कि जब ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटी में मालिक और मजदूर में विवाद होता है, आरोप लगते हैं और सफाई दी जाती है—यह हो इमें आपात्त नहीं। हम मालिकों तथा कामगारों दोनों का ही निवेदन पेश करेंगे। किन्तु रंज लगता है जब कि ट्रेड यूनियन का स्टेटेमेन्ट रिपलसिव होता है। पूना में किलोस्कर में स्ट्राइक हुयी कारण उचित हो सकता है। कामगारों का समाचार डिसेन्सी का बिना विचार किये था। कामगारों का समाचार किस भाषा में आना चाहिये इस पर भी विचार करना चाहिये। यदि गाली भर कर आप कोई विचार लाना चाहेंगे तो हम पूरा पढ कर उसका सारांश सही रूप में रखने की कोशिश करेंगे, किन्तु ऐसा सब अखबार के लोग नहीं करते हैं। सभ्यता की मर्यादा रख कर काम करना चाहिये। यह भी श्लक पत्रों में आना चाहिये। पत्रों में शब्द सौन्दर्य भी रहे। भारतीय मजदूर संघ और कम्युनिस्ट की भाषा में अन्तर दिखना चाहिये। इतना ही नहीं इट शुड बी इन रिस्पान्सिबिल लेग्जि।

कारखानदार कुछ पत्रों के अन्नदाता हैं, पैसा लगाते हैं। ओन भी करते हैं पर दूसरे ऐसे भी हैं जो कैपिटलिस्ट के हाथ में तो नहीं हैं पर व्यवहार में एडवर्टाइजिंग रेव्यन्यू मिलता है। यह व्यवहार की बात है। ऐक्टिविटी के प्रकाश में हर्ज नहीं पर किस प्रकार रखना यह अखबार के इडिटरों पर निर्भर करना है। क्यों कि कहीं एडवर्टाइजमेन्ट बन्द न हो जाय इस पर जनरल मैनेजर ध्यान रखता है। जनरल मैनेजर की विरोध स्थिति में किसी भी सम्पादक की क्तिनी ही सहानुभूति आप के साथ क्यों न हो वह नहीं कर सकेगा। सम्पादक को मैनेजमेन्ट की पॉलिसी विशेष कर के मजदूर क्षेत्र में माननी ही पड़ती है। आर्थिक स्थिती में, राजनीतिक स्थिति में, तथा फॉरेन पालिसी में वह पूर्णतया स्वतंत्र

ह। श्रमिक क्षेत्र के मामले को सोच कर लिखना होता है यह एक विपरीत स्थिति है। यदि सोच कर काम किया तो ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट को काफी गति मिल सकती है।

एक नारा चलता है 'वन इन्डस्ट्री वन यूनियन'। बहुत क्षेत्र में बेकिंग मिल रही है। एक मर्यादित क्षेत्र में विभिन्न यूनियन हैं, जिन में बड़ी स्पर्धा है। बुई फेल टु अन्डर स्टैन्ड दि यूटिलिटी ऑफ सो मेनी यूनियन्स ! हमें इस मामले में बड़ा संदेह होता है। मजदूर चल रही यूनियन को चलाने के बजाय दूसरी क्यों बनाते हैं ? यह कन्फ्यूजन है—यह भी प्रसिद्धि में बाधक है। यह स्पष्ट करना भी हितकर होगा। छोटी छोटी यूनियन्स में डिमान्ड्स के प्रति स्पर्धा चिन्ताजनक है। कामगारों में स्वार्थ जगाने का भी विचार चल रहा है। कामगार का स्वार्थ सामने रख कर यूनियन बदलती रहती हैं। इमिग्रिएट कुछ दिला देने वालों के पीछे मजदूर जाता है। यह मनोभूमिका ठीक नहीं है। मजदूर नेता मजदूरों की भूमिका दर्शन के आधार पर बनावें अन्यथा हितकर न होगा। फर्नेन्डीज ने रिट्रास्पेक्शन किया था। वह यह कि हमने कर्मचारियों में राष्ट्रीय भावना नहीं जगायी, स्वार्थ की लहर फैलायी है। उनका विचार महत्व का विचार उगता है।

यह तो स्पष्ट है कि 'ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट हैज कम टु स्टेटे' स्थायी बन गयी है। रिक्तता न बने, स्ट्रोगोनिज्म न बने, क्युऑस न बने यह ध्यान देने की बात है। क्युऑस न बने यह विश्वास जगाने की जरूरत है। लड़ाकू बन भी शिष्ट हो। सेल्फिश मोटिव की मिलिट्रेन्सी देश का भला नहीं कर सकती है। कई अकबार मालिकोंके हाथ में न होकर क्युनिस्टों के हाथ में हैं। उनकी भी अपनी नीति है। वे अपनी प्रसिद्धि उसी दृष्टि से करते हैं। अकबारों में भी पार्टीवाइज विभाजन है। कलकत्ता में लेफ्टिस्ट के अकबार हैं। उनकी नीति कामगारों में विघटन करती है। इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है।

अगर हम चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ की एक मिज इमेज अखबारों में बने तो हमें बहुत कोशिश करनी होगी। यह बड़ा प्रयास का काम है। गन्दे प्रवाह से अपने को अलग होने के लिए मुश्किल काम है। इसके लिए हमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखना होगा।

१) शक्ति के अनुरूप प्रसिद्धि मिलेगी। दत्तोपन्त जी ठेंगडी के कर्तव्य की शक्ति भारतीय मजदूर संघ की शक्ति है। उसी के अनुसार प्रभाव है। शेष लोगों की प्रसिद्धि पूर्व से है। दे आर नोन पीपल इन न्यूज पेपर वर्ल्ड। जो अननोन है, शक्ति भी कम है, और उनका स्थान भी समचार पत्रों में नहीं आता है। ५०/५० साल से कम है—प्रसिद्धि है। शक्ति ऐसी होनी चाहिये जिससे अखबार की दुनिया इग्नोर न कर सके। सार्वजनिक रूप से काम करने वाले लोगों का राष्ट्रजीवन पर प्रभाव पड़ता है।

२) कामगार क्षेत्र में पोलिटिकल पार्टीज की तरह रोज कोई न कोई घटना नहीं रहती हैं। मोका आने पर प्रसिद्धि मिलती है। ताकद बढ़ने पर उपेक्षा नहीं होती है। भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार अन्य श्रमिक संगठनों से भिन्न है यह बात आज लोग जानने लगे हैं। किसी समस्या के प्रति भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण क्या है? यह लोग जानना चाहते हैं। आर्टीकल के अन्दर के विचार को स्थान मिलता है। समस्त परिस्थितियों का सही सही विश्लेषण करते हुए जो विचार राष्ट्र के लिए पोषक सिद्ध हो सकते हैं उसका अखबारों की दुनिया में बहुत बड़ा स्थान रहता है। इस क्षेत्र में जो अनिष्ट घटनायें घटती हैं या पता लगता है उसे इससंघ को करनेवाली बात को भी वृत्तपत्रों में स्थान मिलता है। बंगाल में इलनिट्सिटी बोर्ड की हड़ताल हुयी उस हड़ताल में विशाल पैमाने पर सैंबोटेज का काम हुआ। बड़े बड़े पावर प्लान्ट्स को गिराया गया। कलकत्ता को अव्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया गया। कलकत्ता और अन्य नव सेंटर कब्जे में हैं या नहीं यह न्यूज लेटर सबने प्रकाशित किया। देशद्रोही तत्व सामने लाने में अखबार सहायक होंगे।

अखबारों का बहुत ज्यादा विचार करना भी अच्छा नहीं है। अखबार में स्टेटमेंट न्यूज, रिपोर्ट्स, सफलतायें आदि लोग देते हैं। हमारे लोग अखबारों के प्रति इन्डेफरेंट रखते हैं। प्रमुख अखबारों से सम्पर्क रखना जरूरी है। इन्फार्मल रिलेशन्स बनाने चाहिये। सिटी रिपोर्ट्स, इडीटर्स से सम्पर्क हो तो न्यूज आयेगी। न्यूज हर अखबार के पास भेजना चाहिये। यह कॉमन पब्लिसिटी पॉलिसी बनानी चाहिये। पब्लिक रिलेशन्स की दृष्टि से सम्बन्ध चाहिये।

साप्ताहिक समीक्षा छपती है। उसका उपयोग हम अपनी दृष्टि से कैसे कर सकते हैं। अचीवमेंट्स रखे जा सकते हैं बिना साइड लिए ही कार्यकर्ता का फोटो और काम दोनों अखबार के पास भेज दें। श्रमिक क्षेत्र का कन्ट्रीव्यूशन अभी पर्याप्त नहीं है।

हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट राष्ट्रीय जागृति के भाव से किया जाना चाहिये। इमेज बदलने के लिए कम्युनिशनों को इससंघ करना चाहिये तथा मजदूरों के कारण आर्थिक प्रगति में बाधा, नहीं पोषक भावना आवे ऐसा प्रयास करना चाहिये।

राची के दंगे के समय अलग मुस्लिम कॉलोनी की मांग मुस्लिम मजदूरों की ओर से आयी। नेशल इन्टेग्रिटी होना चाहिये। कास्ट का प्रभाव इसमें नहीं होना चाहिये। इससे शक्ति होगी।

घृणा के आधार पर चले आन्दोलन के आधार पर समाज में तरक्की होती है। जैलसी नहीं। स्नेहपूर्ण समाज रचना का मार्ग ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। ट्रेडयू नियन के लोग अपने को प्रिविलेज-क्लास नहीं माने। सारे समाज से समरस हों तो नया इमेज बनेगा।

☆ ★ ☆

# विधिमण्डलों द्वारा कामगार क्षेत्र का कार्य

—श्री. बबन कुलकर्णी

**विधान सभा** और **विधान परिषद** तथा केन्द्र में राज्य और लोकसभा काम करती हैं जो कि वृत्तपत्रों में आप देखते हैं। कामगारों की समस्याओं के हल करने में इन संस्थाओं की क्या उपयोगिता है, यही बताने के लिए मैं यहां खड़ा हूँ। शासन की राय, चाल या नीति का विवरण लेने को प्रत्येक सदस्य को अधिकार है। हम अपनी कठिनाइयों की जानकारी किस प्रकार दें इसकी जानकारी आप को हो यही बता रहा हूँ।

शासनद्वारा किए जाने वाले सारे व्यवहारों पर विधिमण्डलों के सदस्यों द्वारा अंकुश रखा जा सकता है। उसी प्रकार शासन के द्वारा उद्योग तथा कामगार विभाग का जो कार्य चलता है उसके ऊपर भी अंकुश रखा जा सकता है।

राज्यों में उद्योग सुचारू रूप से चले और मालिक व मजदूरों का सम्बन्ध बिगड़ कर औद्योगिक अशान्तिता पैदा न हो यह जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस लिए जगह जगह पर निर्माण होनेवाले औद्योगिक विवाद (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स) हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यंत्रणा निर्माण की जाती है। राज्य का कामगार आयुक्त तथा उसके साथ काम करने वाले सारे दफ्तरों का कार्य तथा उद्योग विनियम केन्द्रों का 'इम्प्लायमेन्ट एक्स्चेंजेज का' कार्य राज्योंद्वारा किए जाते हैं। ऐसे सब व्यवहारों से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न विधि मण्डलों में उठाया जा सकता है।

मालिक मजदूर सम्बन्ध कैसे हो, उद्योग सुचारू रूपसे बिना अनरेस्ट से चले यह राज्यों की जिम्मेवारी है। ले ऑफ होने पर कामगार बेकार होता है, उसे भेवर्ट करने का क्या यत्न किया गया है? यह सब विधायकों द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अमी अमी १६ सितम्बर की केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल हुयी। बाद में पता चला कि समय उपयुक्त नहीं चुना गया था। लोकसभा चालू रहने के समय करने से अधिक सुगमता होती। सत्रद्वारा सरकार पर भी दबाव पड़ता है। शासन यंत्र को चालू कराने में सत्रोंद्वारा बहुत लाम होता है।

कभी बार अनुभव आता है कि हड़ताल के बाद अशान्ति, गोलीबार, उपोषण, निदर्शन आदि घटनायें विधि मन्डल सत्र चालू न रहने से शासन उसकी ओर उदासीनता की दृष्टि से देखता है। वही घटनायें विधिमन्डल सत्र चालू रहने के समय यदि होती है तो सार्वजनिक महत्व की त्वर्य घटना 'मैटर ऑफ अजेन्ट पब्लिक इंपॉन्ट्स' इस रूप में शासन का ध्यानाकर्षण उसकी ओर करने की दृष्टि से विधायक बहुत सी बातें कर सकता है।

१९६३ में ग्यूसिपिल कारपोरेशन कामगारों की हड़ताल हुयी। बम्बयी की जनता को कष्ट हुआ। सत्र प्रारम्भ हुआ। श्री. मोहनराव गवण्डी ने इस विषय को पेश किया। जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे जल्दी ही १ या २ दिनों में हल किया गया। ऐसे सभी विषय विधायकों की जानकारी में देना आवश्यक है। वृत्तपत्र में भी दूसरे दिन प्रकाशित होने का लाम होता है। ई. एस. आई. राज्यों द्वारा चलाया जाता है। बम्बई में केमिस्टस ने हड़ताल कर दी, क्यों कि वेतन भुगतान देर से होता था। प्रश्न द्वारा पेमन्ट्स अप टू डेट कराये गए। इतना ही नहीं मरीज मरने के बाद तथा बच्चा पैदा होने के बाद कुटुम्ब को एलाउन्स मिलना चाहिए, यह भी मांग पूरी हुयी।

राज्योंद्वारा आरोग्य बीमा योजना का कार्य चलाया जाता है। राज्य बीमा योजना सम्बन्धी प्रश्नों को आरोग्य मंत्री के साथ उठाने के लिए विधि मन्डलों का उपयोग हो सकता है।

कामगार कल्याण विभाग (लेबर वेलफेयर डिपार्टमेन्ट) का कार्य राज्योंद्वारा चलता है। सालमें एकबार कामगार कल्याण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस होती है। उस समय इससे सम्बन्धित चीजों को उठाया जा सकता है।

सत्ताधारी दल अमी तक अपने दल के लोगों से सब कल्याणकारी काम कराता था किन्तु हमने इसमें कुछ अन्तर अवश्य लाया है। दबाव डालने का काम हम कर सकते हैं।

कामगारों के घरों की समस्या हल करना ( इन्डस्ट्रियल हाउसिंग ) यह भी राज्यों की जिम्मेवारी रहती है। गृहनिर्माण विभाग की समस्यायें भी विधिमण्डलोंद्वारा उठायी जा सकती हैं। श्रमिकों का वेतन यदि ५०० रु. से बढ़ गया तो क्वार्टर में वे रह सकते नहीं। यह आधार लेकर बम्बई में इण्डियन नोटिसेज शुरू हुए। हमने इस पर प्रश्न उठा कर ५०० रु. की जो सीमा थी उसे बढ़ा कर ७५० रु. तक कराया। स्टेट अन्डरटेकिन्स या स्टेट ओनर्ड कारपोरेशन के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न भी विधान मण्डलों में उठाये जा सकते हैं।

कामगार मालिक के विवाद में न्यायदान का कार्य करनेवाली न्यायपालिका का कार्य ( इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स ) भी राज्य शासन की जिम्मेदारी है। उसके संचालन सम्बन्धी प्रश्न भी विधि मण्डलोंद्वारा उठाये जा सकते हैं। राज्योंद्वारा चलाये जानेवाले उद्योगों के सम्बन्धी प्रश्न, जैसे राज्य परिवहन, राज्य विद्युत मण्डल तथा शासकीय कर्मचारियों के प्रश्न। इन प्रश्नों को विधि मण्डलोंद्वारा उठाया जा सकता है। सरकार स्वयं तो बोनस नहीं देती थी। सरकार का यह दावा था कि मालिकों को ४ प्रतिशत बोनस देना चाहिये। विद्युत परिषदों में हमने बोनस का प्रश्न उठाया और विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिलाया। सरकार का काम है कि वह बेकारों को काम दे।

हर एक राज्य की बेकारी निवारण की कुछ योजना रहती है। इन योजना के अन्तर्गत बीमार पड़े हुए उद्योगों को पुनः शुरू करने का प्रयास होता है। अमलनेर की मिलों को चालू कराया है। नगर पालिकाओं को अनुदान राज्य सरकार देती है। उस सम्बन्धी प्रश्न भी यहाँ उठाए जा सकते हैं।

विविध मण्डलों में कामगारों के खास करके मजदूर के द्वारा संघटित किए जाने वाले कामगारों के प्रश्न उठाने में हमारे विधायक हमेशा रस लेते हैं। प्रश्न अपने ही लोग उठावे इसका महत्व है। पहले प्रस्ताव का महत्व होता है। संस्थाओं को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि विधि मण्डल में अन्यान्य राजनीतिक पक्षों के विधायक होते हैं। प्रश्न उठाने में होड़ सी लगी हुयी रहती है। इस होड़ में हम आगे रहे तथा आपके प्रश्न भी हल होने में मदद हो इसलिए कुछ बातों की जानकारी आपको होना आवश्यक है।

**यह प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।**

१. पत्र : पत्र दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं।

अ) स्वयं वदारा : इस प्रकार के पत्रों का प्रभाव कम होता है।

ब) विधायक वदारा : इस प्रकार के लिखे पत्रों का प्रभाव ज्यादा होता है और उत्तर जल्दी मिलता है।



२. प्रश्न : यह तीन प्रकार के होते हैं ।

अ) अतारांकित : इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा नहीं होती है केवल जानकारी मिलती है ।

ब) तारांकित : इस प्रश्न पर बहस की जाती है । प्रतिदिन विधायक ३ प्रश्न पूछ सकता है । लोकसभा में १० दिन तथा विधान मंडल में ४५ दिन पूर्व प्रश्न भेजना आवश्यक होता है ।

क) अल्पावधि : अत्यन्त आवश्यक प्रश्न सात दिन की सूचना पर पूछे जाते हैं, जिसे अल्पावधि सूचना के प्रश्न कहते हैं । इनका उत्तर २ या ३ दिन में मिलता है ।

३. चर्चा : प्रश्नों के उत्तरों पर अन्तरभूत विषयपर आधा घंटा चर्चा के लिए मिलता है ।

४. ध्यानाकर्ष प्रस्ताव : ध्यानाकर्षण में मंत्री को १ दिन की सूचना पर उत्तर देना पड़ता है ।

५. अल्पकालीन चर्चा : दो या तीन घंटे बहस होती है । उत्तर प्राप्त किया जाता है जैसे राज्यों में बढ़ती औद्योगिक अशान्ति, विद्युत वितरण मंडल, राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्या पर चर्चा की जा सकती है ।

६. अनियत दिन प्रस्ताव :

७. समिति नियुक्ती का प्रस्ताव : महिला कर्मचारी, नर्स, शिक्षिका, प्लानिंग, आदि के अन्दर काम करने वालों के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया जा सकता है । समिति नियुक्ति की मांग करके इसकी जांच कराये जाने सम्बन्धी मांग रखने का प्रश्न लेकर प्रस्ताव किया जा सकता है । असुरक्षित कर्मचारियों के सम्बन्ध में, मिनिमम वेजेस एक्ट के सम्बन्ध में हम समिति गठित कर के सम्बन्ध में प्रस्ताव ला सकते हैं ।

८. सभा स्थगत प्रस्ताव :

९. अविश्वास निदर्शक प्रस्ताव :

१०. हक्क भंग प्रस्ताव :

११. कपात सूचना :

१२. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन का महत्त्व : बजट अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है ।

अर्थसंकल्पीय मामलों की जानकारी यदि अपने विधायकों को हो, दिसम्बर में या जनवरी में ऐसे प्रश्न यदि अपने लोगों को मिलते हैं तो अनेक मामलों में हम यशस्वी सिद्ध हो सकते हैं ।



# मजदूर आन्दोलन

श्री. रमण शहा

राष्ट्रका एक अंग जिस नातेसे मजदूर जीवन सुखी और समृद्ध हो यह लक्ष्य। व्यक्तीगत और सामुहिक न्याय्य मांगोंको हांशील करना। दो प्रकारसे हो सकता। समझोतेसे, संघर्षसे। इंटक जैसे हम समन्वयवादी नहीं और कम्युनिस्टोंके आयटक जैसे हम संघर्षवादी भी नहीं। कामगारके हितमें समन्वयकी क्षमता रखते हैं। स्वार्थी, समाजहित राष्ट्रहित विरोधी-मालिकोंके खिलाफ संघर्ष करनेमें हम संघर्षवादी कम्युनिस्टोंसेभी अधिक क्षमता रखते हैं।

संघर्ष याने केवल हड़ताळ नहीं। बेमुदत हड़ताळ यह संघर्षका आखरी स्वरूप है। सभा-द्वारसभा-निदर्शन-कालापीत निदर्शन-मोर्चा-अनशन-सामुहिक अनशन-नियमानुसार काम-हत्यार रखकर बैठा हड़ताळ, लाक्षणिक हड़ताळ-भेमुदत हड़ताळ यह सब आन्दोलनोंके तरीके हैं।

हड़ताळ के पहले सोचना चाहिये की कौनसी मांगे-व्यक्तीगत या सामुहिक, एक दुसरेके विरोधमें नहीं हैं। हड़ताळ करनेकी ताकद न हो तो ताकद जमाने या ध्यान आकृष्ट करनेके लिये भूक हड़ताळ। हड़ताळ वापस कैसा लेनेका जिसका आरंभमेंही विचार। कारण मजदूर पक्ष अपने देशमें कमजोर हैं। आकस्मित हड़ताळ-वेगव यह अपवादार्थक हो सकते। '—फुर्कार कर-दंश मत कर—'। जिस न्यायसे हड़ताळ होकर जो प्राप्त होनेवाला है वह हड़ताळके वातावरणसे यदी प्राप्त हुवा तो बहुतही अच्छा।

समुद्रमंथनसे प्रथम विष प्राप्त, बादमें अमृत। उस मुताबिक हड़ताळ कभी कभी बुराभीओंको दूर करके उत्पादनके लिये अच्छा वायुमण्डल निर्माण करनेके लिये भी आवश्यक रहता है।

मालिक चाहे तब हड़ताळ नहीं, हम चाहे तब हड़ताळ। कच्चा मालकी कमी, माल को मांग नहीं-माल का अधिक संग्रह ऐसे समय हड़ताळ नहीं। एक दुसरेसे संपर्कमे है। कार्यकर्ता सक्रीय है। कामगारोंकी पुरी सम्मती है। आवश्यक नोटिस दी गयी है। पगार हाथ में आ चुका है। समझोतेके सब रास्ते अपनाये हैं। प्रमुख खाताके (Key Departments) १००% कामगार तय्यार हैं, ऐसे समय हड़ताळ ठीक रहेगा।

हडतालमें हरदिन एकत्रित आना, नारे लगाना ( जहाँतक हो सके व्यक्तीगत नरें न लगे, अुसका स्तर भूंचा रहे ) समायें लेना-मोर्चा निकालना । पत्रक बाटना । वर्तमान पत्रमें वृत्त आना ऐसा प्रयत्न रहें ।

कामपर जानेवालेको जिस भाषामें वे समझे अुस भाषामें समझाकर कामपर न जानेके लिये समझाना ।

हिंसाका अवलंब न करना । प्रति पक्षके हिंसाको रोकना । हिंसाका मर्यादातिक्रमणसे नुकसान ।

पोलिस् डिपार्टमेंट को उचित बानकारी देना । प्रतिपक्षके गुंडागिरीके कारण मारपीट । परिणाम स्वरुप गिरफ्तारीयाँ । बमानत देकर रिहाँ करनेकी व्यवस्था । कोर्ट में केस चलानेकी भी व्यवस्था हो ।

हडतालके समय भी बातचीत जहाँतक हो सके चालू रखना, खिचातानीमें टूटनेकी सम्भव, आतेही समझोता करना ठीक । वह समझोता प्राप्त परिस्थितीमें बहुतही अच्छा है यह समझानेकी क्षमता हो । नहीं तो जो मिलता था वह भी गुमानेकी पाली आ सकती है । पगारका नुकसान-कभी कामगारोंकी बडतफाँयाँ, अलासे अधिक । हडताल टूट जाय इससे पहले कोई बहानेसे वह वापस लेना ठीक । उस समय मले एक भी मांग मान्य नहीं की जाय, भविष्यमें मालिक हरताळकी नोटीस आतेही विचार करना प्रारंभ करेगा । आन्दोलन न करके लाभ । ताकद रखकर हम हडताल वापस लेंगे तभी यह संभव ।

आन्दोलनमें कार्यकर्ता विशेषतः नेताओंके भाषण खास महत्व रखते हैं । अवसर पर भाषणके लिये वक्तृत्वकला अवगत कराने की आवश्यकता है । जन्मतः प्राप्त हो ठीकही है । परीश्रमसे हांशील कर सकते हैं । आत्यंतिक इच्छा, ध्येयनिष्ठा-वही जीवननिष्ठा-उसके लिये भाषण-शास्त्र कला इससे परिपूर्ण न होते भी परीणाम करता है । निष्ठावान व्यक्ती प्रलोभनसे, दबावसे वक्तृत्व शक्तीका विक्रय नहीं करता । प्रारंभमें भय-वह सफलतामें बाधक नहीं बल्की पोषक है । भयपर विजय प्राप्त करनेके लिये प्रतिपाद्य विषयका ज्ञान, विषयसंबंधी अपने मतपर दृढविश्वास-खुदका चारित्र संपन्न व्यवहार-वगैरे बातोंका काफ़ी उपयोग होता है ।

साथ साथ मयके अभावात्मक भावका सतत अभिनय, यशस्वी वक्तृत्वका मनश्चित्र । द्वारसमा में प्रमुख विषय-विरोधके नावजूत भी भाषण जारी रखना ।



# यूनियन व महासंघ का संघटन तथा उनकी गतिविधि

श्री. रामनरेश सिंहजी

**कार्यालय :** नित्य व समय पर खुले, योग्य कार्यकर्ता उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करें। कार्यालय स्वच्छ व आकर्षक रहे। यूनियन का नामपत्र व सम्बंध, महासंघ का उसमें अक्षय उल्लेख हो। कानूनी व सैद्धान्तिक ( मा. म. संघ की ) पुस्तकें रहें। यूनियन व महासंघ के रजिस्टर, फाइलें तथा अन्य सभी कागजात व्यवस्थित रखीं हो।

## यूनियन के रजिस्टर व अन्य कागजात—

**रजिस्टर—**१) सूचना पंजी, २) कार्यवाही पंजी, ३) सदस्यता पंजी, ४) रोकड वही, ५) खाता वही।

**फाइलें—**१) सदस्यता आवेदन पत्र, २) व्यय पत्र (Vouchers), ३) रजिस्टर, ४) क्षमायुक्त, ५) अन्य भ्रम विभाग, ६) पत्रक ( महासंघ से आये हुये ), ७) पत्रे, ८) विवाद, ९) समाचार की कटिंग, १०) सदस्यता रसीद बुक।

## महासंघ के रजिस्टर व अन्य कागजात

**रजिस्टर—**१) सूचना पंजी, २) कार्यवाही पंजी—अ) प्रतिनिधि समा, ब) कार्यसमिति, ३) सम्बंधता पंजी, ४) प्रतिनिधि पंजी, ५) यूनियनों की कार्य समितियाँ, ६) रोकड वही, ७) खाता वही, ८) यूनियनोंके पत्रे, ९) अन्य यूनियनों व महासंघोंसे पत्र व्यवहार।

**फायलें—**१) मान्यता सम्बन्धी (क्षमायुक्त), २) सम्बद्धता आवेदन पत्र, ३) प्रत्येक विभागकी अलग २ फाइलें (पत्र व्यवहार की), ४) व्यय पत्र (Vouchers), ५) प्रान्तके पत्रक, ६) केन्द्रसे आये हुये पत्रक ।

**अन्य—**१) सम्बद्धता शुल्ककी रसीदें, २) अन्य सहायता व निधिसंग्रहकी रसीदें

## यूनियन का रजिस्ट्रेशन विधि

सूचना देकर आम मजदूरों की सभा बुलाना । यूनियन का नाम निश्चित करना । यूनियनके विधान बनाने के लिये समिति बनाना । विधान पारित करना । सदस्यता आवेदन पत्र व रसीद छपाकर सदस्य बनने का आवाहन करना । बने हुये सदस्योंकी सभा बुलाकर ७ सदस्योंको यूनियन के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करने के लिये चुनना । उसी सभामें कार्यसमितिका चुनाव करना ।

अुक्त रुपये शुल्क के साथ यूनियनके विधान की प्रतिलिपि, उक्तकार्यवाही की प्रतिलिपि, कार्य समितिकी नामावली और विधानकी धाराओंकी संख्याका उल्लेख, आयव्यय का लेखा जोखा, रसीद का एक पन्ना, सदस्यता आवेदन पत्र का एक पन्ना ७ हस्ताक्षरकर्ताओंके आवेदन पत्रके साथ रजिस्टार के यहां जमा कर देना चाहिये । वे जाँच करके यूनियनको रजिस्टर कर देंगे ।

## महासंघकी मान्यता विधि ( उत्तर प्रदेश )

दो या दोसे अधिक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनोंके प्रतिनिधियोंकी आम सभामें महासंघके निर्माण का निश्चय करना । विधान पारित करना । कार्यसमितिका चुनाव करना ।

**श्रमायुक्तके पास आवेदन पत्रके साथ मान्यताके लिये निम्नलिखित कारजात प्रस्तुत करना चाहिये—**

- १) विधान की प्रतिलिपि,
- २) प्रथम सभामें भाग लेनेवाले प्रतिनिधियोंकी नामावली तथा सम्बन्धित यूनियनोंकी सूची ।
- ३) कार्यसमितिकी सूची ।
- ४) सम्बद्ध यूनियनोंकी सूची ।
- ५) प्रथम कार्यवाही की प्रतिलिपि ।

## यूनियन व महासंघकी गतिविधि

समस्याओंका निराकरण । समस्याओंको उठाना । संगठन-सदस्यता, द्वार समायें, कार्यसमितिकी बैठक, आम सदस्योंकी बैठक, ट्रिप का आयोजन, विवादको हल करने के लिये-आपसी वार्ता अथवा कानूनी कार्यवाही । आन्दोलन, प्रदर्शन व हड़ताल, कार्यकर्ताओंको ट्रेड यूनियनकी सही दिशा देने व जानकारी देनेके लिये शिक्षावर्गका आयोजन । मजदूरोंके लिये कल्याणकारी कार्योंकी रचना, प्रचार-समा व पत्रें तथा अखबार आदिका अवलम्बन । यूनियन कोषके लिये सदस्यताके अतिरिक्त धनसंग्रह ।

संपर्क-अन्य ट्रेड यूनियन नेताओंसे, भ्रमाधिकारिओंसे, व्यवस्थापक वर्गसे । मजदूर कॉलोनी, प्रेस से ।

यूनियनमें कार्यकर्ता वर्ग ( Working group ) के निर्माण का प्रयास ।

स्वार्थ पूर्तीके लिये यूनियन नहीं अपितु सैद्धान्तिक भूमिका देकर, राष्ट्रमाव जागृति करते हुये मजदूर संघ वृत्ति उत्पन्न करना अपना आखिरी उद्देश्य है यह सामने रखना ।

अन्य यूनियनोंके कार्य की जानकारी रखकर तुलनात्मक विवेचन । महत्वपूर्ण उद्योगोंमें यूनियन खड़ी करनेका प्रयास । प्रतिवर्ष एकवार धनसंग्रहके लिये पूर्ण कोशिश । आय व्यय का विधिवत निरीक्षण, कोषको यूनियन अथवा महासंघके नामसे बैंकमें अवश्य जमा करें ।



# संगठन तंत्र

मा. मोरोपन्त पिंगले

**भा**रतीय मजदूर संघ का जो काम चला है, उसके विभिन्न पहलुओं का ज्ञान मुझे नहीं है। टेंगडी जी से परिचय के कारण कुछ पता लगता रहता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कार्य की प्रगति हो रही है और श्रमिक संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ इस देश में महत्व प्राप्त करता जा रहा है। आपको इस काम में यदि मैं सहयोग दे सका तो अच्छा होगा। इस क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता मन लगा कर कार्य कर रहे हैं— यह आनन्द की बात है— स्वाभाविक भी है। मुझे जब संगठन के विषय पर कहने के लिए कहा गया तो मुझे भी आनन्द हुआ। संगठन का विषय संघके कार्यकर्ता के लिए तो वैसे भी आनन्द का विषय है। देशमें कुछ बिना संगठन के भी लोग सफल हुये दिखायी देते हैं। कमी कमी लगता है कि संगठन की कोई जरूरत नहीं। व्यक्तित्व खड़ा हो जाय बस पर्याप्त है। समस्या का समी दूर वातावरण बन जाता है। व्यक्ति के नाम के सहारे भी काम होता है, पर यह सच नहीं है। हां यह जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। एक व्यक्ति के चारों तरफ तमाम बातें खड़ी हो जाती हैं—यह अच्छी बात नहीं है और अगर अच्छी बात हो तो भी स्थान स्थान पर अपने लोग हैं, परन्तु केवल इससे काम नहीं बनेगा। समय बीतने पर उस व्यक्ति का स्थान और नाम समाप्त हो जाता है। उस समय पुनः समस्या खड़ी हो जायगी। किसी विशेष समस्या को लेकर या व्यक्ति विशेष के पीछे काम करने का तरीका टिकाऊ नहीं है। एक देशव्यापी सुदृढ़ संगठन खड़ा करना किसी भी संस्था के लिये बहुत आवश्यक है। देशव्यापी संघठन खड़ा करने की आवश्यकता कब होती है इसी विषय पर आज मैं कहूंगा। अन्य बातों पर तो आप विचार कर ही रहे हैं। हर क्षेत्र में जो विचार चल रहे हैं उनके विषय में भी सोचना पड़ेगा। राष्ट्रवाद के बारेमें कोई नहीं सोचता क्योंकि यह चल पडा है। समाजवाद के बारे में भी कोई सोचने को तैयार नहीं है। व्यक्ति के पास की सम्पत्ति किसी न किसी के पास की छीनी गयी सम्पत्ति है। कुर्वा कहीं बनता है तो निश्चित है कि वहां की मिट्टी कहीं उठ कर गयी है और वहां पहाड बना है। कुछ सिद्धान्त प्रस्थापित हो गये हैं। संस्थाओं को भी प्रस्थापित सिद्धान्तों को हांय ल्या कर देखना चाहिये कि क्या वह ठीक है। इस क्षेत्र में भी परिचित लोग हैं। वे पर्याप्त कुशल हैं, चिन्ता करने की बात नहीं है। देशव्यापी संगठन खड़ा हो यह जरूरी

है, तभी भारतीय मजदूर संघ की सफलता है। यह सरल नहीं है पर यह बात यदि समझमें आ गयी तो सारा काम बन जायगा।

देशव्यापी संगठन खड़ा हो— कैसे खड़ा हो? इसके लिए तत्वज्ञान चाहिये। कार्यक्रम के बारे में कोई रूटीन चाहिये तभी संगठन हो सकेगा। रोज का झगड़ा जरूरी है। यह रूटीन नाम की जो चीज है इससे दुनिया में किसी को फुरसत नहीं। घर पर भी छुट्टी नहीं। धन्धा भी नहीं चल सकता है। रूटीन भी रोज नया नहीं हो सकता, उसे नया नाम देना होगा। दुकानदार आहूक का नित्य तौ बार स्वागत करता है। इसी से दुकानदार का काम बढ़ता जाता है। यही रूटीन पीटी दर पीटी चलता रहता है। बहुत बड़ा काम करने वाले को भी इस रूटीन से फुरसत नहीं। अन्तरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का ही एक उदाहरण है। उसने पहली बार इस दुनियासे दूर जाकर अन्तरिक्ष की यात्रा की। लौट कर आया। मास्को में उसका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के बाद वह घर गया। घर पर भी उसे उसी स्वागत की धुन सवार थी। किन्तु पत्नी ने घर की बातें कहनी शुरू की। बच्चे की किताबों का झोला सिलाने को कहा। बाकी घर के सब काम शुरू हो गये। महान कार्य तो जीवन में एक बार शेष जीवन तो उसी रूटीन में बीतता है। तंग करने वाली बात है। जुल्स, सभामें तो आनन्द आता है, रूटीन में नहीं।


एक आदमी ने एक राक्षस नोकर रखा था। वह सारा काम ५ मिनट में कर डालता था। मालिक उसे काम न बताये तो राक्षस उसे ही खा जाय। जो भी काम बताया २ मिनट में करके फिर खाने को तैयार! मालिक ने फिर उसे कुत्ते की दुम सीधी करने को कहा। वह दुम सीधी करने में लग गया। दुम बार बार सीधी करता वह काहे को सीधी हो? क्यों कि वह ठहरी कुत्ते की दुम। मालिक भी अब अपने को खाये जाने के भय से मुक्ति पाकर बीच बीच में काम बता देता था। जब मालिक के पास काम न रहे तो फिर वही दुम सीधी करने का काम। बीच का समय कैसे कटे? इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। रोज करने वाले रूटीन के कारण ही संगठन खड़ा होता है। कभी कभी के कामों से नहीं। बिना रूटीन के इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। कार्यक्रमों का सहारा लिए बिना साधारण कार्यकर्ता बड़े बड़े काम नहीं खड़े कर सकते हैं। रूटीन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। उसके प्रति रुचि उत्पन्न करनी होगी। वास्तव में कार्यक्रमों से ही संगठन खड़ा होगा। कार्य की दृष्टि से अन्य कार्यक्रम रखे जाते हैं। कार्यक्रमों का एक उद्देश्य है, कार्यकर्ताओं का परस्पर निकट सम्बन्ध आये। कार्यकर्ता का बाहर के लोगोंसे सम्बन्ध आये। फिर कार्यक्रम का उद्देश्य भी समझना चाहिये। शक्ति बहुत होने पर भी कार्यक्रम के बिना प्रगट नहीं होती है।

एक मानिक पहलवान थे। बहुत डरपोक थे। खासकर अंधेरे से तथा अन्धेरी रात से। गांव के पटेलने बुलाया और कहा कि पत्र पढोस के गांव में पहुँचा आओ। पटेल ने



तारीफ से कहा। मानिक पहलवान ने सुना, लेकिन अन्धेरे का ख्याल आया। ना कहने की गुंवाइश नहीं, बात पेटल ने कही थी। बाहर आये। खीसे में एक पैसा नहीं था। घबकन के साथ चले। रास्ते में घबराये। तकरे रास्ते के मध्य में तीन चोर मिले। मानिक पहलवान घबराये। चोर भी मानिक पहलवान का नाम सुन घबराये। चोरों के मन में मानिक पहलवान को ठीक करने की बात आयी। खीसे में पैसे तो थे नहीं, केवल बेइज्जती करना था। चोरों ने पहलवान से कपड़े उतारने की बात कही। पहलवान ने कपड़े उतार दिये। जरा उत्साह वाला चोर था। पूरी बेइज्जती करने के लिये चोरों ने पहलवान से कहा कि पहलवान लंगोटा उतारो। पहलवान ने शर्म के मारे लंगोटा नहीं उतारा। चोरों ने लंगोटा उतारने के लिए लंगोट को हाथ लगाया। लंगोट में हाथ लगते ही मानिक के अन्दरका पहलवान जागा। फिर क्या था। मार पडी, चोर भाग खड़े हुये।

अन्दर की शक्ति को जगाने के लिए हरबार लंगोट में हाथ लगाना पड़ेगा? क्या तभी उठेंगे? टेंगड़ी जी क्या सब के लंगोट में हाथ डालेंगे? योजना या कार्यक्रम के बिना कोई कार्यकर्ता काम नहीं करेगा क्या? कार्यक्रम का उद्देश्य तो है पर आदत कार्यकर्ता स्वयं नहीं लगायेगा? शिक्षा मिले, महत्व ध्यान में आवे। बिना कार्यक्रम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक यूनियन का कार्यकर्ता स्वयं कार्यक्रम रखे। कार्यक्रम के उद्देश्य भी सफल हों और कार्यकर्ता की योग्यता भी बढ़े। बिना इसके साथ काम नहीं कर सकते? बिना इसके किसी तत्वज्ञान के सहारे भी सारे जीवन काम नहीं हो सकता है। कार्यकर्ताओं में आपस में व्यक्तिगत प्रेम नहीं है तो संस्था के प्रेम से तत्वज्ञान के सहारे जीवन भर काम नहीं कर सकेंगे। देशप्रेम में प्रेरणा है, पर व्यक्तिगत सम्बन्ध सहवास में है। हम साथी केवल संस्था के कार्यक्रमों में ही नहीं-जीवन साथी बने। व्यक्तिगत सम्बन्ध के बिना एक दूसरे के साथ विश्वास और प्रेम का सम्बन्ध नहीं बनेगा। जीवन का कोई पहलू एक दूसरे से छिपा न रहे तो एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास जागेगा। केवल देशप्रेम अधिक दिन तक साथ देने वाला नहीं है, व्यक्तिगत विश्वास जरूरी है। कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है। संगठन के लिये बहुत जरूरी है। देशव्यापी संगठन खड़ा करना है। प्रतिकूलता रहने पर भी उद्देश्य को पूरा करना है। अनुकूल परिस्थिति में तो लोग साथ देते हैं पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी साथ नहीं देता है-जब कि दोनों ही परिस्थितियों में देना चाहिये। जीत में वाह वाह हो और विपरीत परिस्थितियों में जब हमारी ऊपर सारी दुनिया टूट रही तो यह आवश्यक है कि हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण हो। व्यक्तिगत सम्बन्ध में दरार उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। इसके अभाव में कोई भी संगठन नहीं चल सकेगा। कार्यकर्ताओं के आपस का सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध अच्छा होना चाहिये। व्यक्तिगत सम्बन्ध एक प्रमुख आधार हैं, उसे सुदृढ़ बनाना चाहिये। इस पर विशाल संगठन खड़ा कर सकेंगे।



## A Note on Co-operation

Shri M. H. Godbole,

Director.

Urban Co-op. Bank Ltd. Sangli.

The modern concept of a Co-operative Society, is a Form of Business Organization. Just as Individual, (we in Bharat have a joint and undivided Hindu family) a partnership of two or more individuals but upto twenty only a Joint Stock Company private or public limited or unlimited. Then came to be recognized a Co-operative Society also.

The basic idea is of self-dependence, thrift and mutual help. In Great Briton, it were the factory workers the Rochdale poineers. They started the British Consumers movement. Which has continuous and progressive history of about a hundred and fifty years. The labour organization in Briton is of mixed type of Trade Unions and Coop. Society. In Germany the rural credit co-operative and in Italy the Urban section got prominence and developed.

In Bharat, the then British Rulers thought it advisable to usher in the Co-operative Credit Societies of Rural

cultivators about seventy five years back. It was a paliative to the poverty stricken agrarian unrest. The Central Govt. passed a law for formation and giving legal protection to Co-operative Societies in the year 1904. Later on the law was revised in 1912; still later the making of co-operative laws were delegated to then provincial Governments now the State Governments. The Bombay State; now the Maharashtra and Gujarat States have been always abreast in keeping the Co-operative law progressive to suit the need of the growing types of Co-operative Societies.

A Co-operative Society essentially a democratic organization. Here, we have one vote to every member, irrespective of the shares he holds or the capital he has invested. It is unlike a Joint Stock Company. In co-operatives, profit earning is not the dominant motive. But as a business proposition we must run them in profit. It has moral side, it is to elevate the poorer sections into well to do. It helps to remove poverty.

In Bharat, we started with the village co-operative credit with unlimited liability. So we laid stress on rural credit only. But with the growth of the village societies, it was thought fit to start Urban Societies or Banks, where deposits could be collected, and those funds could be supplied to the village Societies. To improve the working of the Societies with regard to the records the accounts, the execution of documents, the proceedings, minutes of the committee of Management the annual meeting; federal societies came into existence as Supervising Unions. Later on Central co-op. Banks were established with main function of supplying funds to the village

credit societies. For the propagation of Co-operative-ideology; for giving co-operative education, co-operative Institutes were formed at the State level. The State Co-operative or Apex Banks began to grow and they have become the heart of the co-operative Organizations. The agriculturist had great difficulty of Marketing his produce. He was exploited by commercial interests. Hence naturally great need was felt of Marketing Societies. In the Urban Sector we had the salary earners co-op societies and Urban Banks, which were growing in strength. Thus a co-operative sector was taking shape in the over-all economy of the nation.

After we won our independence albit of a trunketed Bharat, Co-operation got great importance. Under the auspacies of the Reserve Bank; Rural Credit Survey was carried. The Report of the same is a great landmark in the Co-op. History. It had to be sadly observed, that in spite of over forty years of the co-operatives, co-operation had miserbly failed. But it was further observed that **but co-operation must succeed.**

A nationwide plan of covering the entire village of Bharat with viable co-operatives was recommended. The Reserve Bank under, a statutory responsibility of providing credit to the nation's prime business of agrculture must have some strong agency to reach the village farmer. A three tier system was evolved. A primary Society at the village base with one Central Co-operative Bank as a federal body at the District level, as the second step; and one State Co-operative Bank at the Apex or third rung in the ladder. To make the institutions strong and viable,

with sufficient borrowing power state-partnership and participation in the share capital of the Co-op. was introduced. During this long period we are now nearing completion of this basic three tier organism. And Reserve Bank Agricultural Credit can flow to the individual agricultural producer. The credit given was to be recovered through marketing or processing. Thus along with crop loan system, linking of credit with marketing or processing was tried to be effected. It is yet in a weak stage.

Although the co-operative structure must be one integrated whole, the study of Urban Credit lagged behind. Consequently, there has yet to be a smooth and happy fusion of the two streams.

For the sake of understanding let us try to analyse. One broad line of demarkation would be the credit or resource Societies and others. Such as the consumer or processing or Marketing and so on, in the second category. In logical dycotomy system.

Next would be the Rural or agricultural societies, and the Urban or non agricultural ones such as Urban Banks, consumer and industrial societies.

We have another way of looking. Co-operatives of producers and those of consumers, and third class of distributive or marketing; as we have the three stages of production, distribution and consumption of wealth and services.

In present stage of co-operation in Bharat we have a stronger producer's wing as contra-distinguished from the

very weak consumers wing. Every human being, every one of us is a consumer. But the class of producers though much smaller is getting better organized. We have in the country the producer's or seller's market. We as consumers are more or less at their mercy.

We very broadly say that there is a private sector and a public sector in the nation's economy. Similarly we generalize as capitalist society of free economy and a Communistic Society of Socialistic Regimentation. But we must realize and strengthen the Co-operative economy. The third and middle way, a golden mean.

For co-operative education, and propoganda publicity we have 1) The District Co-op. Boards, 2) The Divisional Board, 3) The state Co-op. Union and 4) The national Co-op. Union.

For credit or resource, we have 1) the village primary, 2) the district Central co-op. Banks and 3) Apex Co-op. Bank at the Stae level. The State co-op. Banks have now formed a federation at the National level. The Urban Co-op. Banks are the primaries in Urban area. It is proposed to have National Federation of Urban Banks.

For consumers we have, 1) the Primary societies. Under the threat posed by Mao's China, 2) the whole-sale consumer co-operatives centrally sponsered were organized. The whole salers are now extended to cover district areas. We have, 3) State level federations in some states and 4) a National federations of consumers. But by and large the consumer co-op. are a very weak structure.

Similarly for marketting of agricultural produce there are societies at Tahasil level and then a Dist. Sale